उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

सामान्य परिषद की बैठक

बैठक क्रमांक 01/2018

दिनांक : 07–02–2018

स्थान : सेमीनार हॉल–2, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान — समय : अपरान्ह 5.00 बजे

उपस्थिति

1	माननीय श्री जयभानसिंह जी पवैया, मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, लोकसेवा प्रबंधन जनशिकायत नि. विभाग भोपाल	अध्यक्ष
2	श्री बी.आर. नायडू, अति. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल	उपाध्यक्ष
3	श्री जगदीशचन्द्र जटिया, अपर संचालक, (प्रतिनिधि आयुक्त) उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
4	श्रीमती किरण मिश्रा, उप सचिव, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	सदस्य
5	श्री अरुण निगम, ए.डी. (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	सदस्य
6	श्री अशोक कु. मालवीय, अंडर सेक्रेटरी (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) पिछड़ा वर्ग क. विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	सदस्य
7	श्री रमेश श्रीवास्तव, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
8	श्री पंकज व्यास, कार्यपालन यंत्री, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव), लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	सदस्य
9	डॉ. कृष्णकांत शर्मा, प्राध्यापक गणित (म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त शिक्षाविद्) के.आर.जी. महाविद्यालय	सदस्य
10	डॉ. एम.एल. नाथ, संचालक, उ.शि.उ.स. भोपाल	सदस्य–सचिव
11	डॉ. एन.आर. दास, वित्त नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उ.शि.उ.सं. भोपाल	विशेष आमंत्रित
12	डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त नियंत्रक एवं सहा. प्राध्यापक वाणिज्य, उ.शि.उ.स.भोपाल	विशेष आमंत्रित
13	डॉ. पी.एल. सनोडिया, संयोजक स्थापना प्रभारी एवं प्राध्यापक गणित, उ.शि.उ.स.भोपाल	विशेष आमंत्रित
14	डॉ. शिरीष जोशी, संयोजक निर्माण समिति एवं प्राध्यापक, भौतिकी, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
15	डॉ. अजय कु. भारद्वाज, यूजीसी प्रभारी एवं प्राध्यापक बायोटेक्नालॉजी, उ.शि.उ.सं.भोपाल	विशेष आमंत्रित

बैठक में प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

संस्थान की सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 07–02–2018 को सामान्य परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री जयभानसिंह जी पवैया, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता मे संस्थान परिसर में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया तथा संस्थान का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदय ने संस्थान के वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

भाग–1

दिनांक 28–08–2017 को आयोजित संस्थान की कार्यसमिति की बैठक के विषयो का अंगीकरण :

विषय क्रमांक –1 वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संस्थान की लेखा पुस्तकों ... सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति के समक्ष ... समिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज "रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एण्ड वाटर चार्जेस" से प्राप्त राशियों के संबंध में

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

147 बिंदु क्रमांक 9-02

जानकारी ली, जिसके संबंध मे वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया कि संस्थान में संचालित केंटीन के संबंध में ठेकेदार से किराया, उपयोग की गई बिजली एवं पानी के एवज में राशि रू. 98,671/– प्राप्त की, जिसे संस्थान के आय पक्ष मे दर्शाया गया है। इसी प्रकार संस्थान के स्थिति विवरण के "लोन एण्ड एडवांसेस" के शेड्यूल–डी मे दर्ज टीडीएस ऑन एफडीआर (2015–16) के संबंध मे प्रेक्षा की गई, इस संबंध मे वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के स्थाई जमा पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस को शेड्यूल–डी में दर्शाया जाता है तथा संस्थान द्वारा संबंधित वर्ष का आयकर विवरण प्रस्तुत कर आयकर विभाग से उक्त राशि वापस प्राप्त की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार शेड्यूल–डी में एम.पी.लघु उद्योग निगम के असमायोजित अग्रिम को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेखा पुस्तकों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया। अंकेक्षक के रिपोर्ट में नोट्स टू एकाउंट के बिन्दु क्रमांक–14 के संबंध में यह जानना चाहा कि सौलर प्लांट पर आयकर विभाग द्वारा 80 प्रतिशत ह्रास स्वीकृत होने के उपरांत संस्थान के सौलर प्लांट पर 15 प्रतिशत की दर से ह्रास क्यों लगाया गया, जिसके संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया कि 80 प्रतिशत ह्रास आयकर विभाग की दृष्टि से उच्चतम दर है, यदि उस दर से ह्रास लगाया जाता है तो सौलर प्लांट दो वर्ष की भीतर ही अपलीखित करना होगा, इस कारण व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंकेक्षक द्वारा 15 प्रतिशत ह्रास लगाया गया। **कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।** कृपया परिषद अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –2 **संस्थान छोड़ चुके विद्यार्थियों द्वारा वापस नहीं ली गई अवधान राशि को राजसात कर संस्थान की आय में सम्मिलित करने विषयक :–**

संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 के निर्णयानुसार संस्थान में अध्ययन कर चुके ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने संस्थान छोड़ने के तीन वर्षो के भीतर जमा अवधान राशि वापस नहीं ली है, उस राशि को राजसात कर संस्थान की आय मे सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 1995–96 से 31.03.2015 तक संस्थान मे प्रवेशित विद्यार्थियों से अवधान राशि के रूप में ₹1,15,58,576/– जमा शेष है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2011–12 से दिनांक 31.3.15 तक संस्थान पर अवधान राशि वापसी का दायित्व ₹91,63,500/– है एवं संस्थान छोड़ने की निर्धारित अवधि तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2015 तक विद्यार्थियों द्वारा वापस नहीं ली गई अवधान राशि ₹2395076/– (₹11558576 – ₹9163500 = ₹2395076) राजसात योग्य है। वित्त समिति द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया की मानसेवी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों तथा अन्य समस्त व्ययों की पूर्ति संस्थान के द्वारा स्वंय के स्त्रोतों से की जाती है, इसके लिए एकमुश्त नियमिति अनुदान राशि संस्थान को प्राप्त नहीं होती है। वित्त समिति समस्त तथ्यों से अवगत हुई एव अवधान शुल्क के राजसात की जाने योग्य राशि को संस्थान की आय में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई। **कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।** कृपया सामान्य परिषद प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा सुझाया कि रूल्स के अंतर्गत यह राशि राजसात योग्य है तो परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः कार्यसमिति की अनुशंसा का सामान्य परिषद् द्वारा अंगीकार किया गया।

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

वित्त समिति के समक्ष बजट प्रस्ताव रखा गया, जिसमें शासन से प्राप्त अनुदान, स्वयं के साधनों एवं परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से प्राप्त राशि तथा बैंक ब्याज सहित कुल प्राप्तियों के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है।

अ) बजट में नेटवर्किंग की सुचारू व्यवस्था, लेन नेटवर्किंग, वाई–फाई, फायरवॉल तथा सीसीटीवी कैमरों के द्वारा परिसर में सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बजट ... नए बजट शीर्ष के रूप में नगर निगम, भोपाल को देय होने वाले सर्विस टैक्स के लिए पृथक ... आवर्ती बजट शीर्ष *"संपत्तिकर–नगर निगम, भोपाल"* को प्रशासकीय व्यय के रूप में एवं बजट शीर्ष *"क्लस्टर योजना"* को अकादमिक व्ययों मे सम्मिलित करते हुए बजट व्यवस्था की गई है आवर्ती बजट शीर्ष

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

"औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण" में कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के नए आयाम को सम्मिलित करते हुए बजट शीर्ष का नाम *"औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/कार्यशाला एवं प्रशिक्षण"* करने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई।

ब) निर्माणाधीन बालक छात्रावास के लिए शासन से रूपये 2.00 करोड़ की राशि प्राप्त होना शेष है। शासन से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रावास निर्माण के लिए देय शेष राशि 1.10 करोड़ को संस्थान के सामान्य मद से व्यय किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 01-03-2017 को की गई घोषणानुसार संस्थान के इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास प्रस्तावित बड़े सेमिनार हॉल सह ऑडिटोरियम का प्राथमिक प्राक्कलन प्राप्त किया गया। प्राक्कलित राशि रूपये 610.49 लाख तथा प्रस्तावित ऑडिटोरियम के प्राथमिक नक्शे का अवलोकन समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई कि निर्माण कार्य को शासन/अन्य एजेन्सियों से राशि प्राप्त होने के उपरांत किया जाए एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान करने की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई।

स) संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान को सम्मिलित करते हुए बजट प्रावधान किया गया, जिसके संबंध में समिति को जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रतिवर्ष निर्माण कार्यों के लिए रू. 80 लाख अनुदान प्राप्त होता रहा है परन्तु उसके पश्चात कोई अनुदान शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। इन वित्तीय वर्षो के अनुमानित प्राप्य राशि ₹320.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2017-18 के सामान्य बजट में सम्भावित आय के रूप में दर्शाते हुए बजट प्रस्तावित किया गया, जिस पर समिति द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई एवं शासन से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए तथा प्रस्तावित बजट में परीक्षा आदि कार्यों के लिए कार क्रय हेतु प्रस्तावित बजट को संशोधित करते हुए रूपये 7.50 लाख करते हुए समस्त बजट प्रस्तावों की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई।

कार्यसमिति ने यह निर्देशित किया है कि आगामी सामान्य बजटों में महिलाओं एवं दिव्यांगों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्ताव तैयार किया जावे। बिंदु क्रमांक अ, ब, एवं स प्रस्तावों पर विचारोपरांत कार्यसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया। परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा बजट चर्चा में बालक छात्रावास निर्माण के लिए रू 200 लाख तथा अन्य निर्माण के लिए शासन से प्राप्य अनुमानित राशि रू. 320 लाख (कुल 520 लाख) की वर्ष 2017-18 के शासकीय बजट व्यवस्था में स्वीकृत न होने के कारण सामान्य बजट भाग-1 के प्राप्तियों में से हटाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही प्रस्तावित नए निर्माण कार्य के अंतर्गत बड़ा सेमीनार हॉल सह ऑडिटोरियम निर्माण को स्थगित रखने के कारण गैर आवर्ती बजट व्यय में से रू. 100 लाख विलोपित किया गया। सामान्य परिषद् ने कार्यसमिति द्वारा अनुशंसित बजट भाग-1 सत्र 2017-18 के शेष व्यवस्थाओं का अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक -4 संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण विषयक :-

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान मे प्रतिवर्ष सीए की नियुक्ति मूल रूप से दो तरह के कार्यो हेतु की जाती है :-

(1) *अंकेक्षण कार्य :* जिसके अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य, यूजीसी एवं अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाले अनुदानों का उपयोगिता एवं आय-व्यय एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र तैयार करना एवं (2) *आयकर एवं अन्य करों से संबंधी कार्य :* जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न और चालू वित्तीय वर्ष के 24Q तथा 26Q के त्रैमासिक कटौता विवरण प्रस्तुत करने, फार्म 16 तथा फार्म 16A को डाउनलोड करने, आयकर एवं वैट रिर्टन फाइल करने, टैक्स आडिट तथा संस्थान को आयकर विभाग से समय-समय पर प्राप्त होने वाले नोटिस के संबंध में संस्थान का पक्ष रखने आदि संबंधी कार्य किए जाते हैं।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
20.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अ) उल्लेखनीय है कि पूर्व आयकर संबंधी कार्य निर्बाध [illegible] करना वैधानिक बाध्यता है। आयकर विभाग द्वारा चाही गई किसी भी जानकारी एवं नोटिस के प्रत्युत्तर तथा निराकरण सीए द्वारा आयकर विभाग में उपस्थित होकर अथवा ऑनलाईन अपने स्तर से किया जाता है। अतः प्रतिवर्ष नए सीए को उक्त कार्य हेतु नियुक्त करने से पूर्व वित्तीय वर्षो के संपूर्ण जानकारी के

अभाव में उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे आयकर संबंधी मसलों के निराकरण में देरी होती है तथा संस्थान को पेनल्टी आदि संबंधी आयकर के नोटिस बार–बार प्राप्त होते हैं।

बी.सी.पी.जैन एण्ड कं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में अंकेक्षण कार्य के साथ आयकर संबंधी सभी कार्यों को किया गया है। अतः इनके पास आयकर विभाग द्वारा चाही गई अधिकांश जानकारियाँ उपलब्ध है तथा पूर्व वित्तीय वर्षों के आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों का यथासमय जवाब प्रस्तुत कर संस्थान के पूर्व वित्तीय वर्षों के कई टीडीएस मामलों का निराकरण किया है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय आधार पर आयकर संबंधी कार्यों हेतु बी.सी.पी.जैन एण्ड कं. को आगामी वर्षों के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे समिति द्वारा मान्य करते हुए बी.सी.पी.जैन एण्ड कं. द्वारा दिए गए सहमति पत्र में कार्यानुसार चाहे गए मानदेय को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक संशोधनोपरांत निम्नानुसार अनुशंसा की गई :–

Particular	Consultancy fee / Amount
1. Filling of annual/quarterly Income Tax returns in form 24Q/26Q, Downloading form no. 16 & 16A, Rectification of Errors in TDS returns of FY 2016-17	₹20,000/- annually
2. Rectification of errors in TDS returns of earlier years	₹2,000/- per rectification/ notice
3. Attending to Income Tax notice	₹8,000/- per notice, subject to the intensity and the matter involved in the notice

ब) प्रतिवर्ष किए जाने वाले वैधानिक अंकेक्षण कार्य पूर्व वित्तीय वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रतिष्ठित स्थानीय अंकेक्षकों से प्राप्त मानदेय सहमति के आधार पर अंकेक्षक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के लिए 05 सीए फर्मस् से सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं. उनके द्वारा चाहे गए परामर्श शुल्क का तुलनात्मक विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति ने अवलोकनोपरांत बी.सी.पी.जैन एण्ड क. की अंकेक्षण शुल्क न्यूनतम रूपये 30,000/– + सेवाकर/जीएसटी, होने के कारण वित्त समिति द्वारा अनुशंसा की गई। **कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव 'अ' एवं 'ब' का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।** परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव को अंगीकार किया गया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को म0प्र0 शासन के नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति वेतनमान दिए जाने विषयक :–**

वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि संस्थान में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के निहित व्यवस्थानुसार संस्थान की स्थापना समिति एवं फाइनेंस सेल की संयुक्त बैठक दिनांक 11.04.2017 की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :–

श्रेणी	वेतनमान
अकुशल	4000–80–7000
अर्द्धकुशल	4500–90–7500
कुशल	5000–100–8000

उपरोक्त के संबंध में वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि उक्त [illegible] से संस्थान पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वित्त समिति ने विचारोपरांत इस हेतु संस्थान के सेटअप में शासन स्तर पर स्थाई पदों के निर्माण की प्रक्रिया के उपरांत स्थाई कर्मी का वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की। कार्यसमिति के समक्ष यह सुझाव आया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE BHOPAL

कि संस्थान को समस्त कार्यों जैसे प्रवेश, मेरिट, पाठ्यक्रम एवं वित्तीय कार्यों में स्वायत्ता प्राप्त है एवं राज्य शासन के स्थापना लाभ संबंधित आदेश स्वत: प्रभावी नहीं होंगे। अत: उक्त व्यवस्था के लिए संस्थान प्रशासन अपनी स्वायत्ता के अनुरूप परीक्षण कर औचित्य सहित प्रस्ताव पुन: रखे।

सामान्य परिषद में विषय क्रमांक–5 पर उक्त व्यवस्था हेतु संस्थान अपनी स्वायत्ता के अनुरूप नियमानुसार प्रकरण पर विस्तृत चर्चा में सामान्य परिषद के सदस्यों को नियमों से अवगत कराया गया। तदुपरांत सामान्य परिषद संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत कर्मचारियों (जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमादेवी बनाम कर्नाटक सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय की परिधि में नहीं आने वाले) की दीर्घ सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर संदर्भित अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिंदु क्रमांक 1.2 से 1.5 वर्णित वेतनमान का आर्थिक लाभ (कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से बैठक दिनांक 07–02–18 तक काल्पनिक गणना करते हुए) बैठक तिथि 07–02–2018 से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान में 20 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर चुके कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को म0प्र0 शासन के दै.वे.भो. कर्मचारियों की भांति ₹2500/– विशेष भत्ते के रूप में देने विषयक:–**

संस्थान में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों, जिनकी संस्थान में सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 राजपत्र क्रमांक 242, दिनांक 30 मई 2013 द्वारा जारी निर्देशानुसार दै.वे.भो. कर्मचारियों की भांति प्रतिमाह ₹2500/– विशेष भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा 20 वर्ष की कार्यअवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अवधि पूर्ण होने की तिथि से विशेष भत्ते के रूप में ₹2500/– प्रतिमाह प्रदान करने की अनुशंसा की, जिसमें पूर्व से मिल रहे ₹1500/– समाहित हैं। कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया। परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया गया, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों द्वारा बिन्दु क्रमांक–5 की व्यवस्था स्वीकार करने पर उन्हें बिन्दु क्रमांक–6 का लाभ देय नहीं होगा।

विषय क्रमांक –7 **संस्थान में चल रहे निर्माण कार्य विषयक :–**

वित्त समिति द्वारा पूर्व वित्तीय वर्षो से प्रगतिशील कार्य एवं 2017–18 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्यो की अनुशंसा की :–

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2016–17 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	41.35	
2.	बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	70.00	32.39	
3.	वाहय विद्युतीकरण	50.00	26.00	24.00	
4.	खेल मैदान की फैंसिग एवं ड्रेनिग व्यवस्था	35.86	30.00	5.86	
5.	बालक छात्रावास का निर्माण	300.00	190.00	110.00	शासन से रूपये 200.00लाख अपेक्षित
6.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	–	38.00	
7.	विविध छोटे निर्माण कार्य	15.00	12.50	2.50	वित्तीय वर्ष 2016–17 के बकाया देयक
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**759.60**	**505.50**	**254.10**	
प्रस्तावित निर्माण कार्य					
1.	विविध छोटे निर्माण कार्य	26.00		26.00	जीर्णशीर्ण पुराने छात्रावास एवं विज्ञान भवन कक्ष क्र 46 से 51 तक के एसबेसटास शीट को गलेवनाइजशीट में बदलना, बालक छात्रावास हॉस्टल [illegible] रूम में बदलने का कार्य [illegible]
2	संस्थान के सड़कों की मरम्मत एवं	17.00		17.00	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR IEHE, BHOAPL

DIRECTOR ... INSTITUTE ... EXCELLENCE ... HIGHER EDUCATION

3.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52		14.52	
4.	बडा सेमिनार हॉल सह ऑडिटोरियम	610.49			ऑडिटोरियम निर्माण को स्थगित रखने के कारण बजट प्रावधान से विलोपित किया गया।
	योग (प्रस्तावित कार्य)	668.01		57.52	
	कुल योग	1427.61	505.50	311.62	

कार्यसमिति ने 'प्रगतिशील निर्माण कार्य' के बिंदु क्र 5 बालक छात्रावास के संबंध में अपर संचालक ने जानकारी दी कि पिछला बजट खर्च नही हो पाया था। इसलिए नए बजट में प्रावधान नहीं किया गया। आयुक्त महोदय ने निर्माण संबंधी कार्यो 2015–16 के सारे यू.सी. के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्य के लिए अक्टूबर में अनुपूरक बजट में अपने दावा प्रस्तुत करें। इससे लगभग एक करोड की राशि आगामी निर्माण कार्यो की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराए। कार्यसमिति द्वारा उपरोक्त निर्माण प्रस्तावों का विचारोपरात अनुमोदन किया गया। परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक –8 विकास शुल्क में वृद्धि विषयक :–

संस्थान के सीमित संसाधनों से समायानुकूल विकास कार्य जारी रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत सृजित करने के लिए संस्थान के विद्यार्थियो से सामान्य सीट में ₹1000/– तथा एन.आर.आई./पेमेंट सीट में ₹5000/– की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित वृद्धि से संस्थान को लगभग ₹27,00,000/– अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होगा, जिसका उपयोग संस्थान के पूर्व जीर्णशीर्ण कन्या छात्रावास के कमरों तथा विज्ञान विभाग के कक्ष 46 से 51 तक के पुराने एसबेसटोस शीट को गेलोनाइज शीट में बदलने, बालक छात्रावास के लिए होस्टल वार्डन निवास के रूप में रूपांतरित करने, 04 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों में परिवर्तन करने तथा अन्य उपयोगिता के लिए 02 अतिरिक्त कमरों के नवीनीकरण करने में उपयोग किया जाएगा।

वित्त समिति ने विचारोपरांत सामान्य सीट के विकास शुल्क में ₹500/– तथा एन.आर.आई./पेमेंट सीट पर ₹2500/– की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार विकास शुल्क की अनुशंसा की तथा **कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया :–**

सीट	वर्तमान विकास शुल्क	वृद्धि उपरांत विकास शुल्क
सामान्य सीट	₹1500/–	₹2000/–
एन.आर.आई./पेमेंट सीट	₹7500/–	₹10000/–

सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का शैक्षणिक सत्र 2018–19 से क्रियान्वयन के लिए अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक –9 व्यवसायिक पाठ्यक्रम की शुल्क संचरना विषयक :–

संस्थान में पाठ्यैत्तर गतिविधि के अंतर्गत नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त संस्थान में संचालित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पूर्व स्वीकृत शुल्क संरचना में अंशिक संशोधन करते हुए शुल्क संरचना का प्रस्ताव कार्यसमिति के समक्ष रखा गया था। कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और निर्देशित किया कि उपरोक्त प्रस्ताव के समस्त बिंदुओं/ शर्तो के साथ पुनः कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। सामान्य परिषद् कृपया अवगत होना चाहे।

सामान्य परिषद् प्रस्ताव से अवगत हुई।

विषय क्रमांक –10 संस्थान में बड़े सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम के निर्माण विषयक :–

संस्थान मे वर्तमान में 2500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। उनकी पाठ्येत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रम यथा–सेमिनार, कार्यशाला, उपाधि वितरण समारोह, वार्षिक स्नेह सम्मेलन, युवा उत्सव आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेमिनार हॉल/ओडिटोरियम नहीं है। वर्तमान में इन कार्यक्रमों के लिए केवल 50–60 विद्यार्थियो की बैठक क्षमता

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR, IEHE, BHOPAL

वाले छोटे कक्ष उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम की संस्थान को अत्यंत आवश्यकता है।

संचालक द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, भोपाल से इन्डोर स्पोर्ट्स के पास प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्रारंभिक प्राक्कलन चर्चा हेतु प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर अद्योसंरचना विकास (भवन निर्माण, लगभग 550 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, परिसर का विकास एवं वातानुकूलन आदि) हेतु रूपये 6.105 करोड़ का व्यय निर्माण एजेन्सी ने दर्शाया है।

कार्यसमिति द्वारा विचारोपरांत इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कन्या छात्रावास – वार्डन क्वार्टर (वर्तमान वोकेशनल सेल) के मध्य प्रस्तावित बड़े सेमिनार हॉल–कम–ओडिटोरियम के निर्माण के लिए प्राप्त प्राथमिक प्राक्कलन रूपये 6.105 करोड़ के प्रस्ताव तथा उसके नक्शे का अवलोकन किया तत्पश्चात् इस निर्माण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 100.00 लाख की बजट व्यवस्था की अनुशंसा की। शेष धनराशि के लिए राज्य शासन को स्वीकृति हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् ने विचारोपरांत यह निर्णय लिया कि आडिटोरियम के निर्माण को स्थगित करते हुए संस्थान की आवश्यकताओ के अनुरूप इंडोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के पास 300 से 350 की बैठक क्षमता वाले सेमीनार हॉल के निर्माण का प्रकरण विचाराधीन है।

विषय क्रमांक –11 संस्थान में बालक छात्रावास प्रारंभ करने विषयक :–

अ) संस्थान मे प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बाहरी छात्रों के निवास संबंधी महती समस्या निवारण के उद्देश्य से लम्बे समय तक बालक छात्रावास की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान परिसर में म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल द्वारा 100 छात्रों की क्षमता वाले बालक छात्रावास के निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, जिसे वर्ष 2017–18 से प्रारंभ किया जाना अनुमानित है। बालक छात्रावासियों से संस्थान में संचालित वर्तमान कन्या छात्रावासियो की भांति छात्रावास शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका वित्तसमिति द्वारा अनुशंसा की गई थी एवं कार्यसमिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का विचारोपरांत अनुमोदन किया गया।

सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

ब) बालक छात्रावास हेतु कन्या छात्रावास की भांति 01 "वरिष्ठ छात्रावास मैनेजर" तथा 01 "छात्रावास मैनेजर" की सेवाएं लेते हुए कन्या छात्रावास मैनेजर के समतुल्य निम्नानुसार मानदेय दिया जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष निम्नानुसार रखा गया :–

1. वरिष्ठ छात्रावास मैनेजर (पुरूष) हेतु प्रतिमाह मानदेय रूपये 10,500/–

2. मैनेजर (पुरूष) प्रतिमाह रूपये 8500/–

समिति द्वारा विचारोपरांत बालक छात्रावास के लिए 1. छात्रावास मैनेजर प्रतिमाह मानदेय ₹10500/– तथा 2. छात्रावास परिचारक प्रतिमाह मानदेय ₹8500/– पर पद स्वीकृति उपरांत मानदेय की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा बालक छात्रावास हेतु उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार एक छात्रावास मेनेजर तथा छात्रावास परिचारक का मानदेय आधार पर पद स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान करना चाहे।

वित्त नियत्रंक ने सामान्य परिषद् को अवगत कराया कि बालक छात्रावास में छात्रावास मेनेजर तथा छात्रावास परिचारक आदि की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से प्राप्त किए जाने पर संस्थान पर लगभग 4.00 लाख रूपए का वित्तीय भार आएगा। सामान्य परिषद द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया गया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –12 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल के पूर्णकालीक समन्वयक के मानदेय में वृद्धि विषयक :–

संस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल द्वारा विभिन्न अल्प एवं दीर्घकालीन डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेस् तथा ट्रेनिंग प्रोग्रामस् का संचालन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही हैं तथा इससे प्लेसमेंट में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन एवं व्यवस्था हेतु एक पूर्णकालीक समन्वयक की सेवाएं ली जा रहीं हैं, जिसके लिए इन्हें वर्ष 2014–15 से वरिष्ठ मानसेवी शिक्षक के तुल्य प्रतिदिवस अधिकतम मानदेय राशि ₹1100/– का भुगतान हो रहा है।

(क) इनके द्वारा मानदेय में वृद्धि हेतु लगातार अनुरोध किया जाता रहा है। संस्थान में दी जा रही इनकी सेवाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मानदेय में 25 प्रतिशत (₹275/–) की वृद्धि करते हुए मानदेय प्रतिदिवस ₹1375/– किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(ख) उपरोक्त विषय के संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्रेक्षा की गई कि बरकतउल्ला वि.वि. में इस तरह के कार्यों के लिए कितना भुगतान किया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। संस्थान में सहा. प्राध्यापक के पद के समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को रु. 30,000 से 40,000/– पर खुली चयन प्रक्रिया उपरांत नियुक्त करें।

डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त नियंत्रक ने जानकारी दी कि ऐसी ही योग्यता रखने वाला प्रभारी आई.सी.टी. सेल को भी इनके समान ही भुगतान करने की अनुमति दी जाए, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया। विचारोपरांत **कार्यसमिति द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूर्णकालिक समन्वयक तथा प्रभारी आई.सी.टी. सेल के मानदेय में रू. 275/– की दैनिक मानदेय में वृद्धि करते हुए व्यवसायिक पाठ्यक्रम सेल के समन्वयक की खुली चयन प्रक्रिया द्वारा स्थिर मानदेय पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।** सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् व्यवसायिक सेल के पूर्णकालिक समन्वयक के कार्यों तथा आई.सी.टी. प्रभारी के कार्यों से अवगत हुई और कार्यसमिति के अनुमोदन का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –13 **संस्थान परिसर में सौर संयंत्र की स्थापना विषयक :–**

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के संपूर्ण परिसर में विद्युत व्यवस्था पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 20 से 25 लाख का व्यय आता है। गैर–परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों की श्रेणी में सौर ऊर्जा का उपयोग संस्थान के विद्युत ऊर्जा के स्थानापन्न साधन के रूप में करने के लिए संस्थान की विभिन्न समितियों के द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है। इस हेतु संस्थान द्वारा ऊर्जा विकास निगम (म0प्र0 शासन का उपक्रम) लिमिटेड, भोपाल से संपर्क किया गया, उन्होंने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया कि संस्थान की विद्युत खपत के अनुसार 70 कि.वा. क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित कर प्रतिदिवस के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। 70 कि.वा. क्षमता सौर संयंत्र स्थापना की कुल अनुमानित लागत रूपये 42,83,289/– है, जिसमें से केन्द्र एवं राज्य शासन का अनुदान रूपये 19,27,479/– है और शेष अंश राशि रूपये 23,55,810/– (55 प्रतिशत) संस्थान द्वारा वहन योग्य है। उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति ने अत्यंत लाभकारी पाया, सौर संयंत्र स्थापित होने से प्रतिवर्ष विद्युत मण्डल को भुगतान की जाने वाली राशि लगभग रूपये 20.00 लाख की बचत होगी। अतः संस्थान परिसर में वित्तीय वर्ष 2017–18 में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए रूपये 23,55,810/– का बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने सुझाया कि संस्थान में नई नीति के अंतर्गत शून्य इन्वेस्टमेंट पर सौर ऊर्जा को लगाया जा सकता है। कम्पनी द्वारा 10 साल बाद इसे संस्थान को हेंड ओवर शासन के माडल अनुसार किया जा सकता है। इस संबंध में ऊर्जा विकास निगम को अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव को कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –14 **उच्च शिक्षा कोष में राशि जमा करने हेतु नवीन व्यय शीर्ष निर्मित कर बजट प्रावधान विषयक:–**

संस्थान में चल रहे एजीएमपी के अंकेक्षक दल द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार एवं संस्थान में प्रतिवर्ष अध्ययनरत विद्यार्थियों से वापसी योग्य राशियों को छोडकर प्राप्त शुल्क का 1 प्रतिशत उच्च शिक्षा कोष में जमा किया जाना है। राजपत्र क्रियान्वित होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के लिए जमा शुल्क का 1 प्रतिशत रूपये 14,51,720/– जमा होना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आवर्ती व्ययों में नया व्यय शीर्ष "उच्च शिक्षा कोष में योगदान" नाम से सृजित कर बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई।

वर्ष 2017–18 से विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क में "उच्च शिक्षा कोष में योगदान" नाम से कुल शुल्क का (अवधान राशि को छोडकर) 1 प्रतिशत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था। कार्यसमिति ने प्रस्ताव को प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में स्थगित करने का निर्णय लिया। सामान्य परिषद् कृपया अवगत होना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति के निर्णय का अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक –15 **स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना में विद्यार्थियों का योगदान विषयक :–**

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि एजीएमपी के अंकेक्षक दल द्वारा वर्ष 2013–14 से लागू स्वामी विवेकानंद कैरियर योजनांतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी से ₹12/– वार्षिक शुल्क लेकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए कोष बनाने के प्रावधान का उल्लेख किया गया। इस हेतु संस्थान में वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के हिसाब से लगभग रूपये 1,11,612/– बकाया राशि का बजट प्रावधान करने तथा वर्ष 2017–18 से प्रत्येक विद्यार्थी से लिए जाने वाले शुल्क में रूपये 12/– वार्षिक को सम्मिलित करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत दोनों प्रस्तावों की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे। सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया। सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –16 **दो अतिरिक्त सहायक विषयों की शुल्क संरचना विषयक :–**

शैक्षणिक सत्र 2017–18 में संस्थान के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा फोरेंसिक साइंस विषय और फैशन डिजाइन विभाग द्वारा फैशन डिजाइन को अतिरिक्त सहायक विषय के रूप में क्रमशः विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ करने तथा इसके लिए प्रायोगिक शुल्क रूपये 1000/– प्रति सेमेस्टर करने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया था, जिस वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई तथा कार्यसमिति ने चर्चा उपरांत सत्र 2018–19 से उपरोक्त शुल्क संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –17 **मानसेवी अतिथि विद्वानों के लिए बजट व्यवस्था :–**

विज्ञान तथा कला संकाय में प्रस्तावित अतिरिक्त सहायक विषय के अध्यापन के लिए 04 मानसेवी तथा वाणिज्य संकाय के सेक्सन में वृद्धि होने के कारण 03 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2016–17 में शासन द्वारा संस्थान के लिए 54 मानसेवी शिक्षकों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय मे प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017–18 में 61 मानसेवी शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹1,50,00,000/– का बजट प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि संस्थान सत्र 2018–19 से अपने अतिथि विद्वानों को 30 जून तक आमंत्रित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। संस्थान

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

सत्र 2017–18 में अनुमोदित 61 अतिथि विद्वानो (बाद में 70 अतिथि विद्वानों की स्वीकृति प्राप्त हुई) के लिए विज्ञप्ति आगामी सत्रों में भी जारी कर सकता है, इसके लिए बार–बार शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करें। आने वाले सत्रों में अनुमोदित संख्या के अतिरिक्त यदि और अतिथि विद्वानों की आवश्यकता पडती है तो उसके लिए शासन से अलग से अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जा सकता है। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् ने निर्णय लिया कि संस्थान में चल रहे ऑनर्स पाठ्यक्रमों के जिन विषयों में विशेष योग्यता की आवश्यकता होगी उसे अतिथि विद्वानो के विज्ञापन मे सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किए जाएं। साथ ही कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णय का सामान्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किया।

विषय क्रमांक –18 शोध केन्द्र की स्थापना बावत् :–

संस्थान में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और बायोटेक्नालॉजी विषय मे शोध केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। लेकिन बजट में विधिवत प्रक्रिया एवं विस्तृत प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देशित किया। विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

कार्यसमिति की सैद्धांतिक स्वीकृति को सामान्य परिषद् ने अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –19 प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखने के लिए अनुमति बावत् :–

संस्थान में ऑनर्स पाठ्यक्रम होने के कारण स्थापना वर्ष 1995–96 से ही संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पृथक रूप से संस्थान द्वारा निष्पादित की जाती रही है। वर्ष 2016–17 तक संस्थान के पृथक ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है और प्रतिवर्ष समस्त प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर 1 जुलाई से निगिमत रूप से कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती रही हैं। परंतु वर्ष 2017–18 में संस्थान को अन्य महाविद्यालयों के साथ ई–प्रवेश पोर्टल में सम्मिलित किए जाने के कारण प्रवेश तिथि 31 अगस्त तक बढ़ गई जिसके कारण नए प्रवेशित विद्यार्थी अपने अध्ययन में पिछड गए है। अतः संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया पूर्व वर्षो की भांति स्वयं संस्था द्वारा पोर्टल पर निष्पादित करने के लिए संचालक को अधिकृत करने की अनुमति देना चाहें। प्रस्ताव पर कार्यसमिति ने सहमति प्रदान की तथा आगामी सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखने का संचालक का प्रस्ताव शासन को अनुशंसा के लिए प्रेषित करने का निर्देश दिया। ज्ञातव्य है कि संस्थान द्वारा दिनांक 15–12–2017 को शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् ने आगामी सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखने के लिए कार्यसमिति की सहमति का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –20 विश्व बैंक के लिए आई.डी.पी. प्रस्ताव तैयार करने बावत् :–

विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित, म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 200 शासकीय महाविद्यालयों को उनके ढांचागत एवं शैक्षणिक विकास के लिए रूसा के माध्यम से प्रत्येक महाविद्यालय को 10 से 12 करोड रूपए दिए जाना है। संस्थान द्वारा 17.896 करोड रूपए का आई.डी.पी. (इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान) आई.आई.एम. इंदौर को दिनांक 27–10–2017 को प्रेषित किया जा चुका है। संस्थान के ढांचागत पुनरोद्धार एवं शैक्षणिक नवोत्थान और नवाचार के लिए निम्नांकित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रेषित किए गए हैं :–

(1) वाणिज्य विभाग में – बी.कॉम. में अतिरिक्त विषय के रूप में कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम, तथा पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट फाइनेंनसिंग एनालाइसिस प्रारंभ करना।

(2) कम्प्यूटर साइंस विभाग में – डिप्लोमा इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट।

(3) रसायनशास्त्र विभाग में – बी.एस–सी में अतिरिक्त विषय के रूप में फारेंसिक साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करना।

(4) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी एवं गणित विषय के लिए केन्द्रियकृत [illegible] प्रयोगशाला प्रारंभ करना।

(5) आई.क्यू.ए.सी. के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा – आई.ए.एस., एम.पी.पी.एस.सी. [illegible] ओ. आदि के लिए **विशेष अध्ययन एवं कोचिंग केन्द्र** की स्थापना

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR IEHE BHOPAL

उपरोक्त बिंदुओं के लिए कार्यसमिति ने निर्देश दिया कि संस्थान स्तर पर आई.डी.पी. बनाकर गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव के संबंध में संस्थान द्वारा आई.डी.पी. तैयार कर दिनांक 28–09–2017 को आई.आई.एम. इंदौर में प्रस्तुत कर दिया गया है। सामान्य परिषद् कृपया अवगत होना चाहें।

प्रस्तुत प्रस्ताव से सामान्य परिषद् अवगत हुई।

विषय क्रमांक –21 जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए-गए निर्णय के परिपालन में मार्गदर्शन –

संस्थान की स्थापना वर्ष से ही संस्थान की सामान्य परिषद् के अनुमोदन उपरांत संस्थान की आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों हेतु जिलाध्यक्ष/संविदा कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं। वर्तमान में संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर 19 और मानसेवी आधार पर 21 कर्मचारी कार्यरत् है। जिलाध्यक्ष दर पर सेवारत् 19 कर्मचारियों जिनकी सेवा अवधि संस्थान में 15–20 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके द्वारा मान. उच्च न्यायालय में नियमितिकरण के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्णय लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिलाध्यक्ष दर पर सेवारत् कर्मचारियों के नियुक्ति के समय अर्थात् संस्थान की स्थापना वर्ष से ही संस्थान में पद स्वीकृत नहीं थे और उन्हे मासिक मजदूरी का भुगतान कोषालय से न होकर संस्थान अपने स्वय के वित्तीय स्रोतों से भुगतान करता आ रहा है। उक्त कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण के परिप्रेक्ष्य में गठित विभागीय छानबीन समिति के पत्र क्रमांक एफ–1–11/2013/38–3, भोपाल, दिनांक 20–05–2015 द्वारा संस्थान में रीडिप्लायड चतुर्थ श्रेणी रिक्त 12 पद संस्थान के सेटअप में स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए अमान्य किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन मे निर्णय लिया जाना है।

संस्थान एक स्वायत्त संस्था है, अतः संस्थान स्वयं इस प्रकरण मे परीक्षण कर पूर्ण औचित्य सहित अपनी अनुंशसा प्रस्तुत करें। साथ ही जानकारी दी कि उमादेवी प्रकरण के अंतर्गत ये कर्मचारी आते हैं तो इस प्रकरण पर विचार किया जा सकता है।

सामान्य परिषद् ने यह निर्णय लिया कि संस्थान में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण का विस्तृत विवरण पूर्व संदर्भो सहित शासन के समक्ष पुनः प्रस्तुत करे।

विषय क्रमांक –22 सी.बी.सी.एस. लागू करने के संबंध में :–

कार्यसमिति की बैठक मे डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त नियंत्रक द्वारा संस्थान मे सी.बी.सी.एस. लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यसमिति मे यह राय बनी कि फिलहाल सी.बी.सी.एस. प्रणाली को विचाराधीन रखा जाए तथा संस्थान में सत्र 2008–2009 के पूर्व से (सत्र 1995 से) सेमेस्टर प्रणाली के प्रचलन में होने एवं सामान्य पाठ्यक्रम से भिन्न ऑनर्स पाठ्यक्रम होने के कारण सेमेस्टर प्रणाली को निरंतर रखे जाने हेतु प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया। सामान्य परिषद् कृपया अवगत होना चाहे।

सामान्य परिषद् कार्यसमिति के प्रस्ताव का अंगीकरण किया।

भाग–2

शासी निकाय की बैठक दिनांक 24–08–2016 की बैठक में पारित बिंदु का अंगीकरण :

विषय क्रमांक –1 संस्थान में शासी निकाय एवं सामान्य मद से कार्यरत् मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का अंगीकरण :

संस्थान की शासी निकाय की बैठक क्रमांक–08, दिनांक 24–08–2016 में पूर्व बैठक दिनांक 06–11–2015 में लंबित विषय संस्थान में मानसेवी आधार पर कार्यरत् प्रोग्रामर/ इनके समकक्ष, सहा. प्रोग्रामर या इनके समकक्ष/स्टेनोंग्राफर तथा डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि के संबंध में गठित परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार 01 जुलाई, 2014 के मानदेय में दिनांक 06–11–2015 से 25% की वृद्धि को अनुमोदित किया गया है ।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

INSTITUTE ... LLENCE IN HIGHER EDUCATION BHOPAL-462016.

उल्लेखनीय है कि संस्थान मे सामान्य बजट से भी मानसेवी आधार पर प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं समतुल्य पद पर कुल 06 कर्मचारी कार्यरत् हैं और सामान्य परिषद की बैठक क्रमांक 01 दिनांक 12-09-2011 मे लिए गए निर्णय अनुसार संस्थान में कार्यरत समान कार्य के लिए समान मानदेय का निर्णय पारित किया गया है। कृपया सामान्य परिषद अवगत हो निर्णय को अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा शासी निकाय के निर्णय का अंगीकरण किया। साथ ही संस्थान में कार्यरत् मानसेवी कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वेब डिजाइनर, सहा. प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डॉटा इंट्री ऑपरेटर तथा समतुल्य समान कार्य के लिए समान मानदेय की स्वीकृति प्रदान की।

भाग–3

सामान्य परिषद की पूर्व की बैठक दिनांक 11–05–2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :

संस्थान की सामान्य परिषद की दिनांक 11-05-2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण सामान्य परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत यथासमय सामान्य परिषद के सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। परिषद कृपया इसका अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहे।

सामान्य परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 11-05-2016 के कार्यवाही विवरण को अंगीकृत किया गया।

दिनांक 11–05–2016 की बैठक में चर्चा होने से रह गए बिंदुओं का अनुमोदन :

विषय क्रमांक–1 **दिनांक 11–05–2016 में सामान्य परिषद् में अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में चर्चा होने से रह गए बिंदुओं पर चर्चा :**

सामान्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 11-05-2016 में लिए गए निर्णय अनुसार बैठक में चर्चा होने से रह गए विषय जिसे अंकेक्षक द्वारा 'नोट्स टू अकाउंट्स' का विवरण निम्नानुसार है (संलग्नक भाग-1) :-

(1) बिंदु क्रमांक-2 के 2 श्रीमती कल्पना मलिक के सम्मुख दर्शाई गई ऋणात्मक राशि रू. 4000/- का परीक्षण उपरांत निराकरण कर दिया गया है।

(2) बिंदु क्रमांक-2 के 3 श्री व्ही.एस. राय के सम्मुख दर्शाई गई ऋणात्मक शेष राशि रू. 1019/- का परीक्षण कर आवश्यक टेली प्रविष्टि कर दी गई है।

(3) बिंदु क्रमांक-2 के 1 में श्री लालाराम रायकवार के नाम के समक्ष ऋणात्मक रू. 4,848/- दर्शाया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2015 तक के हैं का विस्तृत परीक्षण सी.ए. द्वारा कराए जाने के उपरांत निराकरण करना प्रस्तावित है।

(4) बिंदु क्रमांक-4 – म.प्र. लघु उद्योग निगम को किए गए भुगतानों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2009-10 में आयकर विभाग के नोटिस के आधार पर भुगतान की गई टीडीएस राशि रू. 25,763/- की वसूली म.प्र. लघु उद्योग निगम से किए जाने के संबंध में संस्थान के संचालक द्वारा कई बार पत्र व व्यक्तिगत सपर्क के उपरांत म.प्र. लघु उद्योग निगम से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि संस्थान द्वारा उक्त टीडीएस राशि आयकर विभाग के माध्यम से उनके खाते में जमा कराए जाने के उपरांत वापसी योग्य होने का पत्र संस्थान को उपलब्ध कराया है।

(5) बिंदु क्रमांक-5 – 31 मार्च, 2015 तक संस्थान के पास कुल रू. 1,15,58,576/- अवधान राशि जमा है जिसमें से रू. 22,35,076=00 राजसात योग्य है एवं शेष राशि रू. 93,23,500/- विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्ति उपरांत समयावधि में अवधान राशि वापिस कर दी जावेगी।

(6) बिंदु क्रमांक 6 के 'अ' में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संस्थान के खाता क्रमांक 0737 में विद्यार्थियों तथा अन्य पक्षकारों द्वारा सीधे जमा की गई राशियाँ रू. 1,66,120/- की प्रविष्टि संस्थान के रोकड बही के पृ. क्र. 391 में दर्ज कर दी गई हैं।

(7) बिंदु क्रमांक 6 के 'ब' में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संस्थान के खाता क्रमांक 245 से पूर्व में जारी किए गए चेक जो प्राप्तकर्ता द्वारा समय पर बैंक मे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रू. 3,37,476/- के चेक निरस्त हो गए थे उनकी प्रति प्रविष्टि रोकड बही में [illegible] कर दी गई है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

(8) बिंदु क्रमांक 6 के 'स' में वित्तीय वर्ष 2013-14 के निरस्त चेक रू. 14,[illegible] के बदले में जारी किए गए नए चेकों की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों मे कर दी गई है।

DIRECTOR

(9) बिंदु क्रमांक 7 में उल्लेखित 05 चेक की कुल राशि रू. 2500/– जो संस्थान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 0737 में वित्तीय वर्ष 2012–13 में जमा की गई थी, परंतु बैंक के द्वारा संस्थान के खाते में जमा नहीं की गई थी। संस्थान के संचालक के पत्र एवं व्यक्तिगत संपर्क के उपरांत बैंक द्वारा दिनांक 22–06–2016 को संस्थान के खाते में जमा कर दी गई।

(10) बिंदु क्रमांक 8 में उल्लेखित म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क. लि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में संस्थान के सुरक्षा राशि पर दिया गया ब्याज रू. 17,536/– की टेली प्रविष्टि पुस्तकों में कर दी गई है।

उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में संस्थान के वित्त नियंत्रक ने सामान्य परिषद् को अवगत कराया कि ऑडिट आपत्तियों का निराकरण करा लिया गया है। परिषद् उक्त बिंदुओं से अवगत हुई।

विषय क्रमांक–2 संस्थान के पूर्व छात्रों द्वारा जमा की गई अवधान राशि को राजसात करने के संबंध में चर्चा :

उक्त विषय को दिनांक 28–08–2017 के कार्यसमिति की बैठक के बिंदु क्रमांक–2 में चर्चा हेतु सम्मिलित किया गया है।

सामान्य परिषद् द्वारा इस कार्यसूची के भाग–1 के विषय क्रमांक–2 में निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–3 सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 11–05–2016 में सुझाए गए प्रारूप के अनुसार पालन–प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :

सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 11–05–2016 में सुझाए गए प्रारूप के अनुसार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत है अवलोकन कर अंगीकरण करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 11–05–2016 के प्रारूप का अंगीकरण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :

1– विज्ञान विषय लेकर हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल के स्थान पर बी.एस.सी. (ऑनर्स) भूगोल की डिग्री प्रदान करना :

ऐसे विद्यार्थी जो विज्ञान संकाय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थान में स्नातक स्तर पर भूगोल ऑनर्स पढ़ते हैं उन्हें वर्तमान में बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल की उपाधि दी जाती है। जबकि प्रदेश के विक्रम, सागर आदि विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों को बेचलर ऑफ साइंस की उपाधि दी जाती है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों में भी ऐसे विद्यार्थियों को बी. एस.सी. (ऑनर्स) भूगोल की उपाधियाँ दी जाती हैं (संलग्नक–2 एवं 3)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी बी.एस.सी. ऑनर्स भूगोल का पाठयक्रम अनुमोदित है तथा देश के लगभग 19 विश्वविद्यालयों में भी बी.एस.सी (ऑनर्स) भूगोल की उपाधियाँ दी जाती हैं। संस्थान के विद्यार्थियों के लिए इसकी पुरजोर माँग है। अतः यह प्रस्तावित है कि संस्थान में सत्र 2018–19 प्रथम सेमेस्टर से विषयांतर्गत विद्यार्थियों को बी.एस.सी. (ऑनर्स) भूगोल की डिग्री दी जाए। सामान्य परिषद् कृपया इसे अंगीकार करना चाहें।

लाभ :

उपरोक्त उपाधि के नामकरण में परिवर्तन से संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थी इसरो, जी. आई.एस./रिमोट सेंसिंग, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, आपदा प्रबंधन तथा अन्य शासकीय विभागों में विभिन्न तकनीकी पदों यथा – अरबन प्लानर, कार्टोग्राफर, पर्यावरण प्रबंधक, विश्लेषक आदि पदों पर कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकेंगे।

सामान्य परिषद् अन्य विषय के रूप में प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई एवं शैक्षणिक सत्र 2018–19 से स्नातक प्रथम वर्ष से विषयांतर्गत विद्यार्थियों को बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल के स्थान

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION

पर बी.एस.सी. (ऑनर्स) भूगोल की डिग्री देने की स्वीकृति इस व्यवस्था के साथ प्रदान की कि पाठ्यक्रम से संबंधित अकादमिक परिषद् की सहमति तथा अन्य व्यवस्थाएँ पाठ्यक्रम आरम्भ से पूर्व प्राप्त कर ली जावे।

2– एम.एस.सी. के शुल्क का पुनः निर्धारण करने बावत् :

संस्थान में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोटेनालॉजी तथा गणित विषय उपलब्ध है। इसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायोटेक्नालॉजी में रू. 38,450/– शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है तथा गणित विषय में औसत शुल्क 15,630/– लिया जा रहा है। इसके विपरीत भोपाल में स्थित अन्य महाविद्यालयों में यह शुल्क लगभग रू. 2231/– से रू. 5000/– हजार तक है। एम.एस.सी. में शुल्क अधिक होने के कारण विद्यार्थी प्रवेश नही लेते हैं। विगत पाँच वर्षों में विज्ञान संकाय में 50 प्रतिशत सीट ही भरपाई हैं (संलग्नक–4)। सीट खाली रहने के कारण संस्थान को पूरा शुल्क प्राप्त नहीं हो पाता है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त शुल्क का विवरण संलग्नक–5 में उल्लेखित है।

संस्थान के फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोटेनालॉजी के नियमित प्राध्यापकों ने स्नातकोत्तर स्तर पर ट्यूशन फीस रू. 21,500/– से रू. 10,500/– करने हेतु अनुरोध किया है तथा प्रस्ताव दिया है (संलग्नक–6) तथा कॉमर्स संकाय एवं कला संकाय के स्नातकोत्तर छात्रों की अवधान राशि रू. 5000/– के स्थान पर रू. 2000/– किया जाना प्रस्तावित है (संलग्नक–7)।

शुल्क कम करने से स्नातकोत्तर स्तर पर अधिक से अधिक छात्रों को संस्थान में पढने का मौका मिलेगा यह माननीय मुख्यमंत्री की मंशा को पूर्ण करेगा। जो मेधावी योजना लागू करते समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिक से अधिक संख्या में छात्र अध्ययन करें, यह मंशा जाहिर की थी।

सामान्य परिषद् के समक्ष अतिरिक्त विषय के रूप में प्रस्तुत एम.एस.सी., बायोटेक्नालॉजी, भौतिकी, रसायनशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक शुल्क को रू. 21,500/– से घटाकर रू. 10,500/– करने तथा वाणिज्य एवं कला विषय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधान राशि को रू. 5000/– से घटाकर रू. 2000/– करने के प्रस्ताव की शैक्षणिक सत्र 2018–19 से करने की स्वीकृति प्रदान की।

(डॉ. ए. ...) 7.2.18
सदस्य सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR, INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

170

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

सामान्य परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक : 01/2019

दिनांक : 29–01–2019

स्थानः उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल समयः प्रातः 11.00 बजे

उपस्थिति

1	माननीय श्री जीतू जी पटवारी, मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल	अध्यक्ष
2	श्री नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल	उपाध्यक्ष
3	श्री वेद प्रकाश, अपर आयुक्त, (प्रतिनिधि आयुक्त) उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
4	श्रीमती सुषमा शर्मा, उप सचिव, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) आदिम जाति कल्याण कल्याण विभाग,म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
5	श्री शुभा जीत यादव, अति.सचिव (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
6	श्री आर.के. मेहरा, सचिव (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव), लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
7	डॉ. कृष्णकांत शर्मा, प्राध्यापक गणित (म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त शिक्षाविद्) के.आर.जी महाविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
8	डॉ. मीरा पिंगले, प्रभारी संचालक, उ.शि.उ.सं. भोपाल	सदस्य–सचिव
9	डॉ. एन.आर. दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक उ.शि.उ.सं. भोपाल	विशेष आमंत्रित
10	डॉ. शारदा गंगवार, प्राध्यापक वाणिज्य एवं उप वित्त नियंत्रक, उ.शि.उ.सं. भोपाल	विशेष आमंत्रित
11	डॉ. पी.एल. सनोडिया, प्राध्यापक गणित एवं स्थापना प्रभारी उ.शि.उ.सं.भोपाल	विशेष आमंत्रित
12	डॉ. शिरीष जोशी, प्राध्यापक, भौतिकी एवं संयोजक निर्माण समिति उ.शि.उ.सं. भोपाल	विशेष आमंत्रित

प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग म.प्र. शासन एवं श्री व्ही.के. शुक्ला, प्राध्यापक वाणिज्य एवं संयोजक योजना एवं मूल्यांकन समिति, उ.शि.उ.सं. भोपाल कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

संस्थान की सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 29–01–2019 को सामान्य परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवाजी, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपरिथत सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया तथा संस्थान का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदया को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

विषय क्रमांक –1 सामान्य परिषद् की विगत् बैठक दिनांक 07–02–2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–

संस्थान की सामान्य परिषद् की दिनांक 07–02–2018 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण सामान्य परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत यथासमय सामान्य परिषद् के सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। परिषद् कृपया इसका अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने निर्देशित किया कि आगामी समय में आयोजित किए जाने वाली बैठकों में पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जावे। समिति सदस्यों द्वारा पिछली बैठक 07.02.2018 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर प्रस्ताव को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –2 वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संस्थान की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण बी.सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार अंकेक्षण प्रतिवेदन को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

ने अंकेक्षण प्रतिवेदन के "नोट्स टू अकाउंटस" के बिन्दु क्रमांक 4–A और B के संबंध में पूर्व वर्षों के समायोजित राशियों के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत मासिक बैंक समाधान पत्रक तैयार करने के लिए निर्देशित किया, जिससे लेखांकन की त्रुटियों को समय पर सुधारा जा सके। बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित एस.बी.आई. आई–कलेक्ट के संबंध में निर्देशित किया कि संचालक द्वारा लेखा शाखा को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि आई–कलेक्ट की प्रविष्टि दैनिक आधार पर रोकड़ बही में दर्ज की जाए। बिन्दु क्रमांक 6 के संदर्भ में निर्देशित किया कि संस्थान के विद्युत देयक में उल्लेखित अवधान राशि, अवधान राशि पर ब्याज तथा उसके संबंध में काटे गए टी.डी.एस. की राशि की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में पृथक–पृथक की जाए। बिन्दु क्रमांक 13 के संदर्भ में समिति ने यह उल्लेखित किया कि सी.ए. के परामर्श अनुसार NEFT भुगतान फेल होने की स्थिति में बैंक विवरण से इसकी पुष्टि कर उसकी प्रविष्टि लेखा पुस्तक में करने के उपरांत पुनः भुगतान की कार्यवाही की जाए। बिन्दु क्रमांक 17 में उल्लेखित आहरण जिनकी रोकड़ पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं होना दर्शित है, के संबंध में समिति ने चर्चा की, जिसके तारतम्य में वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि सूची में उल्लेखित अधिकांश राशि की जांच उपरांत संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि करा दी गई है, साथ ही समिति को यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों (सूची डी) के लिए म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को वर्ष 2013–14 से दिए गए अग्रिमों में से ₹7.96 करोड़ का समायोजन की प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा पुस्तक में कर दी गई है। शेष आडिट बिन्दुओं के संबंध में समिति ने निर्देशित किया कि संस्थान के वर्तमान सी.ए. बी.सी.पी. जैन एण्ड कं. के मार्गदर्शन में यथाशीघ्र समाधान कर लिया जाए। उपरोक्त चर्चा एवं निर्देशों के उपरांत वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई। कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया। कृपया सामान्य परिषद् अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें ।

बैठक में सामान्य परिषद् के सदस्यों द्वारा यह प्रेक्षा की गई संस्थान में बैंक समाधान विवरण किस आधार पर तैयार किया जाता है एवं अन्य लेखा सबंधी आपत्तियों की क्या स्थिति है ? इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने परिषद को यह अवगत कराया की लेखा संबंधी अधिकतम आपत्तियों को निराकरण करा लिया गया है और शेष आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है, साथ ही यह अवगत कराया की संस्थान में त्रैमासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार किये जाते है।

सामान्य परिषद ने अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

शासन से प्राप्त अनुदान – राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास हेतु ₹3.53 करोड़, रूसा कम्पोनेन्ट–9 के अंतर्गत ₹2.00 करोड़ तथा आई.डी.पी. अंतर्गत ₹1.00 करोड़ आवंटित राशि और स्वयं के साधनों से (परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से प्राप्त राशि तथा बैंक ब्याज सहित) ₹6.4509 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल प्रावधित प्राप्तियों ₹12.5809 करोड़ के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सामान्य बजट भाग–1 के कुल प्रावधित व्यय ₹14.6546 करोड़ का आकलन किया गया है, जिसमें से गैर–आवर्ती व्यय शीर्ष में ₹9.0781 करोड़ तथा आवर्ती व्यय शीर्ष में ₹5.5765 करोड़ का आकलन किया गया है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट घाटा ₹2.1287 करोड़ की पूर्ति शासन से प्राप्त होने वाले – बालक छात्रावास के निर्माण हेतु शेष ₹2.00 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक ₹80.00लाख प्रतिवर्ष अनुदान के हिसाब से ₹4.00 करोड़ की राशि तथा संस्थान के संचित साधनों से पूर्ति से करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा अवलोकन उपरांत वित्तीय वर्ष 2018–19 के सामान्य बजट भाग–1 की प्राप्ति तथा भुगतान मद में सम्मिलित राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत राशि ₹3.53 करोड़ को विलोपित करने का निर्देश देते हुए बजट भाग–1 की विस्तृत व्यवस्थाओं की अनुशंसा की। वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2018–19 की प्रावधित आय रू. 9.0500 करोड़ तथा प्रावधित व्यय 11.1787 करोड़ तथा बजट घाटा 2.1287 करोड़ है।

कार्यसमिति ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव का अवालेकन कर बजट घाटे के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए यह सुझाव दिया कि बजट घाटे को कम से कम करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। कार्यसमिति द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार, वित्त नियंत्रक ने बजट घाटे को कम करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है – मानसेवी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि संबंधी शासन के आदेश (26–06–2018) अनुसार मानदेय भुगतान के लिए बजट में रू. 46.50 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, साथ ही निर्माण व्ययों में रू. 63.74 लाख की कमी, कम्प्यूटर–प्रिंटर्स में रू. 10.00 लाख की कमी, फर्नीचर मद में रू. 20.00 लाख की कमी, इंटरनेट नेटवर्किंग में रू. 10.00 लाख की कमी, खेल उपकरणों में रू. 1.00 लाख की कमी,

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

168

विद्युत उपकरणों में रू. 10.00 लाख की कमी, नए वाहन क्रय में रू. 8.50 लाख की कमी, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य सामग्री में रू. 2.35 लाख की कमी, प्रशासकीय व्यय में रू. 31.00 लाख की कमी, पाठ्येतर गतिविधियों में रू. 6.00 लाख की कमी, होस्टल मरम्मत आदि विविध व्ययों में रू. 45.50 लाख की कमी के उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित बजट में सकल कमी रू. 172.34 लाख होगी और शुद्ध बजट घाटा रू. 40.53 लाख होगा। कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर संशोधित बजट प्राक्कलन वर्ष 2018–19 को अनुमोदित किया। कृपया सामान्य परिषद बजट प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

समिति द्वारा बजट 2018–19 का अवलोकन कर निर्देशित किया कि आगामी वर्ष में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए अधिक बजट व्यवस्था रखी जाए। शासन स्तर पर इस वर्ष युक्तियुक्तिकरण के अंतर्गत राशि उपलब्ध होने पर अनुदान राशि की व्यवस्था की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ समिति द्वारा वर्ष 2018–19 के बजट को अंगीकृत किया।

विषय क्रमांक –4 संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण विषयक :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा पुस्तकों का वैधानिक अंकेक्षण तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयकर फार्म 24Q तथा 26Q का त्रैमासिक विवरणी फाइल किया जाना है। अंकेक्षण कार्य हेतु गत वर्ष 2017–18 में बी.सी.पी. जैन एवं कं. का चयन प्राप्त निविदा एवं सहमति पत्र के आधार पर किया गया है। वैधानिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण शुल्क के रूप में रू. 30000+सेवाकर/जी.एस.टी. तथा टैक्स आडिट हेतु ₹20,000/– वार्षिक एवं टी.डी.एस. संशोधन हेतु ₹2,000/– एवं आयकर विभाग में संस्थान का पक्ष रखने हेतु ₹8,000/– अधिकतम प्रति नोटिस की स्वीकृति सामान्य सभा द्वारा प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान का अंकेक्षण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करना है, क्योंकि संस्थान के संचालक की सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2018 है और सामान्यतः एक अंकेक्षक से तीन वित्तीय वर्षो में अंकेक्षण कार्य कराये जाने की परम्परा है। इन्हीं प्रावधानों के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के लिए बी.सी.पी. जैन एण्ड कं. का नाम प्रस्तावित किया गया है। वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की एवं कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा उक्त व्यवस्था का अंगीकरण किया गया, साथ ही संचालक को यह निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 का अंकेक्षण का कार्य सितंबर 2019 तक पूर्ण करा लिया जावे।

विषय क्रमांक –5 संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयकः

पूर्व वित्तीय वर्षो से प्रगतिशील कार्य एवं 2018–19 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्य संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए वित्त समिति की अनुशंसा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कार्यसमिति ने वित्त समिति द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों में निम्नानुसार संशोधन उपरांत संशोधित निर्माण कार्यो का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2017–18 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
तिशील निर्माण कार्य :–				
10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	10.00	
बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	70.00	20.00	
बाह्य विद्युतीकरण	50.00	26.00	05.00	
खेल मैदान की फैंसिग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	25.00	05.86	
बालक छात्रावास का निर्माण	300.00	270.00	30.00	
ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	01.00	
विविध छोटे निर्माण कार्य	15.00	02.50	02.50	
विविध छोटे निर्माण कार्य (सहायक)	26.00	05.00	00.00	
संस्थान के सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य	17.00	17.96	3.00	GST एवं लागत में वृद्धि
बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	00.00	14.52	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

ड़ा सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम	610.49	00.00	00.00	निर्माण शासन से अनुदान प्राप्त होने पर
योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	1427.51	593.46	91.88	
त निर्माण कार्य :–				
आई.डी.पी.				
णित विभाग के ऊपर सेंट्रल लेब का उन्नयन	100.00	00.00	55.00	प्राप्त राशि से प्रस्तावित
नये अकादमिक ब्लॉक के ऊपर द्वितीय तल का जीर्णोद्धार	09.80	00.00	05.00	
विद्यार्थियों के पार्किंग स्थल पर शेड का निर्माण	50.00	00.00	20.00	
फोरेंसिक साइंस लेब का विस्तार एवं उन्नयन	20.00	00.00	10.00	
राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास				
भूतल पर 6 नये कक्षों का निर्माण	353.09	00.00	353.09	राज्य योजना के अंतर्गत
रूसा योजनांतर्गत विभागीय आवंटन				
प्रशासनीक भवन का निर्माण	100.00	00.00	100.00	रूसा कम्पोनेंट–09 में रू. 160.00 लाख प्राप्त राशि से व्यय
पुराने कन्या छात्रावास का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कर अध्यापन कक्षों में परिवर्तित करना	60.00	00.00	60.00	
संस्थान स्तर पर निर्माण कार्य				
बहूउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण (300 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था)	375.00	00.00	00.00	
विद्यार्थी पार्किंग गेट के पास गार्ड रूम का निर्माण	03.00	00.00	03.00	
बालक छात्रावास से निजी नियामक आयोग के गेट तक एंगल तथा वारवेट वॉयर फेंसिंग का निर्माण	07.00	00.00	07.00	
विद्यार्थी पार्किंग गेट के पहुँच मार्ग का RCC वर्क तथा पुराने RCC की मरम्मत	10.00	00.00	10.00	
योग (प्रस्तावित कार्य)	1087.89	593.46	365.00	
कुल योग	2515.40	593.46	456.88	

सामान्य परिषद की बैठक में माननीय प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को पत्र लिखकर मरम्मत कार्य फरवरी 2019 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें अन्यथा शेष बची हुई राशि से संस्थान के शेष मरम्मत कार्य शासकीय नियमानुसार पूर्ण करा लिए जाए।

विषय क्रमांक –6 संस्थान में बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल का निर्माण विषयक :

वित्त नियंत्रक ने वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में वर्तमान में 2700 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं, उनके पाठ्यैत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित होने वाली दैनंदिनों की विविध गतिविधि यथा–सेमिनार, कार्यशाला, विषय संबंधी विशेष व्याख्यान आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल नहीं हैं। वर्तमान में इन कार्यक्रमों के लिए केवल 50–60 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले छोटे कक्ष उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल की संस्थान को अत्यंत आवश्यकता है। इस महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान के सामान्य सभा के अध्यक्ष, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.02.2017 को संस्थान में रोजगार मैले के उद्घाटन कार्यक्रम में संस्थान में बड़े सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया गया था। साथ ही, संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु इस संबंध में निर्देशित किया गया था।

माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार संचालक द्वारा 300 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल हेतु निर्माण एजेन्सी म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, भोपाल से नये अकादमिक ब्लॉक के पास सेमीनार हॉल निर्माण के लिए संपर्क किया गया, जिस पर लगभग ₹375/– लाख व्यय

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

166

होना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1.00 करोड़ का प्रावधान बजट भाग–1 में किया गया है। वित्त समिति ने विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की तथा इस संदर्भ संचालक द्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल के लिए म.प्र. गृह निर्माण मंडल से प्राप्त विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रस्तावित सेमीनार हॉल की अनुमानित लागत 356 लाख आंकी गई। प्रस्तावित सेमीनार हॉल का नक्शा भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रस्तावित सेमीनार हॉल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत यह व्यवस्था दी है कि इस निर्माण पर व्यय होने वाली राशि रू. 356 लाख की व्यवस्था के लिए संस्थान के स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोत (जैसे – शासन, यूजीसी इत्यादि) खोजे जाने तक इस मद में बजट प्रावधान 2018–19 की राशि रू. 100 लाख का व्यय न किया जाए जिससे संस्थान का वित्तीय घाटा 2.12 करोड़ से घटकर 1.12 करोड़ जो जाएगा। उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य निर्माण संबंधी बजट प्रावधानों का अनुमोदन कार्यसमिति द्वारा किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद की बैठक में संस्थान की संचालक द्वारा सामान्य परिषद् को अवगत कराया गया कि ऊपर वर्णित कार्यों का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक की आईडीपी के अंतर्गत भेजा गया है। संस्थान की वित्तीय स्थिति से अवगत होते हुए प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा संचालक को स्मरण कराया कि संस्थान की आईडीपी पूर्व आयुक्त द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है और आईडीपी की राशि शीघ्र ही संस्थान को उपलब्ध होगी, अतः बहुउद्देशीय सेमिनार हाल तथा ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य संस्थान के बजट से न कराएँ।

विषय क्रमांक –7 नहर चौराहा से संस्थान तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने विषयक :

निजी ऑपरेटरों द्वारा सशुल्क व्यवस्था करने हेतु निविदा जारी करें। विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक रहेगा। कार्यसमिति के निर्णयानुसार सभी को शुल्क देना आवश्यक था। अनिवार्य नहीं रखे जाने पर विचार करना चाहें।

सामान्य परिषद् की बैठक में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संस्थान के छात्रों के लिए मैजिक वाहन की सुविधा 1 फरवरी, 2019 से उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने वाले छात्र स्वयं ही वाहन शुल्क का भुगतान सुविधा प्रदाता एजेंसी को करेंगे।

विषय क्रमांक –8 संस्थान के कन्या छात्रावास के मेनेजर तथा परिचारक के मानदेय में वृद्धि विषयक :

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के कन्या छात्रावास में मानसेवी आधार पर कार्यरत सुश्री अर्चना यादव 23 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत हैं। साथ ही, परिचारक के रूप में श्रीमती गिरिजा कुमारी, विगत में 05 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वर्ष 2014 के पश्चात् किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। विगत् 04 वर्षो की मंहगाई एवं जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर इनके मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया :–

क्रमांक	श्रेणी	वर्तमान मानदेय (प्रतिमाह)	प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिमाह)	वृद्धि उपरांत प्रस्तावित मानदेय (प्रतिमाह)
1.	छात्रावास मैनेजर	₹10,500/–	₹2,625/–	₹13,125/–
2.	छात्रावास परिचारक	₹8,500/–	₹2,125/–	₹10,625/–

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की गई एवं कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकार करना चाहें।

संस्थान के संचालक द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि **शैक्षणिक सत्र 2018–19 से 100 सीटर बालक छात्रावास का संचालन किया जा रहा है परंतु बालक छात्रावास में नियमित होस्टल मैनेजर तथा छात्रावास सेवक न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों में होस्टल मैनेजर एवं छात्रावास सेवकों के पद हैं और उनमें छात्रावास संचालित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में संचालक ने परिषद से अनुरोध किया है कि ऐसे महाविद्यालयों से होस्टल मैनेजर तथा छात्रावास सेवकों का पदांकन छात्रहित में संस्थान में किया जाना उपयुक्त होगा।**

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

165

विषय क्रमांक –9 **संस्थान में निर्माण संबंधी कार्यों की देख–रेख एवं मरम्मत संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए कार्यरत सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर श्री के. एस. मोहन के मानदेय में वृद्धि विषयक:**

वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि संस्थान में प्रगतिशील निर्माण कार्यों की देखरेख एवं विविध मरम्मत संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर श्री के.एस. मोहन की सेवाएं संस्थान में ली जा रही हैं, इसके लिए उन्हें दिनांक 01.11.2012 से ₹16,500/– प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

संस्थान में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए इनके मानदेय में 25% की वृद्धि (₹4125/–) करते हुए ₹20,625/– प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत मानदेय के निर्धारण के लिए नस्ती के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया।

कार्यसमिति ने उक्त संबंध में 25% की वृद्धि के औचित्य के संबंध में जानना चाहा जिसके संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि सेवानिवृत्त इंजीनियर को सेवानिवृत्ति की तिथि में उनका मासिक वेतन (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर) रू. 32,078/– था और उस तिथि को उनके पी.पी.ओ. के अनुसार पेंशन की राशि रू. 12,030/– थी। तद्नुसार इनको अधिकतम रू. 20,048/– मानदेय के रूप में दिया जाना नियमानुसार है।

कार्यसमिति ने उपरोक्त तथ्यों से अवगत होकर सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर के पर्यवेक्षण के मासिक मानदेय में रू. 3500/– की वृद्धि करते हुए कुल मानदेय रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का बैठक दिनांक से अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक –10 **संस्थान के पत्र वाहक के वाहन भत्ते में वृद्धि विषयक:–**

संस्थान के पत्र वाहक के द्वारा स्थानीय मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों से संबंधित पत्रों को पहुँचाने तथा लाने और डाकघर से पत्रों के आदान–प्रदान एवं अन्य कार्य संपन्न किये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार की वाहन सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। वह अपने स्वंय के वाहन से उपरोक्त कार्य निष्पादित करते है, इसके लिए उन्हें संस्थान से वाहन भत्ते के रूप में दिनांक 21.12.15 से प्रतिमाह ₹900/- दिये जाते हैं। वर्तमान में कार्य की अधिकता एवं पेट्रोल की दरों में वृद्धि और वाहन मरम्मत को दृष्टिगत रखते हुए ₹200/- की वृद्धि करते हुए ₹1100/- प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्तावित वृद्धि की अनुशंसा की गई एवं कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति की अनुशंसा का बैठक दिनांक से अंगीकरण किया गया।

विषय क्रमांक–11 **मानसेवी शिक्षकों के संबंध में :**

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 642/ आउशि/ योजना/ 2018 भोपाल, दिनांक 31–05–18 तथा इस संबंध में पूर्ववर्ती निर्देशानुसार संस्थान में वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में शैक्षणिक अतिथि विद्वानों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है। संस्थान में उक्त शैक्षणिक कार्य में कार्यरत् 70 मानसेवी शिक्षक संस्थान के स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध नहीं है। इन मानसेवी शिक्षकों को पूर्व निर्णय अनुसार रू. 275/– प्रति व्याख्यान के हिसाब से मानदेय संस्थान द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से भुगतान किया जा रहा है। म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–1–42/2017/38–1/भोपाल, दिनांक 26–06–2018 की व्यवस्था संस्थान के मानसेवी शिक्षक की सेवाएं स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध नहीं होने के कारण लागू नहीं होती है। अतः मानसेवी शिक्षकों को रू. 275/– प्रति व्याख्यान की पूर्व व्यवस्था अनुसार जारी रखा जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण म.प्र. शासन के उक्त पत्र का अवलोकन कर निर्णय लेना चाहें।

कार्यसमिति ने इस विषय में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संस्थान को म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–1–42/2017/38–1/भोपाल, दिनांक 26–06–2018 के अनुसार संस्थान में कार्यरत् मानसेवी अतिथि विद्वानों को शासन के निर्देशानुसार प्रति कार्यदिवस के लिए रू. 1500/– के मानदेय के रूप में भुगतान किया जावे तथा उक्त आदेश (26–06–18) की कंडिका क्रमांक–2, 4, 5, 6 7, 8 एवं 9 की व्यवस्थाएँ मानसेवी अतिथि विद्वानों पर लागू होंगी।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

164

कार्यसमिति की बैठक में संचालक द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि सत्र 2016–17 में संस्थान में माह सितम्बर 2016 में म.प्र. शासन की ओर से मानसेवी शिक्षकों को आमंत्रित करने की अनुमति विलंब से प्राप्त होने पर जारी किए गए विज्ञापन में म.प्र. शासन के परिपत्र दिनांक 08–08–16 के तहत अधिकांश अभ्यार्थी चतुर्थ श्रेणी के न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक ही उपलब्ध हो सके। तत्पश्चात् उन्हीं मानसेवी शिक्षकों को म.प्र. शासन के निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में सत्र 2017–18 एवं 2018–19 में कार्यभार ग्रहण कराया गया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि पूर्व में आमंत्रित किए गए न्यूनतम अर्हता वाले ऐसे मानसेवी शिक्षक जो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती (2017) हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 24–01–2018 द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं ऐसे मानसेवी शिक्षकों को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल की उच्च शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने हेतु संचालक, उ.शि.उ.सं., भोपाल को निर्देशित किया गया कि संबंधितजनों को लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिनांक 24–01–2018 की अर्हता के संबंध में अपना पक्ष रखने का पत्र जारी कर, उन्हें मानसेवी शिक्षण सेवाओं से पृथक किए जाने की कार्यवाही करें एवं उच्च योग्यता रखने वाले अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जावे।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अगवत कराया कि वर्तमान वर्ष 2018–19 में मानसेवी अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए रू. 160 लाख की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त समिति में रखा गया था, परंतु शासन के आदेशानुसार (26–06–2018) मानदेय भुगतान की स्थिति में 70 मानसेवी अतिथि शिक्षकों में कटौती कर 64 मानसेवी अतिथि शिक्षकों के आधार पर बजट घाटा रू. 40.52 लाख की होगी। उक्त बजट घाटे की आंशिक पूर्ति मानसेवी अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिवस (05 व्याख्यान प्रतिदिन) व्याख्यानों की संख्या में वृद्धि करने पर पूर्व में स्वीकृत 70 मानसेवी अतिथि शिक्षकों में से 15 व्यक्तियों की कमी करके 55 मानसेवी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार मानसेवी अतिथि शिक्षकों के प्रतिदिवस व्याख्यानों में वृद्धि करके कुल मानसेवी शिक्षकों की संख्या में कमी कर बजट के शुद्ध घाटा रू. 40.52 लाख में से रू. 31.50 लाख की आंशिक पूर्ति होगी। शेष बजट घाटा रू. 09.02 लाख की पूर्ति संस्थान में रीडिप्लायड 08 रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों के पदांकन कर की जा सकेगी।

समिति द्वारा विचारोपरांत संशोधित बजट प्राक्कलन तथा अतिथि मानसेवी शिक्षकों की उपरोक्त व्यवस्था का अनुमोदन किया गया।

मानसेवी अतिथि विद्वानों पर चर्चा के क्रम में समिति के समक्ष संचालक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संस्थान में रीडिप्लाय स्वीकृत पदों में से 08 पदों पर पूर्व में कार्यरत् नियमित शिक्षकों की अन्यत्र स्थानांतरण/पदांकन के कारण संस्थान के शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए संस्थान को 08 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की महती आवश्यकता है। कार्यसमिति द्वारा तथ्यों से अवगत होने के पश्चात् मानसेवी शिक्षकों को रखने की अनुमति प्रदान की गई। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

सामान्य परिषद् संस्थान की विशिष्ट स्थिति से अवगत होने के उपरांत संस्थान के अतिथि विद्वानों के मानदेय पूर्ववत (275 रुपये प्रति व्याख्यान) रखे जाने के प्रस्ताव को अंगीकृत किया।

विषय क्रमांक–12 संस्थान में आउटसोर्सिंग से सेवाएँ लिए जाने के संबंध में :

संस्थान में चौकीदार, माली, फर्राश, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा द्वारा सेवाएं ली जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उक्त कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इस संबंध में 07 निविदाएं प्राप्त हुईं जिनमें से छः निविदाएं निविदा शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण अपात्र पाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के भाग–2 सेवाओं का उपार्जन की कंडिका–43 में सेवा निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले सेवा प्रदाता परामर्श दाताओं की संख्या 03 से कम नहीं होने का उल्लेख है और इसी नियम की कंडिका–49 के अनुसार लोकहित में विशेष परिस्थितियों में पात्र एकल सेवा परामर्शदाता को एकल स्रोत के रूप में चयन करने का प्रावधान है। संस्थान द्वारा आमंत्रित निविदाओं में से एक सेवा प्रदाता फर्म – कृष्णा सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर सर्विस, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल के द्वारा निविदा की सभी शर्तें एवं व्यवस्थाएं पालन करने के कारण संस्थान की सुरक्षा एवं क्रय समिति द्वारा उक्त फर्म से सेवाएँ लिए जाने की अनुशंसा की गई है। माननीय सदस्यगण प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्देश देना चाहें।

कार्यसमिति ने उक्त प्रस्ताव पर यह सुझाया कि निविदाएँ पुनः आमंत्रित की जाएं तथा उक्त प्रक्रिया में भी यदि पूर्ववत् परिस्थिति उत्पन्न होने पर एकमात्र पात्र फर्म को कार्यादेश दिया जा सकता है। साथ ही कार्यसमिति ने आगामी निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने तक वर्तमान सेवा प्रदाता फर्म कृष्णा सिक्योरिटी एण्ड लेबर

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

एप्लायर सर्विस, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल की सेवाएँ जारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें।

संस्थान के संचालक द्वारा सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि कार्यसमिति के निर्देशानुसार पुनः निविदाएँ आमंत्रित कर नियमानुसार सेवा प्रदाता फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

विषय क्रमांक–13 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावित विषय :

(1) नगर निगम सेवाकर के लिए बजट प्रावधान :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के सामान्य बजट भाग–1 के कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित बजट में नगर निगम के सेवाकर के लिए रू. 5,00,000/– की व्यवस्था की गई थी, परंतु नगर निगम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के सेवाकर के संबंध में रू. 6,08,315/– के बिल प्राप्त हुआ। इस कारण अंतर की अतिरिक्त राशि रू. 1,08,315/– की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा तथ्यों से अवगत होते हुए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(2) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्यों के लिए संस्थान में प्रवेश के लिए 5% स्थान आरक्षित रखने विषयक :

संस्थान की स्थापना वर्ष 1995–96 से वर्ष 2014–15 तक उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्यों के संस्थान में प्रवेश के लिए प्रत्येक विषय में 5% स्थान आरक्षित था, परंतु वर्ष 2015–16 से संस्थान के सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11–05–2015 में लिए गए निर्णय अनुसार 5% स्थान आरक्षित रखने के स्थान पर पाल्यों के प्राप्तांकों में 5% का अधिभार दिए जाने का निर्णय किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियमों में नए प्रवेशार्थियों में उक्त अधिभार के स्थान पर 5% स्थान आरक्षित रखने का नियम है। अतः शैक्षणिक सत्र 2019–20 से म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 413/118/सीसी/अइडीस, भोपाल दिनांक 8 मई, 2018 के प्रवेश नियम संबंधी कंडिका–12.7 (पृ.क्र. 15/20) के अनुसार उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल में भी शासन के प्रवेश नियमों अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्यों के नए प्रवेशार्थियों के लिए 5% अधिभार के स्थान पर 5% सीट आरक्षित रखने तथा आरक्षण संबंधी नवीन प्रावधान शासन के नियमानुसार रखने का विचार करना चाहें।

सामान्य परिषद की बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया कि इस विषय में आगामी शैक्षणिक सत्र में अन्य शासकीय संस्थानों में लागू होने वाले प्रवेश नियम उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के प्रवेश में भी लागू होंगे।

(3) संस्थान में प्रारंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों के मानसेवी शिक्षकों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था :

संस्थान के अकादमिक परिषद् तथा शासी निकाय की अनुशंसा अनुसार आईडीपी योजना के अंतर्गत बी.एससी. फोरेंसिक साइंस, बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बी.कॉम टेक्सेशन के विषय शैक्षणिक सत्र 2018–19 से संस्थान में प्रारंभ की गई है, परंतु आईडीपी योजना शाखा से की गई पत्राचार से यह विदित हुआ है कि उक्त योजना के अंतर्गत संस्थान को आधारभूत संरचना विकास हेतु आईडीपी के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उक्त पाठ्यक्रमों के नियुक्ति अतिथि विद्वानों के मानदेय तथा अन्य छोटे नैमित्तिक व्ययों के लिए आईडीपी योजना के तहत धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में अध्यापन हेतु माह जुलाई 2018 से 03 अतिथि विद्वानों की सेवायें ली जा रही हैं। इनके मानदेयों के भुगतान की व्यवस्था संस्थान के अनुमोदित अन्य अतिथि विद्वानों के मानदेय मद से भुगतान करने तथा अन्य नैमित्तिक व्ययों का भुगतान कार्यसमिति द्वारा (2018–19) अनुमोदित बजट मद से किया जाना प्रस्तावित है।

सत्र 2019–20 से बी.एससी. फोरेंसिक साइंस, बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बी.कॉम टेक्सेशन के विषय चूंकि आई.डी.पी. योजनांतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था न होने से उक्त पाठ्यक्रम संस्थान के नियमित पाठ्यक्रमों में संचालन हेतु मान्य किया जाना प्रस्तावित है।

सामान्य परिषद् उक्त तथ्यों से अवगत होकर बी.एससी. फोरेंसिक साइंस, बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बी.कॉम टेक्सेशन के विषयों को प्रस्ताव अनुसार आगामी सत्रों में जारी रखते हुए उनमें कार्यरत मानसेवी अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान व्यवस्था संस्थान के मद से किये जाने के प्रस्ताव को अंगीकृत किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

162

) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के विद्यार्थियों के नामांकन न करने विषयक :

संस्थान को वर्ष 1998 में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा स्वशासी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है एवं यूजीसी से 2007 से स्वशासी एवं सत्र 2009–10, 2014–15 से कॉलेज विथ पोंटेशियल फॉर एक्सीलेंस (सी.पी.ई.) का दर्जा और वर्ष 2004, 2011 एवं 2016 में 'नेक' द्वारा 'ए' ग्रेड संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की मार्गदर्शी सिद्धांत 2017 के बिंदु क्रमांक 22 के अनुसार ऐसे स्वशासी संस्थान जिसे विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है, उन्हें प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क देने के आवश्यकता नहीं है। जबकि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा लगातार सम्बद्धता शुल्क की राशि रू. 68,25,000/– की मांग की जा रही है। संस्थान द्वारा उक्त राशि न दिए जाने के अभाव में विद्यार्थियों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। अतः शासन की ओर से विश्वविद्यालय को यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु माननीय प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से स्वयं चर्चा कर इस विषय में निर्णय लेंगे।

(5) संस्थान हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ के सेटअप स्वीकृति हेतु प्रस्ताव :

संस्थान की सामान्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 11–05–2015 के तारतम्य में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15–05–2015 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संस्थान कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 16–10–18 के निर्देशानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष संस्थान में शैक्षणिक (प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक) के 105 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति तथा अशैक्षणिक कार्यालयीन कर्मचारी हेतु 36 पदों की स्वीकृति एवं कार्यरत् व्यक्तियों का उन पदों पर संविलियन और संस्थान में आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कार्यरत् अन्य विविध 111 कर्मचारियों के लिए पदों की शासन द्वारा पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव मान्यता की दशा में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृत किए जाने हेतु भेजे जाने हेतु विचारार्थ/ अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

सामान्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरांत अनुमोदित किया गया तथा, प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृति हेतु भेजे जाने के लिए संचालक को निर्देशित किया।

18/3/2019

संचालक एवं सदस्य–सचिव
(सामान्य परिषद) उ.शि.उ.सं. भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016.

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

सामान्य – 1 (1-1)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

सामान्य परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक : 02/2020

दिनांक : 23–11–2020

समय: प्रातः 11.00 बजे

स्थान : उ.शि.उ.सं., पुस्तकालय भवन

उपस्थिति

1. डॉ. मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	अध्यक्ष
2. श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	उपाध्यक्ष
3. श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल	सदस्य
5. श्री ओ.पी. गुप्ता, उप सचिव (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
6. श्री एन.पी. नामदेव, उप सचिव, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) पिछड़ावर्ग क.वि.,म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
7. डॉ. जगदीशचन्द्र जटिया, उपसचिव,(प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि)महिला बाल क.वि. म.प्र.शासन,मंत्रालय भोपाल	सदस्य
8. उप सचिव, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) आदिमजाति कल्याण विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
9. सहायक सलाहकार (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) योजना आ. एवं सांख्यिकी वि., म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
10. डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, संचालक, उ.शि.उ.सं. भोपाल	सदस्य–सचिव
11. डॉ. आर.के. श्रीवास्तव, सहा. परीक्षा नियंत्रक एवं प्राध्यापक कम्प्यूटर साइंस, उ.शि.उ. संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित
12. डॉ. एन.आर.दास, वित्त नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित
13. डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त–नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित
14. डॉ. बी.के. सिन्हा, प्राध्यापक एवं संयोजक निर्माण समिति, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित

प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल अन्य व्यवस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

संस्थान की सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 23–11–2020 को सामान्य परिषद् के अध्यक्ष माननीय डॉ. मोहन यादव जी, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदय को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

विषय क्रमांक –1 सामान्य परिषद् की विगत् बैठक दिनांक 07–02–2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–

संस्थान की सामान्य परिषद् की दिनांक **07–02–2020** को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण सामान्य परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत यथासमय सामान्य परिषद् के सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। परिषद् कृपया इसका अवलोकन कर अंगीकार करना चाहें। दिनांक **07–02–2020** की बैठक का पालन–प्रतिवेदन अवलोकन कर सामान्य परिषद् इसका अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर कार्यवाही विवरण एवं पालन–प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOPAL
DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

विषय क्रमांक –2 **वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान की लेखा–पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य मेसर्स संजय श्रीवास्तव एवं कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। समिति सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सी.ए. की अंकेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत रिपोर्ट की अनुशंसा करते हुए यह निर्देशित किया है कि रिपोर्ट के एनेक्सर–ए में उल्लेखित बिन्दुओं पर सी.ए. द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमे से विशेषकर बिन्दु क्रमांक–4 में दर्शाई गई राशि रूपये 4,61,862/– जो कि पुस्तकालय तथा परीक्षा शाखा मे रिनोवेशन व मरम्मत कार्य से संबंधित है को सीए के सुझावानुसार लेखापुस्तकों में समायोजित किए जाने की अनुशंसा की एवं म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के अग्रिम राशि रूपये 1,03,00,411/– के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र जल्दी प्राप्त करते हुए लेखापुस्तकों में प्रविष्टि दर्ज की जावे। इसी प्रकार **बिन्दु क्रमांक–7 में उल्लेखित बैंक द्वारा संस्थान के खाते में डेबिट दर्शाई गई राशियों का निराकरण संस्थान के कैशियर द्वारा बैंक से संपर्क कर यथाशीघ्र किया जाए। इसी प्रकार संस्थान के बैंक खाते में** जमा की गई ऐसी **राशियों का निराकरण केशियर द्वारा बैंक के साथ संपर्क कर किया जाए।**

साथ ही, टेली प्रविष्टियों तथा रोकड़ बही के शेष का मिलान नहीं होने की स्थिति के बारे में सदस्यो द्वारा जानकारी चाही गई, इस संबंध मे वित्त नियंत्रक ने सदस्यों को अवगत कराया कि अंतर का कारण लेखों में दर्ज पुरानी समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिसके संबंध में सदस्यो द्वारा सी.ए. के परामर्श अनुसार सुधार की कार्यवाही शीघ्रता से करने का निर्देश दिया गया।

इस संबंध मे वित्त नियंत्रक ने कार्यसमिति को अवगत कराया कि गृह निर्माण मंडल के अग्रिम रू. 1033411/– में से 50.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र संस्थान को प्राप्त हो चुके हैं। रोकड़ बही तथा टैली लेखा की प्रवष्टियों के अंतर का अधिकांश समायोजन करा दिया गया है। बैंक से संबंधित विवरण के समाधान हेतु बैंक के साथ सतत् संपर्क जारी है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरांत कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

माननीय सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 1995–96 में शासन के विशेष आदेश द्वारा की गई है। तदनुसार वर्तमान वर्ष संस्थान का रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य मे संस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सामान्य बजट भाग–1 तैयार किया गया है। बजट प्राक्कलन के अनुसार कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,31,25,000/– तथा विभिन्न बजट–शीर्षो में होने वाला व्यय ₹ 8,01,35,000/– अनुमानित है। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अवलोकनोपरांत बजट भाग–1 की अनुशंसा की। साथ ही, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी वर्षो में वित्त समिति की बैठक माह अप्रैल मे संपन्न कर ली जावे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्रस्तावों के संबंध में चर्चा में समिति सदस्यों द्वारा बजट घाटा रू. 70.10 लाख के संबंध मे प्रेक्षा की गई जिसके संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष संस्थान के स्थापना का रजत जयंती वर्ष होने के कारण कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बजट व्यवस्था की गई थी, परंतु कोविड–19 के कारण उक्त सभी कार्यक्रम नहीं हो पायेंगे जिसके कारण बजट घाटा में रू. 60.00 लाख की वास्तविक कमी होगी। कार्यसमिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्राक्कलन तथा संस्थान के प्रस्तावित नवीन निर्माण कार्यो को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा कर वित्तीय वर्ष 2020–21 बजट को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –4 **परीक्षा एवं अन्य कार्यों हेतु नये वाहन के क्रय हेतु अनुमति विषयक :–**

कार्यसमिति को अवगत् कराया गया कि दिनांक 26.05.2003 को संस्थान के परीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन हेतु एक वाहन (मारूती वेन– MP04 HA7930) संस्थान के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से क्रय किया गया था, जो काफी पुराना हो गया है। वर्तमान मे परीक्षा संबंधी कार्यो मे वृद्धि होने के कारण तथा अन्य

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

प्रशासनिक कार्य उक्त एक वाहन से परिपूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2019—20 में नये वाहन के लिए सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 में पारित निर्णय कंडिका क्रमांक—4 के अनुसार ₹ 10.00लाख स्वीकृत किए गए थे, परंतु कोविड—19 में किए गए लॉकडाउन के कारण वाहन का क्रय नहीं किया जा सका।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020—21 में उक्त वाहन को कंपनी के अधिकृत विक्रेता सी.आई. ऑटोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (महिन्द्रा) का कोटेशन क्रमांक 164, 165 क्रमशः ₹ 10,23,403/— तथा ₹ 10,63,800/— का प्राप्त हुआ है। उक्त नए वाहन के क्रय हेतु निविदत्त राशि तथा अन्य अनुषांगिक व्यय एवं संभावित मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 13.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यगणों द्वारा वाहन क्रय हेतु ₹ 13.00 लाख की बजट व्यवस्था की अनुशंसा की। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक —5 **संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग तथा अन्य विभागों में वित्तीय वर्ष 2019—20 में किए गए मरम्मत कार्य, सामग्रियों के क्रय आदि बकाया बिलों के भुगतान हेतु कार्योत्तर स्वीकृति विषयक :—**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019—20 के स्वीकृत बजट से संस्थान के विभिन्न विभागो द्वारा जेम पोर्टल, एम.पी.एल.यू.एन. आदि संस्थानों से म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय तथा मरम्मत किए गए हैं, जिनकी सामग्री प्राप्ति एवं कार्य का निष्पादत गत् वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2020 से पूर्व संपन्न हो गए थे, परंतु देयक कोविड—19 महामारी के कारण उत्पन्न लोकडाउन के कारण ₹ 55.00 लाख के देयकों का भुगतान गत् स्वीकृत बजट से नहीं किया जा सका है। इस कारण वर्तमान वर्ष में अदत्त भुगतान के रूप में शेष है।

माननीय सदस्यगणो द्वारा उपरोक्त परिस्थिति से अवगत होकर गत वित्तीय वर्ष 2019—20 के अदत्त भुगतानों को Prior Period Exp. के रूप में मार्च, 2020 तक के व्यय के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर वित्तीय वर्ष 2019—20 के ऐसे बकाया देयकों का, जिनका भुगतान कोविड—19 के कारण नही हो पाया है उसका भुगतान इस वर्ष के बजट से व्यय करने की कार्यसमिति के अनुमोदन तथा वर्ष 2020—21 के बजट का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक —6 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण विषयक :—**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 के निर्णयानुसार संस्थान के वर्तमान सी.ए. संजय श्रीवास्तव एंड क. भोपाल को 03 वर्षो के लिए वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

माननीय सदस्यगणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 के लेखों का वैधानिक अकेक्षण फर्म संजय श्रीवास्तव एंड क. भोपाल को अनुमोदित करते हुए यह व्यवस्था सुझाई है कि आगामी वित्तीय वर्षो के लिए तीन वर्षो तक वैधानिक अंकेक्षण का कार्य कराये जाने का उल्लेख भविष्य में जारी किए जाने वाली निविदा में किया जावे, जिससे अंकेक्षण कार्यों मे सुविधा होगी। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद् के सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा की। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि प्रयास यह रहे कि हर दो से तीन वर्ष में नए अंकेक्षक की सेवाएँ ली जावे और इस प्रकार की सेवा हेतु निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत समाचार पत्र में तथा संस्थान के पोर्टल में विज्ञापन के माध्यम से की जाना चाहिए।

सामान्य परिषद के माननीय सदस्यो ने प्रस्ताव को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक —7 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :—**

पूर्व वित्तीय वर्षो में कुल ₹ 802.88 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमे से वित्तीय वर्ष 2019—20 तक कुल ₹ 630.00 लाख रूपये का भुगतान निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण अधोसरचना विकास मंडल, भोपाल को किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष मे पूर्व स्वीकृत कार्यो मे ₹ 87.22 लाख भुगतान

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR, IEHE, BHOAPL
DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION BHOPAL

किया जाना प्रस्तावित है एवं नवीन प्रस्तावित कार्यो मे ₹ 117.88 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति तथा ₹ 32.78 लाख निम्नानुसार भुगतान किया जाना प्रस्तावित है –

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति / अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2019–20 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2020–21 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1	10 अतिरिक्त क्लास रूमो का निर्माण	218.35	177.00	30.00	
2	बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	90.00	10.00	
3	बालक छात्रावास	300.00	300.00	8.00	कक्षों में किये गए स्टील अलमारी के निर्माण हेतु
4	खेल मैदान की फेंसिंग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	25.00	5.00	
5	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
6	बाहय विद्युतीकरण	50.00	26.00	6.00	
7	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	2.00	
8	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
9	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र मे पेवल ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	2.00	
10	बालक छात्रावास मे छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
11	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	12.73	00.00	6.00	
12	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स गेट के समीप गार्ड रूम का निर्माण कार्य	1.77	00.00	1.70	
13	भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तक पेवल ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	3.00	
14	बास्केट बॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य	5.00	00.00	5.00	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**802.88**	**630.00**	**87.22**	
प्रस्तावित निर्माण कार्य :–					
1.	संस्थान परिसर में छोटे निर्माण कार्य	7.78	00.00	7.78	
2.	बालक छात्रावास में वार्डन सह अतिथि विश्राम गृह का निर्माण कार्य	110.00	00.00	25.00	
	योग (प्रस्तावित कार्य)	**117.78**	**00.00**	**32.78**	
	कुल योग	**920.66**	**630.00**	**120.00**	

वित्त समिति उपरोक्त प्रगतिशील कार्यो एवं प्रस्तावित कार्यो से अवगत हुई एवं अनुशंसा की। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा संस्थान मे निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों के निर्माण एजेंसी के संबंध मे पृच्छा की गई जिसके संबंध मे वित्त नियंत्रक के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान मे निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्य पूर्व की सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित एजेंसी म.प्र. गृह एवं अधोसंरचना विकास मंडल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने "प्रगतिशील निर्माण कार्य" के बिंदु क्र. 4 – बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य, को 31 मार्च तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही समिति सदस्यों द्वारा निर्माणाधीन अन्य अपूर्ण कार्यो को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष मे पूर्ण कराने के प्रयास करने के लिए संचालक को कहा गया। बिंदु क्र. 6 के लिए सुझाया कि जिस एजेंसी को विद्युतीकरण का काम देना है उसी एजेंसी से एस्टीमेट भी बनवाया जाना चाहिए तथा इस कार्य को इंजीनियर की देख–रेख में संपादित कराया जाना चाहिए। बैठक के दौरान समिति सदस्यों के संज्ञान में यह आया है कि पुस्तकालय के सभागृह मे मरम्मत जीर्णोधार की आवश्यकता है

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

जिसे वर्तमान में पूरा कर लिया जावे और साथ ही संस्थान में अन्य आवश्यक मरम्मत आदि कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जावे। प्रस्तावित निर्माण कार्यों में (बिंदु क्र. 2) बालक छात्रावास में वार्डन सह अतिथि विश्राम गृह के स्थान पर केवल छात्रावास वार्डन गृह निर्माण किया जावे और तद्नुसार इसकी संशोधित अनुमानित लागत (लगभग रू. 60.00 लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वर्ष के बजट में रू. 25.00 लाख के व्यय की व्यवस्था सहित कुल प्रस्तावित व्यय राशि रू. 120.00 लाख के कार्यसमिति के अनुमोदन का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –8 **संस्थान को शासन से पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने विषयक :–**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 1995–96 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक संस्थान में छोटे निर्माण कार्यों तथा अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग से विशेष अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अंतिम बार ₹ 80.00लाख उक्त मद में शासन से प्राप्त हुआ है परंतु उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 में कोई राशि इस मद में प्राप्त नहीं हुई है, जिससे संस्थान के आधारभूत संरचना विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। संस्थान के विद्यार्थियों से एकत्रित शुल्क का अधिकांश राशि मानसेवी अतिथि शिक्षक, जिलाध्यक्ष दर पर सेवारत कर्मचारी तथा आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान में व्यय हो जाती है, ऐसी स्थिति में आधारभूत संरचना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से पूर्व वर्षों अनुसार संस्थान को शासन से आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान की माँग प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों द्वारा अवगत होकर शासन को पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने का प्रस्ताव भेजे जाने की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

प्रस्ताव के संबंध में सामान्य परिषद् के उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति व्यक्त की और कहा कि संस्थान को पूर्व वर्षों की भांति निर्माण हेतु "ब्लॉक ग्रांट" के रूप में अनुदान प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।

सामान्य परिषद के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –9 **संस्थान में ऑडिटोरियम तथा बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण विषयक :–**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 3000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के पाठ्येत्तर गतिविधियों के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रम यथा वार्षिक स्नेह सम्मेलन, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, रोजगार परक व्याख्यान, विषय संबंधी सेमिनार एवं कार्यशाला और अन्य अकादमिक व्याख्यानों के आयोजनों में 400 से 700 विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और संस्थान में इतने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष टेन्ट की व्यवस्था की जाती है, जिस पर होने वाला वार्षिक व्यय ₹ 3.00 लाख से अधिक होता है। संस्थान में केवल एक छोटा सेमिनार हॉल है, जिसमे बैठक व्यवस्था केवल 50 से 60 विद्यार्थियों की है। ऐसे में संस्थान के अकादमिक ब्लॉक के पास एक बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल/ऑडिटोरियम की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे पूर्व बैठकों में प्रस्तुत किया गया था परंतु शासन से इस हेतु विशेष वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण संभव नहीं हो सका है। संस्थान के उत्तरोत्तर विकास को दृष्टिगत् रखते हुए संस्थान के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संस्थान के स्वय के वित्तीय संसाधनों से 300 से 350 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था वाले बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग ₹ 180.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

माननीय सदस्यों द्वारा संस्थान के व्यापक हित में उक्त विषय में विचारोपरांत बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु स्वय के संचित वित्तीय संसाधनों से वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट भाग–1 में ₹ 100.00 लाख की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की वित्तसमिति द्वारा स्वीकृति हेतु अनुशंसा की।

उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में समिति सदस्यों द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। समिति के सम्मुख संस्थान के संचालक द्वारा 1250 बैठक क्षमता वाले सर्वसुविधायुक्त बहुउद्देशीय आडिटोरियम के प्राथमिक प्राक्कलन रू. 2460.59 लाख का प्राथमिक प्राक्कलन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में समिति सदस्यों द्वारा विचारोपरांत संस्थान के विद्यार्थी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए संचालक को यह निर्देशित किया कि 500 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्देशीय आडिटोरियम का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे, इसी क्रम में समिति सदस्यों द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि उक्त ऑडीटोरियम की अनुमानित लागत लगभग रू. 10.00 करोड़ में से संस्थान अपने संचित कोषों में से 10 से 20 प्रतिशत तक की राशि की व्यवस्था करेंगे और शेष राशि की व्यवस्था

C:\Users\Admin\Desktop\HS Chouhan\Lockdown Meeting\S.P. 23-11-2020\K Vivran.docx

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 15:43
DIRECTOR-IEHE BHOPAL
DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा निजी नियामक आयोग से किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। उक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत आवश्यक राशि की व्यवस्था होने की स्थिति में वर्तमान सत्र में संस्थान के संचित कोषों से रू. 1.00 करोड़ की विशेष बजट व्यवस्था संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का कार्यसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

प्रस्ताव के संबंध में सामान्य परिषद् के माननीय अध्यक्ष एवं मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के लिए 1250 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले भव्य ऑडिटोरियम जिसकी अनुमानित लागत रू. 2460.59 लाख के लिए सहमति व्यक्त की तथा संस्थान के इनडोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के सामने स्पोर्ट्स ग्राउण्ड के पास की रिक्त भूमि को ऑडिटोरियम निर्माण के लिए चिन्हित किया जिसके लिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग से राशि रू. 20.00 करोड़ संस्थान को प्रदाय की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी सुझाया कि ऑडिटोरियम का उपयोग समय-समय पर बड़े कार्यक्रमों हेतु नियामक आयोग द्वारा भी किया जाएगा।

इसी क्रम में माननीय सदस्यगणों द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि संस्थान के छोटे कार्यक्रमों के लिए 300 से 350 बैठक क्षमता वाले बड़े सेमीनार हॉल का निर्माण इण्डोर स्पोर्ट्स के पास उपलब्ध रिक्त भूमि पर किए जाये जिसके भूतल में पार्किंग तथा प्रथम तल में सेमीनार हॉल की व्यवस्था रहेगी जिस पर लगभग 110.00 लाख के व्यय का अनुमान है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ संस्थान के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संस्थान के परिसर में भव्य ऑडिटोरियम तथा बड़े सेमीनार हॉल के निर्माण के अनुमोदन का अंगीकरण किया।

वित्त समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

1. **संपदा प्रभारी, श्री के.एस. मोहन द्वारा संस्थान छोड़ देने के कारण उनके रिक्त स्थान पर अन्य व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने विषयक :-**

कार्य समिति की बैठक दिनांक 28.08.2007 के विषय क्रमांक 4(i) में पारित निर्णयानुसार संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त अभियंता (सिविल इंजिनियर) के रूप में मासिक मानदेय पर श्री के.एस. मोहन की सेवाएं वर्ष 2011 से ली जाती रही हैं, जिसका वर्तमान मानदेय रूपये 20,000/-- (मार्च, 2020 में) है, परन्तु श्री मोहन द्वारा माह अप्रैल 2020 से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है। उक्त कार्यों के लिए यदि वर्तमान में कार्यरत श्री मोहन तैयार नहीं हो तो किसी नए व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव संस्थान की निर्माण समिति के संयोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विषय में समिति ने उक्त प्रावधान के तहत समान मानदेय पर किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता की सेवाएं लिए जाने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा नियमानुसार किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता की सेवाएं लिए जाने के लिए संचालक को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया अवगत होकर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव को अंगीकार किया।

कार्यसमिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

1. **संस्थान के वार्षिक केलेण्डर का अनुमोदन करने विषयक :-**

कार्यसमिति द्वारा कोविड-19 की परिस्थिति में संस्थान में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में अध्यापन कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संस्थान के वार्षिक केलेण्डर का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव को अंगीकार किया।

\Users\Admin\Desktop\HS Che...\Lock Down Meeting\S.P. 23-11-2020\K Vivran.docx
Signature
PRAGYESH
29.11.2022 13
DIRECTOR-I
DIRECTOR

2 **शुल्क जमा करने तथा कॉशनमनी रिफण्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया विषयक :–**

संस्थान के संचालक द्वारा कार्यसमिति को अवगत कराया कि संस्थान मे अध्ययनरत् विद्यार्थियो से प्रवेश तथा परीक्षा शुल्क बैंक के माध्यम से (पेमेंट गेटवे) ऑनलाइन ली जाती है और पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत या अन्य कारणों से संस्थान छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की काशनमनी रिफण्ड जो वर्तमान में चैक या आर.टी.जी.एस. से होते हैं के स्थान पर उसे पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा। कार्यसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव को अंगीकार किया।

सामान्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :–

आईटी सेल में प्रोग्रामर के पद को उन्नत कर "प्रोग्रामर सह डेव्लोपर" का पद रचना विषयक :–

बैठक के दौरान समिति सदस्यों के सम्मुख यह विषय लाया गया कि संस्थान के आईटी सेल मे मानसेवी सेवारत् कम्प्यूटर प्रोग्रामर (श्री शैलेष देशमुख) के वर्तमान बढ़े हुए कार्यो को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामर पद को उन्नत करते हुए "प्रोग्रामर सह डेव्लोपर" के रूप मे पद रचना की जावे, जिसका मानदेय-आईसीटी इंचार्ज के समतुल्य हो।

इस संबध मे माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर वर्तमान बैठक में कोई विचार न करते हुए आगामी बैठक मे विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

(डॉ० एस.एस. बिसैयवर्गीय)
प्रभारी संचालक एवं सदस्य–सचिव

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

...\Desktop\IIS Chouhan\Lockdown Meeting\S P 23-11-2020\K Vivran.docx

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
सामान्य परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक 01/2020

दिनांक : 07–02–2020

स्थान: उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — समय: अपरान्ह 12.00 बजे

उपस्थिति

1	माननीय श्री जीतू जी पटवारी, मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल	अध्यक्ष
2	श्री डी. पी. आहूजा, आयुक्त, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल	सदस्य
3	श्री पी. सी. बारस्कर, सचिव (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव), लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
4	श्री लखनसिंह तेकाम, उप सचिव (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन भोपाल	सदस्य
5	डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, प्रभारी संचालक, उ.शि.उ.स. भोपाल	सदस्य–सचिव
6	डॉ. वी.के. शुक्ला, प्राध्यापक वाणिज्य, योजना एवं मूल्यांकन समिति, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
7	डॉ. अजय प्रकाश खरे, प्राध्यापक इतिहास एवं प्रशासनिक अधिकारी, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
8	डॉ. गिरीष जोशी, प्राध्यापक, भौतिकी एवं संयोजक निर्माण समिति उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
9	डॉ. महिपाल सिंह यादव, प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं परीक्षा नियंत्रक, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
10	डॉ. अनुज हुण्डैत, प्राध्यापक भौतिकी, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
11	डॉ. एन.आर. दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित
12	डॉ. शारदा गंगवार, प्राध्यापक वाणिज्य एवं उप वित्त नियंत्रक, उ.शि.उ.स. भोपाल	विशेष आमंत्रित

कार्यवाही विवरण

संस्थान की सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 07–02–2020 को सामान्य परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी जी, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित की गई। उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया तथा संस्थान का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदय को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

विषय क्रमांक –1 **सामान्य परिषद् की विगत् बैठक दिनांक 29–01–2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

संस्थान की सामान्य परिषद् की दिनांक 29–01–2019 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण सामान्य परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत यथासमय सामान्य परिषद् के सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। परिषद् कृपया इसका अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें। दिनांक 29–01–2019 की बैठक का पालन–प्रतिवेदन अवलोकन कर सामान्य परिषद् इसको अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –2 **वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–**

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा–पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य बी.सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा वर्तमान लेखा–पुस्तकों में तदनुसार की गई प्रविष्टियों तथा किए गए सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत वित्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थान के लेखा शाखा में नियुक्त कर्मचारियों को पर्याप्त सावधानियों के साथ लेखा पुस्तकों का संधारण करना चाहिए ...

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

[illegible] छात्रावास	300.00	300.00	8.00	[illegible] में किये गए [illegible] अनुसार निर्माण हेतु
[illegible] मैदान की फेंसिंग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.00	25.00	10.00	
[illegible] छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) [illegible] अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
[illegible] विद्युतीकरण	50.00	26.00	05.00	
[illegible] टेंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	02.00	
योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**759.12**	**630.00**	**82.52**	
[illegible]त निर्माण कार्य :-				
[illegible]निस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
[illegible]तिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	7.00	00.00	7.00	
[illegible] छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
योग (प्रस्तावित कार्य)	**15.00**	**00.00**	**15.00**	
कुल योग	**774.12**	**630.00**	**77.52**	

वित्त समिति द्वारा उक्त निर्माण प्रस्तावो की अनुशसा करते हुए सुझाव दिया गया कि म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरचना विकास मण्डल द्वारा संस्थान के छोटे निर्माण कार्यों में कम रूचि लेने तथा उनको सौंपे गए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने के कारण संस्थान स्तर पर छोटे निर्माण कार्यों के लिए म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरचना विकास मण्डल के अतिरिक्त अन्य निर्माण एंजेसियों यथा पुलिस गृह निर्माण से निर्माण कार्य करने की संभावनाओ पर विचार किया जावे। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशसाओ को अनुमोदित किया।

प्रस्ताव के संबध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने चर्चा में संचालक से जानकारी प्राप्त की, कि ये कार्य समय–सीमा में पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे हैं ? उन्होने उक्त संबध में संचालक को निर्देश दिए कि संचालक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से म.प्र. हाउसिंग बोर्ड को भेजे जाने वाला पत्र तैयार करे। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद् के सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –8 मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) शुल्क लिए जाने विषयक :–

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशसाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1174/02/टी.एल./आउशि/योजना/17 दिनांक 21.12.17 के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से संस्थान के अध्ययनरत विद्यार्थियों से प्रति विद्यार्थी ₹ 20/– प्रतिवर्ष की दर से मानसिक स्वास्थ्य शुल्क लेकर कोष का निर्माण करने एवं इस राशि का उपयोग संस्थान में संचालित मनोविज्ञान विभाग के मार्गदर्शन अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य सबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में किए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक 9 ई.पी.एफ. के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में राशि जमा किए जाने विषयक :–

भारत के राज्यपत्र भाग–2 खण्ड–3 के उपखण्ड–ii में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनाक 09.08.2016 के परिपेक्ष्य में संस्थान के ई.पी.एफ. एडवोकेट, श्री जलखरे द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों एवं मानसेवी कर्मचारियों, जो ई.पी.एफ. के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिनका सकल मजदूरी/मानदेय ₹ 21,000/– तक प्रतिमाह है, के परिश्रमिक का 4.75 प्रतिशत तथा कर्मचारी का 1.75 प्रतिशत का कटौत्रा कर कर्मचारी राज्य बीमा के खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसके अनुसार संस्थान में सेवारत् कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, उनके सकल वेतन का 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अशदान के साथ 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अशदान को सम्मिलित करते हुए कुल 6.50 प्रतिशत राशि प्रतिमाह कर्मचारी राज्य बीमा के खाते में जमा किए जाने का प्रस्ताव समिति में समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशसा की

Signature
PRAGYESH KU
29.11.2022 13:4
DIRECTOR-IEH

विषय क्रमांक –12 **संस्थान के शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि विषयक**

संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण संचालन व्यय में निरं... हो रही है, जिसकी पूर्ति संस्थान द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से की जाती है। वर्तमान में विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से 75 प्रतिशत तक की राशि उक्त स्थापना मदों पर व्यय करनी होती है, जिससे की संस्थान के अकादमिक ... के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। विगत 05 वर्षों से विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में किसी ... की वृद्धि नहीं की गई है। भावी अकादमिक विकास तथा आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि के उद्देश्य से विद्यार्थि... शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

समिति द्वारा इस संबंध में संस्थान के पिछले वर्षों के व्ययों के संबंध में पृच्छा की गई। वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2259 थी, जिसमें लगातार हो रही वृद्धि के उपरांत वर्ष 2019–20 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3100 होने के कारण संस्थान के संचालन व्ययों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अध्यापन व्यवस्था के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों पर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,04,83,547/– व्यय किया गया जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹ 1,40,59,925/– हो गया है। इसी तरह अन्य संचालन व्ययों में भी वृद्धि हुई है।

वित्त समिति तथ्यों से अवगत होकर संस्थान के प्रवेशित विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की।

प्रस्ताव पर कार्यसमिति के सदस्यों ने चर्चा की। चर्चा उपरांत समिति ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 से शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक को निर्देशित किया कि स्नातकोत्तर की कक्षाओं में कम से कम 10 विद्यार्थियों का प्रवेश होने पर ही कक्षाएँ संचालित की जाये। महोदय ने निर्देश दिए कि संकायवार/ऑनर्स विषय के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की संख्या का सत्यापन कर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को इस जानकारी से अवगत कराया जाए। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

7-2-2020

सामान्य परिषद् कार्यसमिति के अनुमोदन से अवगत हुई तथा शिक्षण शुल्क में शिक्षण सत्र 2020–21 में 5 प्रतिशत, सत्र 2021–22 एवं सत्र 2022–23 में क्रमशः 2.5–2.5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

विषय क्रमांक –13 **संस्थान में संचालित आई.क्यू.ए.सी. सेल हेतु वित्त व्यवस्था विषयक :–**

यूजीसी के निर्देशानुसार संस्थान में अकादमिक सुधार हेतु आई.क्यू.ए.सी. सेल का गठन किया गया है। इस हेतु यूजीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से पाँच वर्ष के लिए वित्तीय अनुदान केवल एक बार के लिए ₹ 3.00 लाख प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात इस हेतु यूजीसी से कोई धनराशि संस्थान को प्राप्त नहीं होना है। सेल के सुचारू संचालन के लिए यूजीसी के मापदण्ड अनुसार संस्थान के वित्तीय स्त्रोतों में से निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया –

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अ	आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी का वार्षिक (प्रतिमाह अधिकतम ₹ 1000/–के दर से) मानदेय	– ₹ 12,000/–
ब	आई.क्यू.ए.सी. के अंशकालीन लिपिकीय कार्य हेतु कार्य अनुसार मानदेय वार्षिक (प्रतिमाह अधिकतम ₹ 1000/–के दर से) मानदेय	– ₹ 12,000/–
स	कार्यालयीन स्याही सामग्री	
द	स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक ...	₹ ...

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सुझाया कि पुरानी वेन को राइट ऑफ किया जाए एवं उसके स्थान पर संस्थान के विभिन्न कार्यों के लिए नई बोलेरो गाड़ी क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यसमिति ने यह सुझाव दिया कि उक्त वाहन के लिए आवश्यक बजट प्रावधान को बढ़ाया जावे। कार्यसमिति के अनुमोदन अनुसार अधिकृत वाहन डीलर्स से बोलेरो कार का ऑनरोड मूल्य रू. 9,98,556/ (नौ लाख, अनठ्यानवे हजार, पाँच सौ छप्पन मात्र) का पत्र प्राप्त कर लिया गया है। तद्नुसार नए वाहन के पूर्व बजट प्रावधान राशि रू. 8.50 लाख को बढ़ाकर रू. 10.00 लाख किया गया है)। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किए गए मरम्मत कार्य, फर्नीचर क्रय और कम्प्यूटर प्रयोगशाला के विद्युतीकरण संबंधी बकाया बिलों के भुगतान हेतु कार्योत्तर स्वीकृति विषयक :–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्वीकृत बजट से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में मरम्मत कार्य एवं नए कम्प्यूटर क्रय किए गए थे, जिनमें से श्री वैष्णव इन्डस्ट्रीज, गोविंदपुरा, भोपाल का देयक क्रमांक 226/2018–19 दिनांक 22.12.2018 ₹ 1,28,644/– तथा देयक क्रमांक 227/2018–19 दिनांक 22.12.2018 ₹ 97,226/– और कम्प्यूटर प्रयोगशाला में किए गए विद्युतीकरण का देयक क्रमांक 143 दिनांक 01.02.2019 मेसर्स निमेश अग्रवाल, भोपाल ₹ 1,40,000/– सहित कुल बकाया राशि ₹ 3,65,870/– के देयक लेखा शाखा में 31 मार्च 2019 के उपरांत प्राप्त होने के कारण पूर्व वर्ष के बजट से इसका भुगतान नहीं हो पाया है।

कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट से कार्योत्तर भुगतान का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया तथा वित्त समिति द्वारा अवलोकनोपरांत इसकी अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण विषयक :–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखापुस्तकों के वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु भोपाल के प्रतिष्ठित अंकेक्षकों को परामर्श शुल्क की निविदा हेतु पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 06 अंकेक्षक प्रतिष्ठानों के द्वारा परामर्श शुल्क के विवरण का उल्लेख करते हुए पत्र प्राप्त हुए हैं। उल्लेखित परामर्श शुल्क के आधार पर संस्थान की क्रय समिति के माध्यम से तुलनात्मक विवरण–तैयार किया गया एवं अंकेक्षक फर्म – संजय श्रीवास्तव एंड कं. संतोष टावर 148, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल के द्वारा निविदत्त परामर्श शुल्क ₹ 48,000/– में नियामानुसार 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 56,640/– (रूपये छप्पन हजार छः सौ चालिस मात्र) न्यूनतम होने के कारण इन्हें अंकेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की कि संस्थान के वैधानिक अंकेक्षण के लिए निविदा अनुसार सी.ए. फर्म को तीन वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण कार्य कराया जाए। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा यथाप्रस्तावित सी.ए. फर्म संजय श्रीवास्तव एंड कं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण कार्य कराए जाने की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –7 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :–**

वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व वित्तीय वर्षों से प्रगतिशील कार्य एवं 2019–20 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्य संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रस्तुत हैं:–

कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2018–19 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
शील निर्माण कार्य :–				
10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	25.00	
बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	90.00	10.00	

Sig
PRA
29.1
DIR

प्राप्तियों एवं भुगतानों का मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित ...
रिपोर्ट में दर्शित कमियों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

उक्त संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एवं उप सचिव, वित्त विभाग ने जानकारी ली तथा कार्य न होने के कारणों का पता लगाने हेतु निर्देशित किया और लेखा शाखा को भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में सचेत किया जाए। संचालक महोदय को निर्देश देते हुए सुझाया कि संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षण समिति एवं लेखापाल के माध्यम से उक्त त्रुटियों का समाधान करें। इस संबंध में संबंधित बैंक से संपर्क कर उनके द्वारा त्रुटियों में सुधार किया जावे ऐसा न होने पर संबंधित बैंक से संस्थान का खाता बंद करने की चेतावनी दी जावे। जिन विद्यार्थियों ने रिवर्स एन्ट्री की है उन्हें भी नोटिस दिए जाने के निर्देश संचालक को दिए। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिए कि प्रस्ताव पर संचालक पूर्ण कार्यवाही करें और प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

संस्थान के बालक एवं कन्या छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों से समिति द्वारा सेमेस्टर अनुसार मेस चार्जेस लिए जाने का निर्णय लिया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के सामान्य बजट भाग–1 को संस्थान के वित्तीय स्त्रोतों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है एवं यूजीसी द्वारा संस्थान में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (Internal Quality Assurance Cell - IQAC) स्थापित कर दीर्घकालिक गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाने हेतु वर्ष 2013 में 05 वर्षों के लिए प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत यूजीसी द्वारा इस मद में राशि प्रदाय नहीं की गई है। आई.क्यू.ए.सी. सेल के सुचारू संचालन हेतु संस्थान के सामान्य बजट भाग–1 में इसकी व्यवस्था करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2019–20 से एक नया बजट शीर्ष "आई.क्यू.ए.सी." को आवर्ती मद–अकादमिक व्यय में जोड़ा गया है। तदनुसार बजट प्राक्कलन में कुल प्राप्तियाँ ₹ 6,60,90,000/– तथा विभिन्न बजट–शीर्षों में होने वाला व्यय ₹ 6,60,42,000/– अनुमानित है।

वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित बजट प्राकल्लन के अवलोकन उपरांत संचालक से अतिथि विद्वान, मानसेवी कर्मचारी, जिलाध्यक्ष दर पर नियुक्त कर्मचारी एवं आउटसोर्स सेवा के कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में जानकारी ली। वित्त समिति को अवगत कराया कि संस्थान के विद्यार्थियों से प्राप्त शैक्षणिक शुल्क की 70 प्रतिशत से अधिक राशि उक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में व्यय हो जाती है, इसके उपरांत वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित बजट प्राकल्लन की अनुशंसा करते हुए यह सुझाव दिया कि मानसेवी कर्मचारियों की पद स्वीकृति अथवा इस हेतु अनुदान प्रदान करने के संबंध में शासन को लिखा जावे।

कार्यसमिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई एवं बजट प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2019–20 अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए, आगामी वर्ष 2020–21 के बजट में रजत जयन्ती समारोह, स्मार्ट क्लास रूम हेतु डेडीकेटेट, वाई–फाई सुविधा, सीबीसीएस सिस्टम लागू करने हेतु एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों हेतु बजट आवंटन करते हुए संस्थान में संचित कोष का आवश्यकतानुसार उपयोग करते हुए बजट माह अप्रैल तक तैयार कर सक्षम समितियों से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए।

विषय क्रमांक –4 **परीक्षा एवं अन्य कार्यों हेतु नये वाहन के क्रय हेतु अनुमति विषयक :–**

दिनांक 26.05.2003 को संस्थान के परीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु एक वाहन (मारूती वेन– MP04 HA7930) संस्थान के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से क्रय किया गया था, जो काफी पुराना है तथा वर्तमान में परीक्षा संबंधी कार्यों में हो रही वृद्धि तथा अन्य प्रशासनिक कार्य उक्त एक वाहन से परिपूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक अतिरिक्त नए वाहन (मारूती स्वेपट/मारूती वेगनआर/टाटा इंडिका) का क्रय किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया तथा इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹ 8.50 लाख की बजट व्यवस्था भी की गई। वित्त समिति द्वारा अवलोकनोपरांत नए वाहन के क्रय की अनुशंसा की गई।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGR...
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAP...

विषय क्रमांक –18 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :–

(1) **संस्थान के कर्मचारियों के संबंध में उच्च अधिकारियों से प्राप्त पत्रों के विषयक :–**

संस्थान के संचालक द्वारा कार्यसमिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के मानसेवी एवं जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मियों के मानदेय एवं नियमितिकरण के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से समय–समय पर निर्देश पत्र प्राप्त होते रहे हैं जो कि संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर के होते हैं, और उन पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

ऐसे विषयों पर परीक्षण कर म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों में भी परीक्षण कर आवश्यकता होने पर कार्यसमिति में निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जावे।

सामान्य परिषद् उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा सामान्य परिषद् ने कर्मचारियों की संस्थागत समस्याओं के निराकरण हेतु संचालक को अधिकृत किया।

(2) **सत्र 2020–21 से सीबीसीएस सिस्टम लागू करने विषयक :–**

सामान्य परिषद् द्वारा सीबीसीएस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण डॉ. अनुज हुण्डैत द्वारा किया गया। सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुतिकरण पर सहमति व्यक्त करते हुए संस्थान में सत्र 2020–21 से सीबीसीएस सिस्टम लागू करने हेतु अनुमति प्रदान की।

(3) **रजत जयंती समारोह विषयक :**

सामान्य परिषद् द्वारा रजत जयंती वर्ष 2020 को गरिमामयपूर्ण ढंग से मनाने हेतु सहमति एवं अनुमति प्रदान की गई।

सामान्य परिषद् की बैठक में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए :–

1– आगामी बजट में संस्थान के सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करने तथा संस्थान में डेडिकेटेट वाई–फाई की सुविधा की व्यवस्था बजट में की जावे और संस्थान के आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के पास उपलब्ध जमा राशि का भी उपयोग किया जावे।

2– बजट "भाग–2" के संबंध में संचालक द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, चर्चा में माननीय सदस्यों ने निर्देश दिए कि संचालक अपने स्तर से कार्यवाही करें।

3– संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि विषयक, पर एक निश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए वार्षिक वृद्धि के लिए एक बार निर्णय लेने हेतु संचालक को निर्देशित किया।

4– संस्थान में ऑडिटोरियम तथा बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण विषयक, सामान्य परिषद् के सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा इस विषय पर डी.पी.आर बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए।

5– संस्थान के अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के संबंध में यूजीसी मार्गदर्शिका के अनुसार नियुक्त करने हेतु निर्देश दिए। अतिथि विद्वानों हेतु संस्थान अपने स्तर से पारदर्शिता रखते हुए नीति तैयार करें।

6– ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया में आने वाले समय में किए जाने वाले सुधार की संभावनाएं पता लगाई जाए।

7– संस्थान के भावी अकादमिक विकास हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे।

8– ऑनलाइन परीक्षा की कार्ययोजना तैयार की जाए।

9– सभी क्रय कार्यों हेतु भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता के मानकों का भी पालन किया जाए।

10– संस्थान में नए विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में वर्तमान में प्रचलित मेरिट प्रणाली तथा प्रवेश परीक्षा में सामंजस्य बनाकर एक समेकित व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं के आकलन का निर्देश प्रदान किया।

(डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय)
सदस्य–सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature
PRAGYESH KU
29.11.2022 13:4
DIRECTOR-IEH

गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद के सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –10 संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति अवकाश सुविधा प्रदान किए जाने विषयक :–

राज्य शासन की व्यवस्था के अंतर्गत (म0प्र0 राजपत्र 30.05.2013 क्रमांक 242 के खण्ड–9 में वर्णित अवकाश उपकंडिका क्रमांक 1, 2 एवं 3 की व्यवस्था अनुसार) जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत कर्मचारियों को सवा अवधि में प्रतिवर्ष 07 आकस्मिक अवकाश तथा 05 ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किये गए हैं।

तदनुसार वित्त समिति के समक्ष संस्थान में कार्यरत तकनीकी एव गैर–तकनीकी कर्मचारियों को उक्त अवकाश सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया। विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा अन्य संस्थाओं में शासकीय नियमानुसार दिए जाने वाले अवकाश लाभो की जानकारी प्राप्त कर 07 आकस्मिक अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश दिए जाने की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष महोदय ने संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को निर्देश दिए कि उक्त अवकाश के संबध में कानूनी प्रावधान का अवलोकन कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। सामान्य परिषद कृपया कार्यसमिति के प्रस्ताव से अवगत होना चाहे।

सामान्य परिषद कार्यसमिति के निर्देशों से सहमत।

विषय क्रमांक –11 संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि विषयक (संशोधित टाइटल)। :–

संस्थान में कार्यरत् तकनीकी एव गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियो के द्वारा समय–समय पर मानदेय में वृद्धि तथा पुनःनिर्धारण की माँग की जाती रही है। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष दो बार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर को महगाई में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष होने वाली मूल्य वृद्धि के कारण संस्थान में कार्यरत मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियो की वास्तविक आय में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति के लिए इनके वर्तमान मानदेय में राज्य शासन द्वारा घोषित महगाई भत्ते की दर के अनुसार (सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार प्रचलित महंगाई भत्ता दर 12 प्रतिशत) शासन द्वारा घोषित दिनांक से महगाई भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई तथा मानदेय को डी.ए. के साथ जोडने के स्थान पर वर्तमान देय मानदेय में वृद्धि किए जाने को उचित माना। मानदेय में वृद्धि के संबध मे वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान मे कार्यरत् कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वर्तमान में ₹ 23,690/– प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि म0प्र0 पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड में इस पद पर संविदा पारिश्रमिक ₹ 50,820/– प्रतिमाह है। इसी प्रकार सहायक प्रोग्रामर को संस्थान से प्रतिमाह ₹ 17,768/– का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा इस पद के विरूद्ध संविदा पारिश्रमिक ₹ 40,970/– प्रतिमाह है और संस्थान के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹ 15,381/– प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जबकि कार्यालय, कलेक्टर विदिशा (म0प्र0) तथा कार्यालय, कलेक्टर होशगाबाद द्वारा इस पद पर ₹ 22,770/– प्रतिमाह संविदा मानदेय निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यो पर विचारोपरात वित्त समिति ने संस्थान मे कार्यरत तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय में निम्नानुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की–

पदनाम	वर्तमान मानदेय	10 प्रतिशत वृद्धि की राशि	वृद्धि उपरांत अनुशंसित मानदेय
प्रोग्रामर	₹ 23690/–	₹ 2369/–	₹ 26059/–
सहायक प्रोग्रामर	₹ 17768/–	₹ 1777/–	₹ 19545/–
डाटा एंट्री ऑपरेटर	₹ 15381/–	₹ 1538/–	₹ 16919/–

इसी प्रकार संस्थान में कार्यरत गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियो के वर्तमान मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद उपरोक्त तथ्यों से अवगत होकर वित्त समिति की बैठक दिनांक से तकनीकी एव गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि को अंगीकार किया।

Sign
PRAG
29.11.
DIREC

विषय क्रमांक –14 संस्थान को शासन से पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने विषयक –

संस्थान को स्थापना वर्ष 1995–96 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक संस्थान में छोटे निर्माण कार्यों तथा अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग से विशेष अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अंतिम बार ₹ 80.00लाख उक्त मद में शासन से प्राप्त हुआ है परन्तु उसके पश्चात वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में कोई राशि इस मद में प्राप्त नहीं हुई है, जिससे संस्थान के आधारभूत संरचना विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। संस्थान के विद्यार्थियों से एकत्रित शुल्क का अधिकांश राशि मानसेवी अतिथि शिक्षक, जिलाध्यक्ष दर से सेवारत कर्मचारी तथा आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान में व्यय हो जाती है, ऐसी स्थिति में आधारभूत संरचना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से पूर्व वर्षों अनुसार संस्थान को शासन से आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान की मांग का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने विचारोपरांत संस्थान को पूर्व वर्षों में निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त वार्षिक अनुदान राशि अनुसार अनुदान की माँग का पत्र शासन को प्रेषित करने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा में समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति सदस्यों को अवगत कराया कि संस्थान को पुन अनुदान प्राप्ति पर विचार कर अनुदान दिलाने हेतु आश्वासन दिया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् ने प्रस्ताव से अवगत होकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का आश्वासन दिया।

विषय क्रमांक –15 संस्थान में ऑडिटोरियम तथा बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण विषयक :–

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 3000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् है। विद्यार्थियों के पाठ्येत्तर गतिविधियों के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रम यथा वार्षिक स्नेह सम्मेलन, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, रोजगार परक व्याख्यान, विषय संबंधी सेमिनार एवं कार्यशाला और अन्य अकादमिक व्याख्यानों के आयोजनों में 400 से 700 विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और संस्थान में इतने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष टेन्ट की व्यवस्था की जाती है, जिस पर होने वाला वार्षिक व्यय रू.3.00लाख से अधिक होता है। संस्थान में केवल एक छोटा सेमिनार हॉल है, जिसमें बैठक व्यवस्था केवल 50 से 60 विद्यार्थियों की है। ऐसे में संस्थान के अकादमिक ब्लॉक के पास एक बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल/ऑडिटोरियम की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे पूर्व बैठकों में प्रस्तुत किया गया था परंतु वित्तीय संसाधनो के अभाव मे बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण संभव नहीं हो सका है। संस्थान को भविष्य में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान से बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा ऑडिटोरियम/बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था शासन/विभाग की अन्य योजनाओं तथा अन्य संस्थानों से किए जाने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव पर चर्चा की तथा समिति सदस्यों को अवगत कराया कि इस विषय पर पृथक से चर्चा की जाएगी, इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान में ऑडिटोरियम के लिए उपलब्ध भूमि के संबध मे जानकारी प्राप्त करने के उपरांत संस्थान के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन अकादमिक भवन के पास उपलब्ध भूमि को चिन्हित कर ऑडिटोरियम निर्माण किए जाने का निर्णय लिया, जिससे विद्यार्थियों के आने–जाने में लगने वाले समय की बचत होगी। साथ ही ऑडिटोरियम निर्माण के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से वित्तीय व्यवस्था में योगदान के लिए कहा जाएगा और जिसका निर्माण पी.आई.यू. योजना के माध्यम से सम्पन्न किए जाने का निर्णय लिया गया। संस्थान के नवीन अकादमिक भवन के पास भविष्य में निर्माण होने वाले ऑडिटोरियम का उपयोग संस्थान तथा निजी नियामक आयोग अपनी आवश्यकतानुसार करेंगे। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा संस्थान में 500 विद्यार्थियों की क्षमता का बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।

विषय क्रमांक –16 **संस्थान मे कार्यरत कर्मचारियो श्री तरुण चौहान, सुश्री गीता तिवारी एवं श्रीमती तुलसी पाल के विशिष्ट अतिरिक्त कार्यों के लिए विशेष मानदेय प्रदाय करने विषयक :–**

संस्थान के लेखाशाखा मे कार्यरत (1) श्री तरुण चौहान, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपने निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त ऑनलाइन कोषालय देयको का भुगतान, देयको के संबंध मे कोषालय से समन्वय, बकाया वेतन तथा आधिक्य वसूली विवरण तैयार करना तथा कोषालय संबंधी समस्त कार्य निष्पादित करते हैं। इसी प्रकार (2) सुश्री गीता तिवारी, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त यूजीसी तथा सामान्य बजट और शासकीय आहरण संबधी समस्त विवरणो की टैली प्रविष्टियाँ, त्रैमासिक तथा वार्षिक आयकर विवरणी तैयार करना, वार्षिक अंकेक्षण कार्य निष्पादित करना, ईपीएफ संबधी कार्य करते हैं और (3) श्रीमती तुलसी पाल, डाटा एंट्री कम्प्यूटर ऑपरेटर अपने निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त सेवा–पुस्तिका के संधारण मे मुख्य लिपिक का सहयोग, स्थापना संबंधी पत्राचार और जानकारियो का संधारण किया जाता है। इसके द्वारा उक्त सभी कार्य अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त निष्पादित किये जाते है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय प्राप्त नही हो रहा है, इस संबंध मे इनके प्राप्त आवेदन के उपरांत गठित समिति द्वारा इनके अतिरिक्त कार्यो को देखते हुए अतिरिक्त मानदेय की अनुशंसा की गई है। तदनुसार सरल क्र.1 तथा 2 मे उल्लेखित कर्मचारियो को प्रतिमाह ₹4,000/– और सरल क्र. 3 मे उल्लेखित कर्मचारी को प्रतिमाह ₹2,000/– अतिरिक्त मानदेय के रूप मे भुगतान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति ने असहमति व्यक्त करते हुए संस्थान मे कार्यरत तकनीकी मानसेवी कर्मचारियो के वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार सर्वोत्तम तीन कर्मचारियो को यथा प्रथम को ₹10,000/– द्वितीय को ₹7,000/– तथा तृतीय को ₹4,000/– प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व यथा 15 अगस्त या 26 जनवरी को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव से कार्यसमिति को अवगत कराया गया जिस पर विचारोपरांत कार्यसमिति ने उक्त दोनो प्रस्तावो को अमान्य किया। साथ ही इस संबंध मे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक को निर्देशित किया कि उक्त जिन मानसेवी कर्मियो ने आवेदन दिया है उन्हे भविष्य मे ऐसा न करने की चेतावनी दी जाए। सामान्य परिषद कृपया कार्यसमिति के प्रस्ताव से अवगत होना चाहे।

सामान्य परिषद कार्यसमिति के प्रस्ताव से सहमत हुई।

विषय क्रमांक –17 **संस्थान के अतिथि विद्वानो के मानदेय मे वृद्धि विषयक :–**

संस्थान के ऑनर्स पाठ्यक्रमो मे संलग्न अतिथि विद्वानो को अन्य शासकीय संस्थानो मे संचालित सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमो की तुलना मे प्रत्येक विषय के 04 टेस्ट लिये जाते हैं तथा उनकी उत्तर पुस्तिकाओ का मूल्याकन किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक विषय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और विद्यार्थियो के प्रजेन्टेशन संबधी अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं, परंतु इनका प्रति व्याख्यान मानदेय अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों की भांति ₹275/– ही है। अन्य शैक्षणिक संस्थाओ की तुलना मे इनके शैक्षणिक कार्य के साथ मासिक टेस्ट, प्रोजेक्ट तथा विद्यार्थियो के प्रजेन्टेशन का मूल्याकन के अतिरिक्त कार्य के लिए यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता (नेट/सेट/पीएच.डी. उपाधि प्राप्त) पूर्ण करने वाले अतिथि विद्वानो को ₹275/– प्रति व्याख्यान के स्थान पर ₹300/– प्रति व्याख्यान मानदेय दिए जाने एवं इस क्रम मे ऐसे अतिथि विद्वान जो यूजीसी तथा राज्य शासन के शैक्षणिक की अद्यतन अर्हता को पूर्ण नही करते है, और नेट/सेट/पीएच.डी. उपाधि प्राप्त अतिथि विद्वान उपलब्ध नही हो पाने अथवा किसी अन्य कारणो से संस्थान मे अतिथि विद्वान/विजिटिंग फैकल्टी के रूप मे उनकी सेवाएं ली जावेगी, तो उन्हें पूर्व की भांति ₹275/– प्रति व्याख्यान दिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया है।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्तावो पर विचारोपरांत सभी अतिथि विद्वानो का एक समान मानदेय ₹300/– प्रति व्याख्यान की अनुशंसा की। वित्त समिति द्वारा ऐसे विषय जिसमे अद्यतन यूजीसी मापदण्डो के अनुसार अतिथि विद्वान उपलब्ध नही हो पा रहे हैं उनमे आवश्यक योग्यताओ मे छूट देने के लिए संचालक को अधिकृत करने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा उपरांत समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि जो अतिथि विद्वान यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार योग्यता रखते हैं उनका मानदेय रू. 300/– प्रति कालखण्ड एवं जो अतिथि विद्वान यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं उनका मानदेय रू. 275/– पूर्व की भांति रखा जावे। सामान्य परिषद कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहे।

सामान्य परिषद के सदस्यो ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव को अंगीकार किया।

संलग्नक-1
(1-9)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

सामान्य परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक : 1/2021

दिनांक : 20-12-2021

स्थान : उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान (लायब्रेरी) समयः अपरान्ह 3.00 बजे

उपस्थिति

1. माननीय डॉ. मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल — अध्यक्ष
2. श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — उपाध्यक्ष
3. श्री संदीप कुमार माकिन, उप सचिव (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
4. श्री एन.पी. नामदेव, उप सचिव, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) पिछड़ावर्ग क.वि.,म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
5. श्री अभिषेक सिंह, उप सचिव, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) योजना आ. एवं सांख्यिकी वि., म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
6. श्री एस.एल. सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) लो.नि.वि., म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
7. श्री आर.पी. रमनवाल, अपर संचालक, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) महिला बाल कल्याण. विभाग,म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
8. डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, प्रभारी संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — सदस्य-सचिव
9. डॉ. मनोज कुमार शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी एवं प्राध्यापक गणित, उ.शि.उ.स., भोपाल — विशेष आमंत्रित
10. डॉ. महिपाल सिंह यादव, परीक्षा नियंत्रक एवं प्राध्यापक अर्थशास्त्र, उ.शि.उ.स., भोपाल — विशेष आमंत्रित
11. डॉ. एन.आर.दास, वित्त नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
12. डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त-नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
13. डॉ. शिरीष जोशी, प्राध्यापक भौतिकशास्त्र एवं संयोजक निर्माण समिति, उ.शि.उ.सं., भोपाल — विशेष आमंत्रित

प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल एवं अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल अन्य व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

संस्थान की सामान्य परिषद् की बैठक दिनांक 20-12-2021 को सामान्य परिषद के अध्यक्ष माननीय डॉ. मोहन यादव जी, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदय को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

विषय क्रमांक -1 **सामान्य परिषद् की विगत् बैठक दिनांक 23-11-2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :**

संस्थान की सामान्य परिषद् की दिनांक 23-11-2020 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण सामान्य परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत यथासमय समान्य परिषद् के सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। परिषद् कृपया इसका अवलोकन कर अंगीकृत करना चाहें। साथ ही दिनांक 23-11-2020 की बैठक का पालन-प्रतिवेदन का अवलोकन कर सामान्य परिषद् इसको अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर कार्यवाही विवरण एव पालन-प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR, ... FOR EXCELLENCE ... EDUCATION

विषय क्रमांक –2 **वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संस्थान की लेखा–पुस्तकों का वैधानिक अंकेक्षण कार्य मेसर्स संजय श्रीवास्तव एवं कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। समिति द्वारा संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर, बैंक समाधान विवरण में दर्शित आपत्तियों का समय पर निराकरण कर केशबुक में सुधार की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया और अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों की नियमानुसार सुधार प्रविष्टियाँ संबंधित रोकड़बहियों में दर्ज की जावे। वित्त समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में पूर्व वर्षो की असमायोजित प्रविष्टियों के संबंध में गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए तत्संबंध में लेखा शाखा को नियमानुसार निर्धारित समय पर आवश्यक प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान किए। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –3 **संस्थान की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करने विषयक :**

वित्त समिति के माननीय सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 के अनुसार संस्थान के वर्तमान वैधानिक अंकेक्षक से तीन वर्षो तक अंकेक्षण कार्य कराने के उपरांत आगामी तीन वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के परिपालन में दिनांक 10.07.2021 तक प्रतिष्ठित अंकेक्षकों से पत्र तथा संस्थान के पोर्टल पर ऑनलाईन व्यवस्था अनुसार अंकेक्षण कार्य हेतु प्रस्ताव बुलाए गए थे, तद्नुसार उक्त दिनांक तक कुल 11 अंकेक्षक फर्मो से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इनमें से 01 फर्म द्वारा संस्थान द्वारा निर्धारित अंकेक्षक शुल्क रूपये 48000/– + GST से कम राशि की निविदा प्रस्तुत की है तथा 08 फर्मो द्वारा न्यूनतम अंकेक्षण शुल्क के बराबर राशि और 02 फर्मो के द्वारा न्यूनतम शुल्क से अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत की है। एक से अधिक 08 फर्मो के न्यूनतम राशि के समान निविदा प्रस्तुत करने के कारण उनमें से किसी एक फर्म के चयन की प्रक्रियाधीन है। फर्म के चयन के उपरांत माननीय सदस्यों के सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान की क्रय समिति द्वारा एक से अधिक फर्मो की समान न्यूनतम निविदा राशि होने के कारण पुनः निविदा जारी करने की अनुशंसा की है।

माननीय सदस्यों द्वारा उक्त विषय में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा की गई चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आमंत्रित सीए फर्मो के दस्तावेजों (फर्म में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या, पार्टनर्स की संख्या, फर्म द्वारा शासकीय संस्थाओं में आडिट की अवधि आदि) तथा प्रजेंटेशन के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित कर सीए फर्म का चयन आगामी तीन वित्तीय वर्षो के ऑडिट हेतु संस्थान में करना उचित होगा। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत उक्त चयन प्रक्रिया की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अवलोकन कर यह व्यवस्था दी गई कि न्यूनतम समान दर वाली अंकेक्षक फर्मो को आमंत्रित कर उनसे सीलबंद लिफाफे में पुनः दर प्राप्त कर उनमें से जो न्यूनतम दर हो, उस पर आगामी तीन वर्षो का वैधानिक अंकेक्षण कराए जाने का अनुमोदन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

कार्यसमिति के अनुमोदन को सामान्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –4 **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसाः**

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अगवत कराया गया कि संस्थान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित बजट शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल अनुमानित प्राप्तियाँ (परीक्षा तथा विश्वविद्यालय शुल्क को छोड़कर) रूपये 7,77,00,215/- तथा कुल अनुमानित व्यय रूपये 7,76,27,000/– का अनुमान लगाते हुए बजट प्राकल्लन (सामान्य बजट भाग–1) तैयार किया गया है। वित्त समिति द्वारा उक्त सामान्य बजट भाग–1 का अवलोकनोपरांत अनुशंसा की गई। कार्यसमिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 पर चर्चा उपरांत वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 पर विस्तृत चर्चा उपरांत नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

उनसे प्राप्त न होने वाले अतिरिक्त राशि रू. 60.00 लाख के वास्तविक घट की पूर्ति संस्थान के स्वयं के संचित कोषों किए जाने की व्यवस्था के साथ बजट को अंगीकार किया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान में हॉस्टल वार्डन कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था करने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 23.11.2020 में संस्थान में संचालित बालक छात्रावास के हॉस्टल वार्डन कक्ष रूपये 60.00 लाख से निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु कोविड़–19 और उसके पश्चात् लॉकडाउन की स्थिति के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, इस वित्तीय वर्ष के बजट में उक्त कक्ष के निर्माण के लिए रूपये 5.00 लाख की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है, जिसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट में किया गया है। माननीय सदस्यगणों द्वारा वार्डन कक्ष निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसा की गई। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

कार्यसमिति के अनुमोदन को सामान्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान में कार्यरत मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने विषयक :**

संस्थान की वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के कार्यालय, परीक्षा, आई.टी.सेल, हॉस्टल तथा पुस्तकालय में कार्यरत् तकनीकी तथा गैर–तकनीकी कुल 25 कर्मचारियों के मानदेय में 28.08.2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। निरंतर बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कर्मचारियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया तथा मानदेय में वृद्धि के कारण संस्थान पर लगभग रूपये 60,000/– का मासिक वित्तीय भार की जानकारी समिति को दी गई।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार मानदेय अनुशंसित करते हुए 15 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गई:–

पदनाम	वर्तमान मासिक मानदेय (रूपये)	15 प्रतिशत वृद्धि की राशि (रूपये)	वृद्धि उपरांत अनुशंसित मानदेय (रूपये)
प्रोग्रामर एवं समकक्ष	26059/–	3909/–	29968/–
सहायक प्रोग्रामर एवं समकक्ष	19545/–	2932/–	22477/–
डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं समकक्ष	16919/–	2538/–	19457/–

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसाओं पर चर्चा के उपरांत संस्थान के तकनीकी एवं गैर तकनीकी मानसेवी कर्मियों के मानदेय में वित्त समिति की बैठक दिनांक 18–08–2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा संस्थान के तकनीकी एवं गैर तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय में दिनांक 18–08–2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि के कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –7 **संस्थान में बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था विषयक :**

वित्त समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 23.11.2020 के विषय क्रमांक–9 के द्वारा संस्थान के इन्डोर स्पोर्टस् भवन के पास की रिक्त भूमि पर 300 से 350 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह भू–तल में पार्किंग के निर्माण हेतु रूपये 110.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 में रूपये 30.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था बजट के अंतर्गत की गई है तथा शेष राशि की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्षो में किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण उक्त प्रस्ताव से अवगत हुए तथा अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने अवगत होकर बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल के निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा की, चर्चा उपरांत सेमीनार हॉल के निर्माण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू. 30.00 लाख के बजट प्रावधान संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

कार्यसमिति की बैठक के दौरान समिति की पूर्व बैठक में संस्थान में निजी नियामक आयोग/शासन के वित्तीय सहयोग से निर्मित होने वाले प्रस्तावित ऑडिटोरियम पर चर्चा की गई जिसमें संस्थान के संचालक द्वारा समिति को अगवत कराया गया कि नियामक आयोग/शासन से ऑडिटोरियम के लिए कोई वित्तीय धनराशि प्राप्त न होने के कारण ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया स्थगित है। इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उक्त ऑडिटोरियम के निर्माण के पूर्व संस्थान में वर्तमान में निर्मित भवनों को सम्मिलित करते हुए नया मास्टर प्लान आगामी 50 वर्षों के लिए बनाया जावे। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति के अनुमोदन पर चर्चा उपरांत पूर्व निर्धारित स्थान पर सेमीनार हॉल सह पार्किंग निर्माण के लिए विस्तृत नवीन आंकलन मास्टर प्लान के साथ शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संचालक को निर्देशित किया ताकि उक्त कार्य के लिए शासन स्तर पर उपलब्ध फण्ड में से राशि आंवटित की जा सके।

विषय क्रमांक –8 कर्मचारी भविष्य निधि हेतु सलाहकार की सेवाएं लेने विषयक :

वित्त समिति को अगवत कराया गया कि संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर तथा मानदेय पर कार्यरत् कर्मचारियों की शासन के नियमानुसार ईपीएफ कटौत्रा, उसका विवरण अपलोड करने तथा ईएसआईसी के प्रकरणों के लिए संस्थान की कार्यसमिति की पूर्व बैठक दिनांक 27.01.2014 के निर्णयानुसार कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में सलाहकार वकील, श्री गणेश प्रसाद जलखरे की सलाहकार फीस/मानदेय रूपये 3,000/– तथा अतिरिक्त रूपये 200/– प्रति विजिट की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया था, जिसके अनुसार श्री जी.पी. जलखरे की सेवाएं संस्थान में उक्त कार्य हेतु ली जा रही थीं, परन्तु दिनांक 17.07.2021 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, उनके स्थान पर नए व्यक्ति की सेवाएं ली जानी है।

उक्त कार्यों के लिए संस्थान में ईपीएफ तथा ईएसआईसी सलाहकार के रूप में श्रीमती किरण गेहलोत, अधिवक्ता, माचना कालोनी, शिवाजी नगर, भोपाल का आवेदन प्राप्त हुआ है। संस्थान के संदर्भित पूर्व सामान्य परिषद की बैठक के निर्णयानुसार मानदेय पर श्रीमती किरण गेहलोत की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर माननीय सदस्य द्वारा संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ईपीएफ सलाहकार के आवेदन आमंत्रित कर उनमें से किसी व्यक्ति/फर्म के चयन का सुझाव दिया।

समिति सदस्यों ने उक्त सुझाव पर विचारोपरांत अपनी सहमति दी एवं वर्ष 2014 से देय सलाहकार फीस/मानदेय रूपये 3,000/– सहित अतिरिक्त रूपये 200/– प्रति विजिट की दर से वाहन भत्ते में वृद्धि कर रूपये 500/– करने की अनुशंसा की। कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया । सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –9 नवीन शिक्षा नीति के कारण शिक्षण शुल्क में वृद्धि करने विषयक :

वित्त समिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत CBCS पाठ्यक्रम लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत संस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए 20 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की सेवाएं लिया जाना आवश्यक होगा तथा उनके मानदेय पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार रूपये 60.00 लाख आएगा। उल्लेखनीय है कि संस्थान में वर्तमान में 80 मानसेवी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिसके संबंध में संस्थान को शासन से किसी प्रकार का मानदेय संबंधी अनुदान प्राप्त नहीं होता हैं। अतिरिक्त वित्तीय भार के कारण शैक्षणिक सत्र् 2021–22 में CBCS पाठ्यक्रम योजनांतर्गत संस्थान में प्रवेशित विद्यार्थियों के अध्यापन शुल्क में प्रति छात्र, प्रतिवर्ष रूपये 5,000/– की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा संस्थान की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नवीन शिक्षा नीति के सुचारू संचालन हेतु नये प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के अध्यापन शुल्क में रूपये 5,000/– की वृद्धि की अनुशंसा की गई।

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत शैक्षणिक सत्र 2021–2022 से नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के वार्षिक अध्यापन शुल्क में रू. 5000/– के वृद्धि के प्रस्ताव को पृथक से विचार करने के लिए निर्देशित किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा दिए गए सुझाव से अवगत होना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को आगामी बैठक होने तक स्थगित रखा।

विषय क्रमांक –10 **पत्रवाहक के रूप में कार्यरत् श्री मनोहर राव को देय वाहन भत्ते में वृद्धि करने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत् पत्रवाहक, श्री मनोहर राव को मार्च 2019 से रूपये 1100/– प्रतिमाह वाहन भत्ते के रूप में भुगतान किया जाता है, उस समय पेट्रोल की कीमत रूपये 71/– प्रति लीटर थी, जो आज रूपये 110/– हो चुका है तथा पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को ध्यान में रखते हुए श्री मनोहर राव, पत्रवाहक के वाहन भत्ते में रूपये 400/– की वृद्धि करते हुए रूपये 1500/– प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति सदस्यों द्वारा उक्त पर अपनी सहमति व्यक्त कर अनुशंसा की। कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा संस्थान के पत्र–वाहक के मानदेय में दिनांक 18–08–2021 से रू. 400/– की वृद्धि के प्रस्ताव को अंगीकृत किया।

विषय क्रमांक –11 **कोविड–19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के लंबित देयकों ₹ 91711.00 के भुगतान की अनुमति विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के विभिन्न विभागों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न कार्य संपन्न कराए गए, परन्तु कोविड–19 एवं अलग–अलग लॉकडाउन तथा कार्यालय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की स्वास्थ्य तथा अन्य शासकीय कार्यो में संलग्नता होने के कारण कुछ देयकों (रूपये 91711/–) को 31 मार्च 2021 तक कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हो पाये थे।

उक्त देयकों के कार्य/सामग्री का निष्पादन दिनांक 31.03.21 के पूर्व हो चुका है। अतः उक्त देयकों की बकाया देय राशि रूपये 91711/– का भुगतान इस वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 से किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए बकाया देयकों के भुगतान की अनुशंसा की। कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा के अवलोकन के उपरांत लंबित देयकों के नियमानुसार भुगतान करने का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति के अनुमोदन को कार्योत्तर स्वीकृति के साथ अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –12 **संस्थान में ऑउटसोर्सिंग सेवा हेतु निविदा निकालने विषयक :**

संस्थान में सुरक्षा, साफ–सफाई, प्रयोगशाला सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा हॉस्टल मैनेजर आदि कुल 62 कर्मचारियों की सेवाएं सीमित निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही हैं, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 60.00 लाख व्यय होते हैं। अंकेक्षक दल के परामर्श तथा म0प्र0 भण्डार क्रय नियम की व्यवस्था के अनुसार जिन संस्थानों का स्वयं का पोर्टल/वेबसाइट है, उनके द्वारा ऑउटसोर्स की सेवाएं पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा के रूप में विज्ञापित किए जाने का उल्लेख है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपरोक्त आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु लगभग रूपये 70.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। म0प्र0 भण्डार क्रय नियम के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2021–22 में पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स की सुविधा के लिए विज्ञापन जारी किए जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यगणों के सम्मुख रखा गया तथा सदस्यों द्वारा पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशंसा की। कार्यसमिति द्वारा शासन के एम.पी. टेंडर पोर्टल से खुली निविदा (ओपन टेंडर) के द्वारा आउटसोर्स सेवा हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा संस्थान कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकृत किया गया।

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –13 **संस्थान में संपदा अधिकारी की नियुक्ति एवं मानदेय विषयक :** 6

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के निर्माण कार्यों की देखभाल तथा निर्मित भवन आदि की मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यो हेतु सेवानिवृत्त अभियंता श्री के.एस. मोहन की सेवाएं संपदा अधिकारी के रूप में रूपये 20,000/– मासिक मानदेय पर ली जाती रही हैं, परन्तु उनने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है तथा वर्तमान में श्री के.एस. मोहन लंबे अवकाश पर हैं, ऐसे स्थिति में भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उक्त कार्य हेतु किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता (सिविल इंजीनियर) की सेवाएं लिए जाने का प्रयास किया गया, परन्तु उपरोक्त देय मानदेय पर सेवाएं देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; ऐसी स्थिति में संपदा अधिकारी श्री के.एस. मोहन के स्थान पर किसी अन्य सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर अथवा अनुभवी सिविल इंजीनियर की सेवाएं मासिक मानदेय में रूपये 5000/– की वृद्धि करते हुए लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

माननीय सदस्यगणों द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचारोपरांत संपदा अधिकारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किए जाने एवं इस हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेने की अनुशंसा की। कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव को शिथिल करते हुए अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा तक के अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने का अंगीकरण किया।

विषय क्रमांक –14 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :**

पूर्व वित्तीय वर्षो में कुल 972.88 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक कुल 650.00 लाख रूपये का भुगतान निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल को किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्व स्वीकृत कार्यो में 71.22 लाख रूपये भुगतान किया जाने एवं नवीन प्रस्तावित कार्यो में रूपये 10.00 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति के साथ निम्नानुसार रूपये 81.22 लाख का भुगतान करने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया :–

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2020–21 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	211.35	7.00	
2.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
3.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	5.00	
4.	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
5.	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवलस ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	2.00	
6.	बालक छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
7.	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	12.73	00.00	5.00	
8.	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स गेट के समीप गार्ड रूम का निर्माण कार्य	1.77	00.00	1.70	
9.	बास्केट बॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य	5.00	00.00	5.00	
10.	बालक छात्रावास में वार्डन गृह का निर्माण कार्य	60.00	00.00	5.00	
11.	बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग का निर्माण कार्य	110.00	00.00	30.00	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	476.50	223.35	71.22	

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

प्रस्तावित निर्माण कार्य :-					(7)
1.	संस्थान परिसर में छोटे निर्माण कार्य	10.00	00.00	10.00	
	योग (प्रस्तावित कार्य)	10.00	00.00	10.00	
	कुल योग	486.50	223.35.00	81.22	

माननीय सदस्यगण उपरोक्त प्रगतिशील कार्यो एवं प्रस्तावित कार्यो से अवगत हुए अनुशंसा की। कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्थान में निर्माण हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा संस्थान के निर्माण संबंधी बजट प्रावधानों को अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –15 कोविड–19 के कारण विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क में कमी करने विषयक :

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में अध्यनरत कुछ विद्यार्थियों द्वारा कोविड–19 के कारण शुल्क में कमी करने हेतु आवेदन दिया है तथा इस हेतु उनके द्वारा कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा शुल्क माफ किए जाने का हवाला भी दिया गया है।

उक्त बिन्दु पर समिति सदस्यों द्वारा कहा गया कि संस्थान का किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान से तुलना करना गलत है। वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान पूरी तरह से विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क पर ही निर्भर है और संस्थान में कार्यालयीन व्यय तथा अध्यापन के लिए अतिथि विद्वानों की व्यवस्था, प्रयोगशाला सहायक, सुरक्षा कर्मी, कार्यालयीन कम्प्यूटर सहायक आदि कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु शासन से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में शुल्क में कमी करने पर उक्त कार्यो के लिए भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा। समिति ने विचारोपरांत शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव को अमान्य किया। कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति की अनुशंसा से अवगत होना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा कार्यसमिति के अनुमोदन का अंगीकरण किया। माननीय सदस्यगण द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई कि कोविड–19 के कारण किसी विद्यार्थी के माता–पिता का अगर देहांत हुआ है तो उनके प्रकरण का शासन के पास पृथक से प्रेषित किए जाने का निर्देश संचालक को दिया गया।

विषय क्रमांक –16 संस्थान स्तर पर एक कर्मचारी की नियुक्त मानसेवी आधार पर किए जाने विषयक :

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के वित्तीय कार्यो यथा–प्राप्त होने वाले शुल्क तथा किए जाने वाले भुगतान का बैंक स्टेटमेंट में दैनिक आधार पर निरीक्षण किया जाना है, जिससे केशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट के मिलान की विसंगतियों को समय पर दूर किया जा सके एवं बैंक समाधान विवरण में दर्शित होने वाली त्रुटियों का निराकरण दैनिक आधार पर हो सके, इस हेतु 01 कर्मचारी की सेवाएं मानसेवी आधार पर लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत संस्थान में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के समतुल्य मानदेय पर 01 मानसेवी कर्मचारी की नियुक्ति के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि उक्त कर्मचारी की सेवाएं, संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा विधि मान्य चयन प्रक्रिया से की जावे। आवेदक की अनिवार्य योग्यता वाणिज्य स्नातक के साथ पीजीडीसीए तथा टेली सॉफ्टवेयर के संचालन का व्यवहारिक अनुभव हो एवं अंग्रेजी तथा हिन्दी टंकण की योग्यता वांछनीय है।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की व्यवस्थाओं से अवगत होकर उल्लेखित योग्यताधारी की सेवाएं लिए जाने संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि उक्त कर्मचारी की सेवाएं उच्च कुशल कर्मचारी के रूप में आउटसोर्स के माध्यम से ली जावे। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

उक्त प्रकरण पर चर्चा उपरांत माननीय सदस्यगणों द्वारा जिलाध्यक्ष दर पर उच्च कुशल कर्मी के लिए, निर्धारित राशि रू. 12335/– पर संस्थान के पोर्टल के माध्यम से मानसेवी आधार पर वित्त समिति के प्रस्ताव को प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया।

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –17 **संस्थान के ईपीएफ कटौत्रा से छूटे कर्मचारियों को ईपीएफ तथा ईएसआईसी कटौत्रा में सम्मिलित किए जाने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का ईपीएफ तथा ईएसआईसी का कटौत्रा किया जाता है लेकिन 03 मानसेवी कर्मचारियों का मानदेय/मजदूरी की ईपीएफ द्वारा तय सीमा रूपये 15000/– से अधिक होने के कारण इन्हें उक्त कटौत्रा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनके द्वारा समय–समय पर रूपये 15000/– तक की राशि को कटौत्रा में सम्मिलित करते हुए इन्हें ईपीएफ तथा ईएसआईसी में सदस्य के रूप में सम्मिलित करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उक्त पर विचारोपरांत अपनी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए यह व्यवस्था रखी है कि निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय प्राप्त करने वाले छूटे हुए कर्मचारियों के इनकी सहमति से ईपीएफ तथा ईएसआईसी में सम्मिलित किए जाने की वैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए 05 सदस्यीय एक समिति का गठन संस्थान स्तर पर किया जाए, जिसमें ईपीएफ तथा ईएसआईसी के जानकार/सलाहकार सदस्य के रूप में हो। उक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में प्रस्ताव को पुनः वित्त समिति के समक्ष रखा जाए।

कार्यसमिति ने वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा उपरांत माननीय सदस्यों ने सुझाया कि इस विषय में ई.पी.एफ. वाले रूल्स के अनुसार कटोत्रा की कार्यवाही की जाना चाहिए। उक्त कार्यवाही के पूर्व इस संबंध में ई.पी.एफ. कार्यालय के लीगल एडवाइज़र से भी विचार–विमर्श करके ई.पी.एफ. कटोत्रा किए जाने का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –18 **संस्थान में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि विषयकः**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत मानसेवी अतिथि विद्वानों को प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 300/– अथवा रूपये 275/– का भुगतान किया जा रहा है। संस्थान के अध्यापन स्वरूप के कारण संस्थान में कार्यरत् अतिथि विद्वानों को अन्य शासकीय महाविद्यालियों की तुलना में अधिक कार्य निष्पादित करना होता है। इस कारण इनके मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखा गया।

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कार्यरत मानसेवी अतिथि विद्वानों के मानदेय के भुगतान विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से किया जाता है और इस संबंध में शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है और मानसेवी अतिथि विद्वानों के मानदेय में 5 प्रतिशत की स्थिति में संस्थान पर रूपये 15,00,000/– का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरांत वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव को कार्यसमिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की। कार्यसमिति के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर मानसेवी अतिथि विद्वानों को प्रति कार्य दिवस अधिकतम रू. 1500/– भुगतान का अनुमोदन किया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

माननीय सदस्यों द्वारा आगामी सत्र के अतिथि विद्वान के चयन के लिए गुणवत्ता के साथ अध्यापन दक्षता को सम्मिलित करते हुए योग्य अतिथि विद्वान के चयन की व्यवस्था दी गई। अध्यापन दक्षता के लिए गुणानुक्रम के अतिरिक्त साक्षात्कार के द्वारा अध्यापन दक्षता के लिए 20 अंक को सम्मिलित करते हुए गुणानुक्रम की अंतिम सूची तैयार कर सेवाएं लिए जाने की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ मानसेवी अतिथि विद्वानों की सेवाएं यूजीसी के विद्यमान निर्धारित योग्यताएं न होते हुए न्यायालयीन प्रकरण के कारण उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। उन्हें अधिकतम 2 वर्षो में योग्यता वृद्धि के लिए निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही अध्यापन कार्य की सतत् मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से अयोग्य पाए गए अतिथि विद्वानों को सेवा से पृथक किए जाने के निर्देश संचालक को प्रदान किंए। साथ ही विद्यार्थी संख्या के आधार पर मानसेवी अतिथि विद्वानों की आवश्यकताओं के युक्तियुक्तिकरण (पुनर्निर्धारण) द्वारा निर्धारित किया जावे।

सामान्य परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा संस्थान के वित्तीय स्थिति के मद्देनजर विस्तृत चर्चा उपरांत शासन की व्यवस्था अनुसार पी–एच.डी., नेट–स्लेटधारी अतिथि विद्वानों को रू. 1500/– प्रतिदिवस तथा अन्य डिग्रीधारी को रू. 1350/– प्रतिदिवस मानदेय दिए जाने के कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार किया। उक्त मानदेय जनवरी, 2022 से दिए जाने के निर्देश माननीय सदस्यों द्वारा संचालक को दिए गए।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL (M.P.)

कार्यसमिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नानुसार अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई :—

1. कोविड–19 के कारण छात्रावासी विद्यार्थियों से लिए जाने वाले छात्रावास शुल्क के अंतर्गत – "रूम रेन्ट" को विद्यार्थियों के छात्रावास में प्रवेश दिनांक से लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय सदस्यों द्वारा छात्रहित में इस प्रस्ताव को मान्य किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

   सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार किया गया तथा छात्रावास संबंधी अन्य शुल्क पूर्व निर्धारित नियमानुसार लिये जायें।

2. संस्थान में आधुनिक प्रणाली से शिक्षण किए जाने हेतु लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम (LMS) की व्यवस्था करने एवं इस हेतु अनुमानित व्यय लगभग 50 हजार रूपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत बजट के व्यय सीमा में मान्य किया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

   सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार किया गया।

3. AGMP के निर्देशानुसार जप्त अदेय काशनमनी को ट्रेजरी में जमा करवाने संबंधी निर्देश पर चर्चा की गई। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाया गया कि इस राशि को संस्थान की आय में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध करते हुए आवेदन वित्त विभाग को दिया जाना चाहिए। यदि वित्त विभाग इस आवेदन पर असहमति व्यक्त करता है तो यह राशि AGMP के निर्देशानुसार ट्रेजरी में जमा करा दी जानी चाहिए। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार करना चाहें।

   सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के अनुमोदन को अंगीकार किया गया।

4. संचालक द्वारा संस्थान में पूर्व से प्रचलित कुछ पाठ्यक्रमों के संयोजन (काम्बिनेशन) को वर्तमान में जारी NEP-2020 की गाइड लाइन में सम्मिलित न किए जाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा शीघ्र ही इस विषय में उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के सुझाव से अवगत होना चाहे।

   सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के सुझाव से अवगत हुई।

5. नेक में बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालक द्वारा संस्थान में और अधिक नियमित शिक्षकों की आवश्यकता प्रदर्शित की गई। माननीय सदस्यों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया। कार्यसमिति के निर्देशानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। सामान्य परिषद् कृपया प्रस्ताव से अवगत होना चाहें।

   सामान्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्यसमिति के सुझाव से अवगत हुई।

सामान्य परिषद् के माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :

1. संस्थान की अकादमिक परिषद् द्वारा अनुशंसित प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र में प्रारंभ किये जाने की अनुमति हेतु चर्चा की गई। ये पाठ्यक्रम BPES, BBA, एम.ए. हिन्दी, एम.ए. समाजशास्त्र, बी.एस.सी. मनोविज्ञान, एम.ए. मनोविज्ञान, फूड टेक्नालॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रीशन एवं डाइटेटिक्स हैं। सामान्य परिषद् द्वारा इन पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित आय–व्यय पर विचार करते हुए यह व्यवस्था दी गई कि इनको प्रारंभ किए जाने से संस्थान पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आये। सामान्य परिषद् द्वारा आगामी वर्ष 2022–23 से इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

23/12/21

(डॉ० प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
सदस्य–सचिव एवं प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

425

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

कार्यसमिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 01/2017

दिनांक : 28–08–2017

स्थान : संचालक, उ.शि.उ.सं. भोपाल — समय : अपरान्ह 2.00 बजे

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति, भोपाल की कार्यसमिति की बैठक श्री बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता मे दिनांक 28–08–2017 को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल के संचालक कक्ष मे अपरान्ह 2.00 बजे आयोजित की गई थी जिसमे उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री बी.आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	अध्यक्ष
2.	श्री नीरज मण्डलोई, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल	सदस्य
3.	श्री रविन्द्र सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल	विशेष आमंत्रित
4.	श्री संजय खाण्डे, अधीक्षण यंत्री, प्रशासन, लो0नि0वि0 (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. म.प्र. शासन) मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. सुषमा दुबे, अपर संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल	विशेष आमंत्रित
6.	श्री राजीव अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर (अनन्या पैकेज प्रा.लि.), डी. 93–94, विष्णु हाइटेक सिटी, बावड़िया कला, भोपाल	सदस्य
7.	डॉ. एम.एल. नाथ, संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	सदस्य–सचिव
8.	डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, उ.शि.उ.सं. भोपाल	सदस्य
9.	डॉ. एन.आर. दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक, उ.शि.उ.सं., भोपाल	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ. शारदा गंगवार, सहा. प्राध्यापक वाणिज्य एवं उप वित्त नियंत्रक, उ.शि.उ.सं., भोपाल	विशेष आमंत्रित

कार्यवाही विवरण

विषय क्रमांक –1 — कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 05.05.2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

संस्थान की कार्यसमिति की दिनांक 05.05.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –2 — वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संस्थान की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कर बी.सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज "रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एण्ड वाटर चार्जर्स" से प्राप्त राशियों के संबंध में जानकारी ली, जिसके संबंध मे वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया कि संस्थान मे संचालित केंटीन के संबंध मे ठेकेदार से किराया, उपयोग की गई बिजली एवं पानी के एवज मे राशि रू. 98,671/– प्राप्त की, जिसे संस्थान के आय पक्ष में दर्शाया गया है। इसी प्रकार संस्थान के स्थिति विवरण के "लोन एण्ड एडवांसेस" के शेडयूल–डी में दर्ज टीडीएस ऑन एफडीआर (2015–16) के संबंध मे पृच्छा की गई, इस संबंध मे वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के स्थाई जमा पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस को शेडयूल–डी में दर्शाया जाता है तथा संस्थान द्वारा संबंधित वर्ष का आयकर विवरण प्रस्तुत कर आयकर विभाग से उक्त राशि वापस प्राप्त की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार शेडयूल–डी मे एम.पी.लघु उद्योग निगम के असमायोजित अग्रिम को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेखा पुस्तकों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया। अंकेक्षक के रिपोर्ट में नोट्स टू एकाउंट के बिन्दु क्रमांक–14 के संबंध में यह जानना चाहा कि सौलर प्लांट पर आयकर विभाग द्वारा 80 प्रतिशत ह्रास स्वीकृत होने के उपरांत संस्थान के सौलर प्लांट पर 15 प्रतिशत की दर से ह्रास क्यों लगाया गया, जिसके संबंध मे वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया कि 80 प्रतिशत ह्रास आयकर विभाग की दृष्टि से उच्चतम दर है, यदि उस दर से ह्रास लगाया जाता है तो सौलर प्लांट दो वर्ष की भीतर ही अपलीखित करना होगा, इस कारण व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंकेक्षक द्वारा 15 प्रतिशत ह्रास लगाया गया। समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन का गहन विश्लेषण उपरात अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

क्रमांक –3 संस्थान छोड़ चुके विद्यार्थियों द्वारा वापस नहीं ली गई अवधान राशि को राजसात कर संस्थान की आय में सम्मिलित करने विषयक :–

संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 के निर्णयानुसार संस्थान में अध्ययन [illegible] चुके ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने संस्थान छोड़ने के तीन वर्षों के भीतर जमा अवधान राशि वापस नहीं ली है उस राशि को [illegible] राजसात कर संस्थान की आय में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष [illegible] से [illegible] [illegible] संस्थान में प्रवेशित विद्यार्थियों से अवधान राशि के रूप में ₹1,15,58,576/– जमा शेष है। इनमें से वित्तीय वर्ष [illegible]11–12 से दिनांक 31.3.15 तक संस्थान पर अवधान राशि वापसी का दायित्व ₹91,63,500/– है एवं संस्थान छोड़ने [illegible] निर्धारित अवधि तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2015 तक विद्यार्थियों द्वारा वापस नहीं ली गई अवधान राशि ₹2395076/– (₹11558576 – ₹9163500 = ₹2395076) राजसात योग्य है। वित्त समिति द्वारा [illegible] की [illegible] की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया की मानसेवी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों तथा अन्य समस्त व्ययों की पूर्ति संस्थान द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से की जाती है, इसके लिए एकमुश्त नियमिति अनुदान राशि संस्थान को प्राप्त नहीं होती है।

वित्त समिति समस्त तथ्यों से अवगत हुई एवं अवधान शुल्क के राजसात की जाने योग्य राशि को संस्थान की आय में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –4 आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–

वित्त समिति के समक्ष बजट प्रस्ताव रखा गया, जिसमें शासन से प्राप्त अनुदान, [illegible] साधनों एवं परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से प्राप्त राशि तथा बैंक ब्याज सहित कुल प्राप्तियों के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है।

अ) बजट में नेटवर्किंग की सुचारू व्यवस्था, लेन नेटवर्किंग, वाई–फाई सुविधा, नेट [illegible] तथा सीसीटीवी कैमरों के द्वारा परिसर में सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बजट करते हुए नए बजट शीर्ष के रूप में [illegible] निगम, भोपाल को देय होने वाले सर्विस टैक्स के लिए पृथक से नए आवर्ती बजट शीर्ष 'संपत्तिकर–नगर निगम, भोपाल' को प्रशासकीय व्यय के रूप में एवं बजट शीर्ष 'क्लस्टर योजना' को अकादमिक व्ययों में सम्मिलित करते हुए बजट व्यवस्था की गई है आवर्ती बजट शीर्ष 'औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण' में कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के नए आयाम को सम्मिलित करते हुए बजट शीर्ष का नाम 'औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/कार्यशाला एवं प्रशिक्षण' करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई।

ब) निर्माणाधीन बालक छात्रावास के लिए शासन से रूपये 2.00 करोड़ की राशि प्राप्त होना शेष है। शासन से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रावास निर्माण के लिए देय शेष राशि [illegible] करोड़ को संस्थान के सामान्य मद से व्यय किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 01–03–2017 को की गई घोषणानुसार संस्थान के इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास प्रस्तावित बड़े सेमिनार हॉल सह ऑडिटोरियम का प्राथमिक प्राक्कलन प्राप्त किया गया। प्राक्कलित राशि रूपये [illegible] लाख तथा प्रस्तावित ऑडिटोरिम के प्राथमिक नक्शे का अवलोकन समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई कि निर्माण कार्य को शासन/अन्य एजेन्सियों से राशि प्राप्त होने के उपरांत किया जाए एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।

स) संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान को सम्मिलित करते हुए बजट प्रावधान किया गया, जिसके संबंध में समिति को जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष [illegible] तक प्रतिवर्ष निर्माण कार्यो के लिए रू. 80 लाख अनुदान प्राप्त होता रहा है परन्तु उसके पश्चात कोई अनुदान शासन से प्राप्त नही हुआ है। इन वित्तीय वर्षो के अनुमानित प्राप्य राशि ₹320.00लाख को वित्तीय वर्ष 2017–18 के सामान्य बजट में सम्भावित आय के रूप में दर्शाते हुए बजट प्रस्तावित किया गया, जिस पर समिति द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई एवं शासन से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए तथा प्रस्तावित बजट में परीक्षा आदि कार्यों के लिए [illegible] क्रय हेतु प्रस्तावित बजट को संशोधित करते हुए रूपये 7.50 लाख करते हुए समस्त बजट प्रस्तावों की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।

कार्यसमिति ने यह निर्देशित किया है कि आगामी सामान्य बजटों में महिलाओं एवं दिव्यांगों के प्रतिशत को ध्यान मे रखते हुए बजट प्रस्ताव तैयार किया जावे।

बिंदु क्रमांक अ, ब, एवं स प्रस्तावों पर विचारोपरांत कार्यसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

2

ांक –5 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण विषयक :–**

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में प्रतिवर्ष सीए की नियुक्ति से दो तरह के कार्यो हेतु की जाती है :–

क्षण कार्य : जिसके अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य, यूजीसी एवं अन्य योजनाओ से ने वाले अनुदानों का उपयोगिता एवं आय–व्यय एव आवश्यक प्रमाण–पत्र तैयार करना एव (2) *आयकर एव रों से संबंधी कार्य :* जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न और चालू वित्तीय वर्ष के 24Q तथा 26Q के त्रैमासिक कटौता प्रस्तुत करने, फार्म 16 तथा फार्म 16A को डाउनलोड करने, आयकर एवं वैट रिर्टन फाइल करने, टैक्स आडिट स्थान को आयकर विभाग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले नोटिस के संबंध में संस्थान का पक्ष रखने आदि ार्य किए जाते है।

अ) उल्लेखनीय है कि पूर्व आयकर सबंधी कार्य निर्बाध रूप से सपन्न करना वैधानिक बाध्यता ायकर विभाग द्वारा चाही गई किसी भी जानकारी एवं नोटिस के प्रतिउत्तर तथा निराकरण सीए द्वारा आयकर में उपस्थित होकर अथवा ऑनलाईन अपने स्तर से किया जाता है। अतः प्रतिवर्ष नए सीए को उक्त कार्य हेतु त करने से पूर्व वित्तीय वर्षो के संपूर्ण जानकारी के अभाव मे उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे आयकर मसलों के निराकरण मे देरी होती है तथा संस्थान को पेनल्टी आदि संबंधी आयकर के नोटिस बार–बार प्राप्त हैं।

बी.सी.पी.जैन एण्ड कं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 मे अंकेक्षण कार्य ाथ आयकर संबंधी सभी कार्यो को किया गया है। अतः इनके पास आयकर विभाग द्वारा चाही गई अधिकाश कारियाँ उपलब्ध है तथा पूर्व वित्तीय वर्षो के आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसो का यथासमय जवाब त कर संस्थान के पूर्व वित्तीय वर्षो के कई टीडीएस मामलो का निराकरण किया है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय आधार पर आयकर संबंधी कार्यो हेतु बी.सी.पी.जैन कं. को आगामी वर्षो के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे समिति द्वारा मान्य करते हुए बी.सी.पी.जैन कं. द्वारा दिए गए सहमति पत्र में कार्यानुसार चाहे गए मानदेय को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक संशोधनोपरात ानुसार अनुशंसा की गई :–

Particular	Consultancy fee / Amount
1. Filling of annual/quarterly Income Tax returns in form 24Q/26Q, Downloading form no. 16 & 16A, Rectification of Errors in TDS returns of FY 2016-17	₹20,000/- annually
2. Rectification of errors in TDS returns of earlier years	₹2,000/- per rectification/ notice
3. Attending to Income Tax notice	₹8,000/- per notice, subject to the intensity and the matter involved in the notice

ब) प्रतिवर्ष किए जाने वाले वैधानिक अंकेक्षण कार्य पूर्व वित्तीय वर्षो की भांति वित्तीय वर्ष 2016–17 तु प्रतिष्ठित स्थानीय अंकेक्षको से प्राप्त मानदेय सहमति के आधार पर अंकेक्षक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव समिति समक्ष रखा गया। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के लिए 05 सीए फर्मस् से सहमति पत्र प्त हुए है, उनके द्वारा चाहे गए परामर्श शुल्क का तुलनात्मक विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति ने वलोनोपरांत बी.सी.पी.जैन एण्ड कं. की अंकेक्षण शुल्क न्यूनतम रूपये 30,000/– + सेवाकर/जीएसटी, होने के कारण मिति द्वारा अनुशंसा की गई। ।

कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव 'अ' एवं 'ब' का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

षय क्रमांक –6 **संस्थान में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को म०प्र० शासन के नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति वेतनमान दिए जाने विषयक :–**

वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि संस्थान मे कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियो को राज्य ासन के विभिन्न विभागों मे नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति म०प्र० शासन, सामान्य शासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के निहित

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

...स्थानुसार संस्थान की स्थापना समिति एवं फाइनेंस सैल की संयुक्त बैठक दिनांक 11.04.2017 की अनुशंसा अनुसार ...निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया —

422

श्रेणी	वेतनमान
अकुशल	4000–80–7000
अर्द्धकुशल	4500–90–7500
कुशल	5000–100–8000

उपरोक्त के संबंध में वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि उक्त व्यवस्था से संस्थान पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वित्त समिति ने विचारोपरांत इस हेतु संस्थान के सैटअप में शासन स्तर पर स्थाई पदों के निर्माण की प्रक्रिया के उपरांत स्थाई कर्मी का वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति के समक्ष यह सुझाव आया कि संस्थान को समस्त कार्यों जैसे प्रवेश, मेरिट, पाठ्यक्रम एवं वित्तीय कार्यों में स्वायत्ता प्राप्त है एवं राज्य शासन के स्थापना लाग संबंधित आदेश स्वत: प्रभावी नहीं होंगे। अतः उक्त व्यवस्था के लिए संस्थान प्रशासन अपनी स्वायत्ता के अनुरूप परीक्षण कर औचित्य सहित प्रस्ताव पुनः रखें।

विषय क्रमांक –7 **संस्थान में 20 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर चुके कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को म0प्र0 शासन के दै.वे.भो. कर्मचारियों की भांति ₹2500/– विशेष भत्ते के रूप में देने विषयक:–**

संस्थान में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों, जिनकी संस्थान में सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 राजपत्र क्रमांक 242, दिनांक 30 मई 2013 द्वारा जारी निर्देशानुसार दै.वे.भो. कर्मचारियों की भांति प्रतिमाह ₹2500/– विशेष भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा 20 वर्ष की कार्यअवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अवधि पूर्ण होने की तिथि से विशेष भत्ते के रूप में ₹2500/– प्रतिमाह प्रदान करने की अनुशंसा की, जिसमें पूर्व से मिल रहे ₹1500/– समाहित हैं।

कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –8 **संस्थान में चल रहे निर्माण कार्य विषयक :–**

वित्त समिति द्वारा पूर्व वित्तीय वर्षों से प्रगतिशील कार्य एवं 2017–18 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्यों की अनुशंसा की :–

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2016–17 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	41.35	
2	बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	70.00	32.39	
3	बाह्य विद्युतीकरण	50.00	26.00	24.00	
4	खेल मैदान की फेंसिंग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	30.00	5.86	
5	बालक छात्रावास का निर्माण	300.00	190.00	110.00	शासन से रूपये 200.00लाख अपेक्षित
6	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	–	38.00	
7	विविध छोटे निर्माण कार्य	15.00	12.50	2.50	वित्तीय वर्ष 2016–17 के बकाया देयक
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**759.60**	**505.50**	**254.10**	
प्रस्तावित निर्माण कार्य					
1	विविध छोटे निर्माण कार्य	26.00		26.00	जीर्णशीर्ण पुराने छात्रावास एवं विज्ञान भवन कक्ष क्र 46 से 51 तक के एसबेसटोस शीट को गैलोनाइज्डशीट में बदलना, बालक छात्रावास हॉस्टल वार्डन आवास में परिवर्तन करना तथा 04 नए क्लास रूम में बदलने का कार्य सम्मिलित है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

संस्थान के सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य	17.00		17.00	
बालक छात्रावास हेतु पहुच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52		14.52	
बड़ा सेमिनार हॉल सह ऑडिटोरियम	610.49		100.00	निर्माण के लिए शासन/अन्य से अनुदान प्राप्त होने पर प्रस्तावित
योग (प्रस्तावित कार्य)	668.01		157.52	
कुल योग	1427.61	505.50	411.62	

कार्यसमिति ने 'प्रगतिशील निर्माण कार्य' के बिंदु क्र. 5 बालक छात्रावास के संबंध में अपर संचालक ने जानकारी दी कि पिछला बजट खर्च नहीं हो पाया था। इसलिए नए बजट में प्रावधान नहीं किया गया। आयुक्त महोदय ने निर्माण संबंधी कार्यों 2015–16 के सारे यू.सी. के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्य के लिए अक्टूबर में अनुपूरक बजट में अपने दावा प्रस्तुत करें। इससे लगभग एक करोड़ की राशि आगामी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराए।

कार्यसमिति द्वारा उपरोक्त निर्माण प्रस्तावों का विचारोपरांत अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –9 **विकास शुल्क में वृद्धि विषयक :–**

संस्थान के सीमित संसाधनों से समायानुकूल विकास कार्य जारी रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत सृजित करने के लिए संस्थान के विद्यार्थियों से सामान्य सीट में ₹1000/– तथा एन.आर. आई./पेमेंट सीट में ₹5000/– की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित वृद्धि से संस्थान को लगभग ₹27,00,000/– अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होगा, जिसका उपयोग संस्थान के पूर्व जीर्णशीर्ण कन्या छात्रावास के कमरों तथा विज्ञान विभाग के कक्ष 46 से 51 तक के पुराने एसबेसटोस शीट को गेलोनाइज शीट में बदलने, बालक छात्रावास के लिए होस्टल वार्डन निवास के रूप में रूपांतरित करने, 04 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों में परिवर्तन करने तथा अन्य उपयोगिता के लिए 02 अतिरिक्त कमरों के नवीनीकरण करने में उपयोग किया जाएगा।

समिति ने विचारोपरांत सामान्य सीट के विकास शुल्क में ₹500/– तथा एन.आर.आई./पेमेंट सीट पर ₹2500/– की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार विकास शुल्क की अनुशंसा की:–

सीट	**वर्तमान विकास शुल्क**	**वृद्धि उपरांत विकास शुल्क**
सामान्य सीट	₹1500/–	₹2000/–
एन.आर.आई./पेमेंट सीट	₹7500/–	₹10000/–

कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –10 **व्यवसायिक पाठ्यक्रम की शुल्क संचरना विषयक :–**

संस्थान में पाठ्येत्तर गतिविधि के अंतर्गत नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त संस्थान में संचालित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पूर्व स्वीकृत शुल्क संरचना में आंशिक संशोधन करते हुए शुल्क संरचना का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार शुल्क संरचना की अनुशंसा की:–

क्र.	कार्य का प्रकार	प्रस्तावित मानदेय की दर	रिमार्क
1.	विषय–विशेषज्ञ	न्यूनतम ₹400/– प्रतिघण्टा, अधिकतम तीन घण्टे।	पूर्व स्वीकृत अतिथि विद्वान के स्थान पर विषय–विशेषज्ञ शब्द जोड़ा गया।
	विशिष्ट कौशलधारी	न्यूनतम ₹500/– प्रतिघण्टा, अधिकतम दो घण्टे।	पूर्व स्वीकृत अतिथि विद्वान–सीनीयर वर्ग के स्थान पर विशिष्ट कौशलधारी शब्द जोड़ा गया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अतिथि विद्वान–विशिष्ट व्याख्यान (ख्यातिप्राप्त)	न्यूनतम ₹1000/– प्रतिदेढ़ घण्टा, अधिकतम ₹4000/– प्रतिदिवस।		यूजीसी नाम्स अनुसार व्यवस्था
साक्षात्कार एव प्रायोगिक कार्य	प्रतिकर्मचारी ₹200/– प्रतिदिवस।		नवीन प्रस्ताव
परिवहन व्यवस्था	संस्थान मे स्वीकृत दर		पूर्ववत् निविदा अनुसार दर प
बाह्य परीक्षको से आतंरिक मूल्याकन: अ) उत्तरपुस्तिका ब) असाइनेट, प्रोजेक्ट, सर्वे रिपोर्ट आदि	 ₹25/– प्रति उत्तरपुस्तिका, न्यूनतम ₹500/– ₹40/– प्रति इकाई, न्यूनतम ₹500/–		नवीन प्रस्ताव
पहचान पत्र	₹100/– प्रति पहचान पत्र		नवीन प्रस्ताव
व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुल्क: (परीक्षा शुल्क सहित)	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	
1) पीजी डिप्लोमा	₹10000/–	₹7500/–	पूर्व मे स्वीकृत
2) डिप्लोमा	₹8000/–	₹6000/–	
3) सर्टिफिकेट एव विशिष्ट पाठ्यक्रम	₹2500/–	₹1875/–	
4) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रायोगिक)	₹1000/–	₹1000/–	
5) प्रशिक्षण कार्यक्रम (गैर–प्रायोगिक)	₹800/–	₹800/–	
6) बाह्य विद्यार्थि से अवधान राशि (वापसी योग्य)	₹1000/–	₹1000/–	
7) तकनीकी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	₹4000/–	₹3000/–	नवीन प्रस्ताव

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और निर्देशित किया कि उपरोक्त प्रस्ताव के समस्त बिंदुओं/ शर्तों के साथ पुन: कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक –11 संस्थान में बड़े सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम के निर्माण विषयक :–

संस्थान मे वर्तमान मे 2500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं, उनके पाठ्येत्तर गतिविधियो के अंतर्गत आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रम यथा–सेमिनार, कार्यशाला, उपाधि वितरण समारोह, वार्षिक स्नेह सम्मेलन, युवा उत्सव आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बड़ा सेमिनार हॉल/ओडिटोरियम नही हैं। वर्तमान मे इन कार्यक्रमो के लिए केवल 50–60 विद्यार्थियो की बैठक क्षमता वाले छोटे कक्ष उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति मे एक बड़ा सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम की संस्थान को अत्यंत आवश्यकता है।

संचालक द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी म०प्र० गृह निर्माण एव अद्योसरचना विकास मंडल, भोपाल से इन्डोर स्पोर्ट्स के पास प्रस्तावित भवन का नक्शा एव प्रारंभिक प्राक्कलन चर्चा हेतु प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर अद्योसरचना विकास (भवन निर्माण, लगभग 550 विद्यार्थियो की बैठक व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, परिसर का विकास एवं वातानुकूलन आदि) हेतु रूपये 6.105 करोड़ का व्यय निर्माण एजेन्सी ने दर्शाया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कन्या छात्रावास – वार्डन क्वार्टर (वर्तमान वोकेशनल सेल) के मध्य प्रस्तावित बड़े सेमिनार हॉल–कम–ओडिटोरियम के निर्माण के लिए प्राप्त प्राथमिक प्राक्कलन रूपये 6.105 करोड के प्रस्ताव तथा उसके नक्शे का समिति ने अवलोकन किया तत्पश्चात् इस निर्माण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष मे 100.00 लाख की बजट व्यवस्था की अनुशंसा की। शेष धनराशि के लिए राज्य शासन को स्वीकृति हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक –12 संस्थान में बालक छात्रावास प्रारंभ करने विषयक :–

अ) संस्थान मे प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बाहरी छात्रो के निवास संबंधी महती समस्या निवारण के उद्देश्य से लम्बे समय तक बालक छात्रावास की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान परिसर मे म०प्र० गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल द्वारा 100 छात्रों की क्षमता वाले बालक छात्रावास के निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, जिसे वर्ष 2017–18 से प्रारंभ किया जाना अनुमानित है। बालक छात्रावासियों से संस्थान मे संचालित वर्तमान कन्या छात्रावासियो की भांति छात्रावास शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका वित्तसमिति द्वारा अनुशंसा की गई ।

कार्यसमिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का विचारोपरांत अनुमोदन किया गया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

ब) बालक छात्रावास हेतु कन्या छात्रावास की भांति 01 "वरिष्ठ छात्रावास मैनेजर" तथा 01 "छात्रावास मैनेजर" की सेवाएं लेते हुए कन्या छात्रावास मैनेजर के समतुल्य निम्नानुसार मानदेय दिया जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष निम्नानुसार रखा गया:–

1. वरिष्ठ छात्रावास मैनेजर (पुरूष) हेतु प्रतिमाह मानदेय रूपये 10,500/–

2. मैनेजर (पुरूष) प्रतिमाह रूपये 8500/–

समिति द्वारा विचारोपरांत बालक छात्रावास के लिए 1. छात्रावास मैनेजर प्रतिमाह मानदेय ₹10500/– तथा 2. छात्रावासें परिचारक प्रतिमाह मानदेय ₹8500/– पर पद स्वीकृति उपरांत मानदेय की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा बालक छात्रावास हेतु उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार एक छात्रावास मैनेजर तथा छात्रावास परिचारक का मानदेय आधार पर पद स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –13 **व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल के पूर्णकालीक समन्वयक के मानदेय में वृद्धि विषयक :–**

संस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल द्वारा विभिन्न अल्प एवं दीर्घकालीन डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सस् तथा ट्रेनिंग प्रोग्रामस् का संचालन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा इससे प्लेसमेंट मे भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन एवं व्यवस्था हेतु एक पूर्णकालीक समन्वयक की सेवाएं ली जा रही है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 2014–15 से वरिष्ठ मानसेवी शिक्षक के तुल्य प्रतिदिवस अधिकतम मानदेय राशि ₹1100/– का भुगतान हो रहा है।

(क) इनके द्वारा मानदेय मे वृद्धि हेतु लगातार अनुरोध किया जाता रहा है। संस्थान में दी जा रही इनकी सेवाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मानदेय में 25 प्रतिशत (₹275/–) की वृद्धि करते हुए मानदेय प्रतिदिवस ₹1375/– किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(ख) उपरोक्त विषय के संबंध मे अध्यक्ष द्वारा प्रेक्षा की गई कि बरकतउल्ला वि.वि. में इस तरह के कार्यों के लिए कितना भुगतान किया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। संस्थान में सहा. प्राध्यापक के पद के समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को रू. 30,000 से 40,000/– पर खुली चयन प्रक्रिया उपरात नियुक्त करें।

डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त नियंत्रक ने जानकारी दी कि ऐसी ही योग्यता रखने वाला प्रभारी आई.सी.टी. सेल को भी इनके समान ही भुगतान करने की अनुमति दी जाए, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

जिस पर विचारोपरांत कार्यसमिति द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूर्णकालिक समन्वयक तथा प्रभारी आई.सी.टी. सेल के मानदेय मे रू. 275/– की दैनिक मानदेय में वृद्धि करते हुए खुली चयन प्रक्रिया द्वारा स्थिर मानदेय पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –14 **संस्थान परिसर में सौर संयंत्र की स्थापना विषयक :–**

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान के संपूर्ण परिसर मे विद्युत व्यवस्था पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 20 से 25 लाख का व्यय आता है। गैर–परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों की श्रेणी में सौर ऊर्जा का उपयोग संस्थान के विद्युत ऊर्जा के स्थानापन्न साधन के रूप मे करने के लिए संस्थान की विभिन्न समितियों के द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है। इस हेतु संस्थान द्वारा ऊर्जा विकास निगम (म0प्र0 शासन का उपक्रम) लिमिटेड, भोपाल से संपर्क किया गया, उन्होने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया कि संस्थान की विद्युत खपत के अनुसार 70 कि.वा. क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित कर प्रतिदिवस के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। 70 कि.वा. क्षमता सौर संयंत्र स्थापना की कुल अनुमानित लागत रूपये 42,83,289/– है, जिसमें से केन्द्र एवं राज्य शासन का अनुदान रूपये 19,27,479/– है और शेष अंश राशि रूपये 23,55,810/– (55 प्रतिशत) संस्थान द्वारा वहन योग्य है। उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति ने अत्यंत लाभकारी पाया, सौर संयंत्र स्थापित होने से प्रतिवर्ष विद्युत मण्डल को भुगतान की जाने वाली राशि लगभग रूपये 20.00 लाख की बचत होगी। अतः संस्थान परिसर में वित्तीय वर्ष 2017–18 मे सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए रूपये 23,55,810/– का बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरात अनुशंसा की गई।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

418

कार्यसमिति ने सुझाया कि संस्थान मे नई नीति के अंतर्गत शून्य इन्वेस्टमेंट पर सौर ऊर्जा को या जा सकता है। कम्पनी द्वारा 10 साल बाद इसे संस्थान को हेड ओवर शासन के माडल अनुसार किया जा सकता इस संबंध में ऊर्जा विकास निगम को अनुरोध किया जाए। प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

षय क्रमांक –15 उच्च शिक्षा कोष में राशि जमा करने हेतु नवीन व्यय शीर्ष निर्मित कर बजट प्रावधान विषयक:–

संस्थान मे चल रहे एजीएमपी के अंकेक्षक दल द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार एवं संस्थान मे प्रतिवर्ष अध्ययनरत विद्यार्थियों से वापसी योग्य राशियों को छोड़कर प्राप्त शुल्क का 1 प्रतिशत उच्च शिक्षा कोष मे जमा किया जाना है। राजपत्र क्रियान्वित होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए जमा शुल्क का 1 प्रतिशत रूपये 14,51,720/- जमा होना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवर्ती व्ययों में नया व्यय शीर्ष "उच्च शिक्षा कोष मे योगदान" नाम से सृजित कर बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की गई।

वर्ष 2017-18 से विद्यार्थियो से लिए जाने वाले शुल्क में "उच्च शिक्षा कोष मे योगदान" नाम से कुल शुल्क का (अवधान राशि को छोड़कर) 1 प्रतिशत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव को प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के परिपेक्ष्य मे स्थगित करने का निर्णय लिया।

विषय क्रमांक –16 स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना में विद्यार्थियों का योगदान विषयक :–

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि एजीएमपी के अंकेक्षक दल द्वारा वर्ष 2013-14 से लागू स्वामी विवेकानन्द कैरियर योजनांतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी से ₹12/- वार्षिक शुल्क लेकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए कोष बनाने के प्रावधान का उल्लेख किया गया। इस हेतु संस्थान मे वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक अध्ययनरत विद्यार्थियो के हिसाब से लगभग रूपये 1,11,612/- बकाया राशि का बजट प्रावधान करने तथा वर्ष 2017-18 से प्रत्येक विद्यार्थी से लिए जाने वाले शुल्क मे रूपये 12/- वार्षिक को सम्मिलित करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत दोनो प्रस्तावो की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –17 दो अतिरिक्त सहायक विषयों की शुल्क संरचना विषयक :–

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में संस्थान के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा फोरेंसिक साइंस विषय और फैशन डिजाइन विभाग द्वारा फैशन डिजाइन को अतिरिक्त सहायक विषय के रूप मे क्रमशः विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ करने तथा इसके लिए प्रायोगिक शुल्क रूपये 1000/- प्रति सेमेस्टर करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने चर्चा उपरांत सत्र 2018-19 से उपरोक्त शुल्क संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया।

विषय क्रमांक –18 मानसेवी अतिथि विद्वानों के लिए बजट व्यवस्था :–

विज्ञान तथा कला संकाय मे प्रस्तावित अतिरिक्त सहायक विषय के अध्यापन के लिए 04 मानसेवी तथा वाणिज्य संकाय के सेक्सन मे वृद्धि होने के कारण 03 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षको की आवश्यकता होगी। वर्ष 2016-17 मे शासन द्वारा संस्थान के लिए 54 मानसेवी शिक्षको की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षाओ को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 मे 61 मानसेवी शिक्षको के मानदेय के लिए ₹1,50,00,000/- का बजट प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि संस्थान सत्र 2018-19 से अपने अतिथि विद्वानों को 30 जून तक आमंत्रित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। संस्थान सत्र 2017-18 में अनुमोदित 61 अतिथि विद्वानो के लिए विज्ञप्ति आगामी सत्रों मे भी जारी कर सकता है, इसके लिए बार-बार शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में शासन से अनुमोदन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करें। आने वाले सत्रों मे अनुमोदित संख्या के अतिरिक्त यदि और अतिथि विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए शासन से अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

क्ष की अनुमति से अन्य विषय :

417

शोध केन्द्र की स्थापना बावत् :

संस्थान में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और बायोटेक्नालॉजी विषय में शोध केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। लेकिन बजट में विधिवत प्रक्रिया एवं विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।

2– प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखने के लिए अनुमति बावत् :

संस्थान में ऑनर्स पाठ्यक्रम होने के कारण स्थापना वर्ष 1995–96 से ही संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पृथक रूप से संस्थान द्वारा निष्पादित की जाती रही है। वर्ष 2016–17 तक संस्थान के पृथक ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है और प्रतिवर्ष समस्त प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर 1 जुलाई से नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती रही है। परंतु वर्ष 2017–18 में संस्थान को अन्य महाविद्यालयों के साथ ई–प्रवेश पोर्टल में सम्मिलित किए जाने के कारण प्रवेश तिथि 31 अगस्त तक बढ़ गई जिसके कारण नए प्रवेशित विद्यार्थी अपने अध्ययन में पिछड़ गए हैं। अतः संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया पूर्व वर्षों की भांति स्वयं संस्था द्वारा पोर्टल पर निष्पादित करने के लिए संचालक को अधिकृत करने की अनुमति देना चाहें।

प्रस्ताव पर कार्यसमिति ने सहमति प्रदान की तथा आगामी सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखने का संचालक का प्रस्ताव शासन को अनुशंसा के लिए प्रेषित करने का निर्देश दिया।

3– विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित, म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अंतर्गत आई.डी.पी. के लिए निम्नांकित परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति बावत :

(1) वाणिज्य विभाग में – बी.कॉम. में अतिरिक्त विषय के रूप में कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम, तथा पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट फाइनेनसिंग एनालाइसिस प्रारंभ करना।

(2) कम्प्यूटर साइंस विभाग में – डिप्लोमा इन वेब एप्लीकेशन डवलपमेंट।

(3) रसायनशास्त्र विभाग में – बी.एस–सी में अतिरिक्त विषय के रूप में फारेंसिक साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करना।

(4) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी एवं गणित विषय के लिए केन्द्रियकृत विज्ञान शोध प्रयोगशाला प्रारंभ करना।

(5) आई.क्यू.ए.सी. के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा – आई.ए.एस., एम.पी.पी.एस.सी., बैंक पी.ओ. आदि के लिए **विशेष अध्ययन एवं कोचिंग केन्द्र** की स्थापना।

उपरोक्त बिंदुओ के लिए कार्यसमिति ने निर्देश दिया कि संस्थान स्तर पर आई.डी.पी. बनाकर गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत करें।

4– जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिपालन में मार्गदर्शन :

संस्थान की स्थापना वर्ष से ही संस्थान की सामान्य परिषद् के अनुमोदन उपरांत संस्थान की आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों हेतु जिलाध्यक्ष/संविदा कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं। वर्तमान में संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर 19 और मानसेवी आधार पर 21 कर्मचारी कार्यरत् है। जिलाध्यक्ष दर पर सेवारत् 19 कर्मचारियों जिनकी सेवा अवधि संस्थान में 15–20 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके द्वारा मान. उच्च न्यायालय में नियमितिकरण के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्णय लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिलाध्यक्ष दर पर सेवारत् कर्मचारियों के नियुक्ति के समय अर्थात् संस्थान की स्थापना वर्ष से ही संस्थान में पद स्वीकृत नही थे और उन्हें मासिक मजदूरी का भुगतान कोषालय से न होकर संस्थान अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से भुगतान करता आ रहा है। उक्त कर्मचारियों के लिए *नियमितिकरण के परिप्रेक्ष्य में गठित विभागीय छानबीन समिति* के पत्र क्रमांक एफ–1–11/2013/38–3, भोपाल, दिनांक 20–05–2015 द्वारा संस्थान में रीडिप्लायड चतुर्थ श्रेणी रिक्त 12 पद संस्थान के सेटअप में स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों को नियमितिकरण के लिए अमान्य किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में निर्णय लिया जाना है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

418

संस्थान एक स्वायत्त संस्था है, अतः संस्थान स्वयं इस प्रकरण में परीक्षण कर पूर्ण औचित्य सहित अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करें। साथ ही जानकारी दी कि उमादेवी प्रकरण के अंतर्गत ये कर्मचारी आते हैं तो इस प्रकरण पर विचार किया जा सकता है।

5— बैठक में डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त नियंत्रक द्वारा संस्थान में सी.बी.सी.एस. लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यसमिति में यह राय बनी कि फिलहाल सी.बी.सी.एस. प्रणाली को विचाराधीन रखा जाए तथा संस्थान में सत्र 2008–2009 के पूर्व से (सत्र 1995 से) सेमेस्टर प्रणाली के प्रचलन में होने एवं सामान्य पाठ्यक्रम से भिन्न ऑनर्स पाठ्यक्रम होने के कारण सेमेस्टर प्रणाली को निरंतर रखे जाने हेतु प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया।

संचालक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित.
दिनांक 14.09.2017.

(डॉ. एन.एल. नाथ)
सदस्य–सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

कार्यसमिति समिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 01/2018

दिनांक : 11–07–2018

स्थान : संचालक कक्ष **समयः मध्यान्ह 12.00 बजे**

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति की कार्यसमिति की बैठक श्री बी.आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 11–07–2018 को संस्थान परिसर में मध्यान्ह 12.00 बज़े आयोजित की गई जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. श्री बी.आर. नायडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — अध्यक्ष
2. श्री अजीत कुमार, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल — सदस्य
3. श्री दीपक असाई, वि.क.अ., लो0नि0वि0 (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन) मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
4. डॉ. एम.एल. नाथ, संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — सदस्य-सचिव
5. डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — सदस्य
6. डॉ. शिरीष जोशी, प्राध्यापक एवं संयोजक निर्माण समिति, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
7. डॉ. एन.आर.दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
8. डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त–नियंत्रक एवं सहा. प्राध्यापक वाणिज्य उ.शि.उ.सं., भोपाल — विशेष आमन्त्रित

प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल एवं श्री राजीव अग्रवाल, मेनेजिंग डायरेक्टर (अनन्या पेकेज प्रा.लि.), अन्यत्र व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

विषय क्रमांक –1 **कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 28.08.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

संस्थान की कार्यसमिति की दिनांक 28.08.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –2 **वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संस्थान की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण बी.सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा तैयार अंकेक्षण प्रतिवेदन को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन के "नोट्स टू अकाउंटस" के बिन्दु क्रमांक 4–A और B के संबंध में पूर्व वर्षो के समायोजित राशियों के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत मासिक बैंक समाधान पत्रक तैयार करने के लिए निर्देशित किया, जिससे लेखांकन की त्रुटियों को समय पर सुधारा जा सके। बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित एस.बी.आई. आई–कलेक्ट के संबंध में निर्देशित किया कि संचालक द्वारा लेखा शाखा को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि आई–कलेक्ट की प्रविष्टि दैनिक आधार पर रोकड़ बही में दर्ज की जाए। बिन्दु क्रमांक 6 के संदर्भ में निर्देशित किया कि संस्थान के विद्युत देयक में उल्लेखित अवधान राशि, अवधान राशि पर ब्याज तथा उसके संबंध में काटे गए टी.डी.एस. की राशि की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में पृथक–पृथक की जाए। बिन्दु क्रमांक 13 के संदर्भ में समिति ने यह उल्लेखित किया कि सी.ए. के परामर्श अनुसार NEFT भुगतान फेल होने की स्थिति में बैंक विवरण से इसकी पुष्टि कर उसकी प्रविष्टि लेखा पुस्तक में करने के उपरांत पुनः भुगतान की कार्यवाही की जाए। बिन्दु क्रमांक 17 में उल्लेखित आहरण जिनकी रोकड़ पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं होना दर्शित है, के संबंध में समिति ने चर्चा की, जिसके तारतम्य में वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि सूची में उल्लेखित अधिकांश राशि की जांच उपरांत संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि करा दी गई है, साथ ही समिति को यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यो (सूची डी) के लिए म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को वर्ष 2013–14 से दिए गए अग्रिमों में से ₹7.96 करोड़ का समायोजन की प्रविष्टि बित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा पुस्तक में कर दी गई है। शेष आडिट बिन्दुओं के संबंध में समिति ने निर्देशित किया कि संस्थान के वर्तमान सी.ए. बी.सी.पी. जैन एण्ड कं. के मार्गदर्शन में यथाशीघ्र समाधान कर लिया जाए। उपरोक्त चर्चा एव निर्देशो के उपरांत वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई।

कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

शासन से प्राप्त अनुदान – राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास हेतु ₹3.53 करोड़, रूसा कम्पोनेन्ट–9 के अंतर्गत ₹2.00 करोड़ तथा आई.डी.पी. अंतर्गत ₹1.00 करोड़ आवंटित राशि और स्वयं के साधनों से (परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से प्राप्त राशि तथा बैंक ब्याज सहित) ₹6.4509 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल प्रावधित प्राप्तियों ₹12.5809 करोड़ के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सामान्य बजट भाग–1 के कुल प्रावधित व्यय ₹14.6546 करोड़ का आकलन किया गया है, जिसमें से गैर–आवर्ती व्यय शीर्ष में ₹9.0781 करोड़ तथा आवर्ती व्यय शीर्ष मे ₹5.5765 करोड़ का आकलन किया गया है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट घाटा ₹2.1287 करोड़ की पूर्ति शासन से प्राप्त होने वाले – बालक छात्रावास के निर्माण हेतु शेष ₹2.00 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक ₹80.00लाख प्रतिवर्ष अनुदान के हिसाब से ₹4.00 करोड़ की राशि तथा संस्थान के संचित साधनों से पूर्ति से करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा अवलोकन उपरांत वित्तीय वर्ष 2018–19 के सामान्य बजट भाग–1 की प्राप्ति तथा भुगतान मद में सम्मिलित राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत राशि ₹3.53 करोड़ को विलोपित करने का निर्देश देते हुए बजट भाग–1 की विस्तृत व्यवस्थाओं की अनुशंसा की। वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2018–19 की प्रावधित आय रू. 9.0500 करोड़ तथा प्रावधित व्यय 11.1787 करोड़ तथा बजट घाटा 2.1287 करोड़ है।

कार्यसमिति ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए तैयार किये बजट प्रस्ताव का अवालेकन कर बजट घाटे के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए यह सुझाव दिया कि बजट घाटे को कम से कम करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। कार्यसमिति द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार, वित्त नियंत्रक ने बजट घाटे को कम करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है – मानसेवी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि संबंधी शासन के आदेश (26–06–2018) अनुसार मानदेय भुगतान के लिए बजट में रू. 46.50 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, साथ ही निर्माण व्ययों में रू. 63.74 लाख की कमी, कम्प्यूटर–प्रिंटर्स में रू. 10.00 लाख की कमी, फर्नीचर मद में रू. 20.00 लाख की कमी, इंटरनेट नेटवर्किंग में रू. 10.00 लाख की कमी, खेल उपकरणों में रू. 1.00 लाख की कमी, विद्युत उपकरणों में रू. 10.00 लाख की कमी, नए वाहन क्रय में रू. 8.50 लाख की कमी, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य सामग्री में रू. 2.35 लाख की कमी, प्रशासकीय व्यय में रू. 31.00 लाख की कमी, पाठ्येत्तर गतिविधियों में रू. 6.00 लाख की कमी, होस्टल मरम्मत आदि विविध व्ययों में रू. 45.50 लाख की कमी के उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित बजट में सकल कमी रू. 172.34 लाख होगी और शुद्ध बजट घाटा रू. 40.53 लाख होगा।

कार्यसमिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत होकर संशोधित बजट प्राक्कलन वर्ष 2018–19 को अनुमोदित किया ।

विषय क्रमांक –4 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण विषयक :–**

वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा पुस्तकों का वैधानिक अंकेक्षण तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयकर फार्म 24Q तथा 26Q का त्रैमासिक विवरणी फाइल किया जाना है। अंकेक्षण कार्य हेतु गत वर्ष 2017–18 में बी.सी.पी. जैन एवं कं. का चयन प्राप्त निविदा एवं सहमति पत्र के आधार पर किया गया है। वैधानिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण शुल्क के रूप में रू. 30000+सेवाकर/जी.एस.टी. तथा टैक्स आडिट हेतु ₹20,000/– वार्षिक एवं टी.डी.एस. संशोधन हेतु ₹2,000/– एवं आयकर विभाग में संस्थान का पक्ष रखने हेतु ₹8,000/– अधिकतम प्रति नोटिस की स्वीकृति सामान्य सभा द्वारा प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान का अंकेक्षण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करना है, क्योंकि संस्थान के संचालक की सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2018 है और सामान्यतः एक अंकेक्षक से तीन वित्तीय वर्षो में अंकेक्षण कार्य कराये जाने की परम्परा है। इन्हीं प्रावधानों के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के लिए बी.सी.पी. जैन एण्ड कं. का नाम प्रस्तावित किया गया है। वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयकः**

पूर्व वित्तीय वर्षो से प्रगतिशील कार्य एवं 2018–19 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्य संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए वित्त समिति की अनुशंसा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

439

कार्यसमिति ने वित्त समिति द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों में निम्नानुसार संशोधन उपरांत संशोधित निर्माण कार्यों का अनुमोदन किया :–

कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति / अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2017–18 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
तेशील निर्माण कार्य :–				
10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	10.00	
बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	70.00	20.00	
बाह्य विद्युतीकरण	50.00	26.00	05.00	
खेल मैदान की फैंसिंग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	25.00	05.86	
बालक छात्रावास का निर्माण	300.00	270.00	30.00	
ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	01.00	
विविध छोटे निर्माण कार्य	15.00	02.50	02.50	
विविध छोटे निर्माण कार्य (सहायक)	26.00	05.00	00.00	
संस्थान के सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य	17.00	17.96	3.00	GST एव लागत मे वृद्धि
बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	00.00	14.52	
बड़ा सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम	610.49	00.00	00.00	निर्माण शासन से अनुदान प्राप्त होने पर
योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**1427.51**	**593.46**	**91.88**	
तावित निर्माण कार्य :–				
A. आई.डी.पी.				
गणित विभाग के ऊपर सेंट्रल लेब का उन्नयन	100.00	00.00	55.00	प्राप्त राशि से प्रस्तावित
नये अकादमिक ब्लॉक के ऊपर द्वितीय तल का जीर्णोद्धार	09.80	00.00	05.00	
विद्यार्थियों के पार्किंग स्थल पर शेड का निर्माण	50.00	00.00	20.00	
फोरेंसिक साइंस लेब का विस्तार एवं उन्नयन	20.00	00.00	10.00	
B. राज्य योजना बजट से अधोसंरचना विकास				
भूतल पर 6 नये कक्षों का निर्माण	353.09	00.00	353.09	राज्य योजना के अंतर्गत
C. रूसा योजनांतर्गत विभागीय आवंटन				
प्रशासनीक भवन का निर्माण	100.00	00.00	100.00	रूसा कम्पोनेंट–09 मे रू 160.00 लाख प्राप्त राशि से व्यय
पुराने कन्या छात्रावास का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कर अध्यापन कक्षों में परिवर्तित करना	60.00	00.00	60.00	
D. संस्थान स्तर पर निर्माण कार्य				
बहूउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण (300 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था)	375.00	00.00	00.00	
विद्यार्थी पार्किंग गेट के पास गार्ड रूम का निर्माण	03.00	00.00	03.00	
बालक छात्रावास से निजी नियामक आयोग के गेट तक एंगल तथा वारवेट वॉयर फेंसिंग का निर्माण	07.00	00.00	07.00	
विद्यार्थी पार्किंग गेट के पहुँच मार्ग का RCC वर्क तथा पुराने RCC की मरम्मत	10.00	00.00	10.00	
योग (प्रस्तावित कार्य)	**1087.89**	**593.46**	**365.00**	
कुल योग	**2515.40**	**593.46**	**456.88**	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –6 **संस्थान में बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल का निर्माण विषयक :**

वित्त नियंत्रक ने वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में वर्तमान मे 2700 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं, उनके पाठ्यैत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित होने वाली दैनंदिनों की विविध गतिविधि यथा–सेमिनार, कार्यशाला, विषय संबंधी विशेष व्यवख्यान आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल नहीं हैं। वर्तमान में इन कार्यक्रमों के लिए केवल 50–60 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले छोटे कक्ष उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल की संस्थान को अत्यंत आवश्यकता है। इस महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान के सामान्य सभा के अध्यक्ष, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.02.2017 को संस्थान में रोजगार मैले के उद्घाटन कार्यक्रम में संस्थान में बड़े सेमिनार हॉल सह ओडिटोरियम उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया गया था। साथ ही, संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु इस संबंध में निर्देशित किया गया था।

माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार संचालक द्वारा 300 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल हेतु निर्माण एजेन्सी म०प्र० गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, भोपाल से नये अकादमिक ब्लॉक के पास सेमीनार हॉल निर्माण के लिए संपर्क किया गया, जिस पर लगभग ₹375/– लाख व्यय होना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1.00 करोड़ का प्रावधान बजट भाग–1 में किया गया है। वित्त समिति ने विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की तथा इस संदर्भ संचालक द्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय सेमीनार हॉल के लिए म.प्र. गृह निर्माण मंडल से प्राप्त विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रस्तावित सेमीनार हॉल की अनुमानित लागत 356 लाख आंकी गई। प्रस्तावित सेमीनार हॉल का नक्शा भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रस्तावित सेमीनार हॉल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत यह व्यवस्था दी है कि इस निर्माण पर व्यय होने वाली राशि रू. 356 लाख की व्यवस्था के लिए संस्थान के स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोत (जैसे – शासन, यूजीसी इत्यादि) खोजे जाने तक इस मद में बजट प्रावधान 2018–19 की राशि रू. 100 लाख का व्यय न किया जाए जिससे संस्थान का वित्तीय घाटा 2.12 करोड़ से घटकर 1.12 करोड़ जो जाएगा। उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य निर्माण संबंधी बजट प्रावधानों का अनुमोदन कार्यसमिति द्वारा किया गया।

विषय क्रमांक –7 **नहर चौराहा से संस्थान तक यातायात सुविधा उपलबध कराने विषयक :**

संस्थान मे अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा संस्थान आने के लिए सिटी बस का उपयोग किया जाता है, परन्तु बस की सुविधा संस्थान तक नहीं होने के कारण उन विद्यार्थियों को नहर चौराहे से सस्थान तक लगभग 2.50 किमी पैदल आना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में नहर चौराहे से संस्थान तक विद्यार्थियो हेतु परिवहन सुविधा हेतु 02 मैजिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, जिस पर ₹10,000/– प्रति मैजिक प्रतिमाह की किराया दर से संस्थान पर 01 वर्ष में ₹2.00लाख का वित्तीय भार आएगा। इस यात्रा सुविधा हेतु प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह ₹100/– यात्रा शुल्क के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया था।

समिति ने चर्चा उपरांत उक्त पर होने वाले व्यय को छात्रहित में संस्थान द्वारा वहन करने की अनुशंसा की। साथ ही निर्देशित किया कि परिवहन सुविधा हेतु लिए जाने वाले वाहनों का निर्धारण परिवहन विभाग के निर्देशों तथा भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत किया जाए।

कार्यसमिति ने इस विषय में चर्चा उपरांत यह व्यवस्था सुझाई है कि परिवहन सुविधा उपयोग करने वाले विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क लिया जाना चाहिए। तद्नुसार यात्रा सुविधा हेतु प्रति विद्यार्थी से प्रतिमाह लिए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क रू. 100/– लिए जाने का अनुमोदन किया गया।

कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित करना चाहें।

विषय क्रमांक –8 **संस्थान के कन्या छात्रावास के मेनेजर तथा परिचारक के मानदेय में वृद्धि विषयक :**

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के कन्या छात्रावास में मानसेवी आधार पर कार्यरत सुश्री अर्चना यादव 23 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत हैं। साथ ही, परिचारक के रूप में श्रीमती गिरिजा कुमारी, विगत में 05 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वर्ष 2014 के पश्चात् किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। विगत् 04 वर्षो की मंहगाई एवं जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

पर इनके मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया :–

क्रमांक	श्रेणी	वर्तमान मानदेय (प्रतिमाह)	प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिमाह)	वृद्धि उपरांत प्रस्तावित मानदेय (प्रतिमाह)
1.	छात्रावास मैनेजर	₹10,500/–	₹2,625/–	₹13,125/–
2.	छात्रावास परिचारक	₹8,500/–	₹2,125/–	₹10,625/–

समिति द्वारा विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –9 **संस्थान में निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख एवं मरम्मत संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए कार्यरत सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर श्री के. एस. मोहन के मानदेय में वृद्धि विषयक :**

वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि संस्थान में प्रगतिशील निर्माण कार्यों की देखरेख एवं विविध मरम्मत संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर श्री के.एस. मोहन की सेवाएं संस्थान में ली जा रही हैं, इसके लिए उन्हें दिनांक 01.11.2012 से ₹16,500/– प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

संस्थान में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए इनके मानदेय मे 25% की वृद्धि (₹4125/–) करते हुए ₹20,625/– प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत मानदेय के निर्धारण के लिए नस्ती के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया।

कार्यसमिति ने उक्त संबंध में 25% की वृद्धि के औचित्य के संबंध में जानना चाहा जिसके संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि सेवानिवृत्त इंजीनियर को सेवानिवृत्ति की तिथि में उनका मासिक वेतन (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर) रू. 32,078/– था और उस तिथि को उनके पी.पी.ओ. के अनुसार पेंशन की राशि रू. 12,030/– थी। तद्नुसार इनको अधिकतम रू. 20,048/– मानदेय के रूप में दिया जाना नियमानुसार है।

कार्यसमिति ने उपरोक्त तथ्यों से अवगत होकर सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर के पर्यवेक्षण के मासिक मानदेय में रू. 3500/– की वृद्धि करते हुए कुल मानदेय रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –10 **संस्थान के पत्र वाहक के वाहन भत्ते में वृद्धि विषयक:–**

संस्थान के पत्र वाहक के द्वारा स्थानीय मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों से संबंधित पत्रों को पहुँचाने तथा लाने और डाकघर से पत्रों के आदान–प्रदान एवं अन्य कार्य संपन्न किये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार की वाहन सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। वह अपने स्वंय के वाहन से उपरोक्त कार्य निष्पादित करते है, इसके लिए उन्हें संस्थान से वाहन भत्ते के रूप में दिनांक 21.12.15 से प्रतिमाह ₹900/- दिये जाते हैं। वर्तमान में कार्य की अधिकता एवं पेट्रोल की दरों में वृद्धि और वाहन मरम्मत को दृष्टिगत रखते हुए ₹200/- की वृद्धि करते हुए ₹1100/- प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत उपरोक्त प्रस्तावित वृद्धि की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक–11 **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :**

(1) **मानसेवी शिक्षकों के संबंध में :**

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 642/ आउशि/ योजना/ 2018 भोपाल, दिनांक 31–05–18 तथा इस संबंध में पूर्ववर्ती निर्देशानुसार संस्थान में वित्तीय वर्ष 2017–18 एव 2018–19 में शैक्षणिक अतिथि विद्वानों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है। संस्थान में उक्त शैक्षणिक कार्य में कार्यरत् 70 मानसेवी शिक्षक संस्थान के स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध नहीं है। इन मानसेवी शिक्षकों को पूर्व

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

र्णय अनुसार रू. 275/– प्रति व्याख्यान के हिसाब से मानदेय संस्थान द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से भुगतान किया जा रहा है। म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–1–42/2017/38–1/भोपाल, दिनांक 26–06–2018 की व्यवस्था संस्थान के मानसेवी शिक्षक की सेवाएं स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध नहीं होने के कारण लागू नहीं होती है। अतः मानसेवी शिक्षकों को रू. 275/– प्रति व्याख्यान की पूर्व व्यवस्था अनुसार जारी रखा जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण म.प्र. शासन के उक्त पत्र का अवलोकन कर निर्णय लेना चाहे।

कार्यसमिति ने इस विषय में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संस्थान को म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–1–42/2017/38–1/भोपाल, दिनांक 26–06–2018 के अनुसार संस्थान में कार्यरत् मानसेवी अतिथि विद्वानों को शासन के निर्देशानुसार प्रति कार्यदिवस के लिए रू. 1500/– के मानदेय के रूप में भुगतान किया जावे तथा उक्त आदेश (26–06–18) की कंडिका क्रमांक–2, 4, 5, 6 7, 8 एवं 9 की व्यवस्थाएँ मानसेवी अतिथि विद्वानों पर लागू होंगी।

कार्यसमिति की बैठक में संचालक द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि सत्र 2016–17 में संस्थान में माह सितम्बर 2016 में म.प्र. शासन की ओर से मानसेवी शिक्षकों को आमंत्रित करने की अनुमति विलंब से प्राप्त होने पर जारी किए गए विज्ञापन में म.प्र. शासन के परिपत्र दिनांक 08–08–16 के तहत अधिकांश अभ्यार्थी चतुर्थ श्रेणी के न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक ही उपलब्ध हो सके। तत्पश्चात् उन्हीं मानसेवी शिक्षकों को म.प्र. शासन के निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में सत्र 2017–18 एवं 2018–19 में कार्यभार ग्रहण कराया गया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि पूर्व में आमंत्रित किए गए न्यूनतम अर्हता वाले ऐसे मानसेवी शिक्षक जो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती (2017) हेतु म.प्र लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 24–01–2018 द्वारा निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं ऐसे मानसेवी शिक्षको को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल की उच्च शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने हेतु संचालक, उ.शि.उ.सं., भोपाल को निर्देशित किया गया कि संबंधितजनों को लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिनांक 24–01–2018 की अर्हता के संबंध में अपना पक्ष रखने का पत्र जारी कर, उन्हें मानसेवी शिक्षण सेवाओं से पृथक किए जाने की कार्यवाही करें एवं उच्च योग्यता रखने वाले अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जावे।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अगवत कराया कि वर्तमान वर्ष 2018–19 में मानसेवी अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए रू. 160 लाख की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त समिति में रखा गया था, परंतु शासन के आदेशानुसार (26–06–2018) मानदेय भुगतान की स्थिति में 70 मानसेवी अतिथि शिक्षकों में कटौती कर 64 मानसेवी अतिथि शिक्षकों के आधार पर बजट घाटा रू. 40.52 लाख की होगी। उक्त बजट घाटे की आंशिक पूर्ति मानसेवी अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिवस (05 व्याख्यान प्रतिदिन) व्याख्यानों की संख्या में वृद्धि करने पर पूर्व में स्वीकृत 70 मानसेवी अतिथि शिक्षकों में से 15 व्यक्तियों की कमी करके 55 मानसेवी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार मानसेवी अतिथि शिक्षकों के प्रतिदिवस व्याख्यानों में वृद्धि करके कुल मानसेवी शिक्षकों की संख्या में कमी कर बजट के शुद्ध घाटा रू. 40.52 लाख में से रू. 31.50 लाख की आंशिक पूर्ति होगी। शेष बजट घाटा रू. 09.02 लाख की पूर्ति संस्थान में रीडिप्लायड 08 रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों के पदांकन कर की जा सकेगी।

समिति द्वारा विचारोपरांत संशोधित बजट प्राक्कलन तथा अतिथि मानसेवी शिक्षकों की उपरोक्त व्यवस्था का अनुमोदन किया गया।

मानसेवी अतिथि विद्वानों पर चर्चा के क्रम में समिति के समक्ष संचालक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संस्थान में रीडिप्लाय स्वीकृत पदों में से 08 पदों पर पूर्व में कार्यरत् नियमित शिक्षकों की अन्यत्र स्थानांतरण/पदांकन के कारण संस्थान के शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए संस्थान को 08 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की महती आवश्यकता है। कार्यसमिति द्वारा तथ्यों से अवगत होने के पश्चात् मानसेवी शिक्षकों को रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) संस्थान में आउटसोर्सिंग से सेवाएँ लिए जाने के संबंध में :

संस्थान में चौकीदार, माली, फर्राश, प्रयोगशाला सहायक अत्यादि कार्यो के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा द्वारा सेवाएं ली जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उक्त कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इस संबंध में 07 निविदाएं प्राप्त हुई जिनमें से छः निविदाएं निविदा शर्तें पूर्ण नहीं

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

435

करने के कारण अपात्र पाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के भाग-2 सेवाओं का उपार्जन की कंडिका-43 में सेवा निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले सेवा प्रदाता परामर्श दाताओं की संख्या 03 से कम नहीं होने का उल्लेख है और इसी नियम की कंडिका-49 के अनुसार लोकहित में विशेष परिस्थितियों मे पात्र एकल सेवा परामर्शदाता को एकल स्रोत के रूप में चयन करने का प्रावधान है। संस्थान द्वारा आमंत्रित निविदाओं में से एक सेवा प्रदाता फर्म – कृष्णा सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर सर्विस, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल के द्वारा निविदा की सभी शर्तें एवं व्यवस्थाएं पालन करने के कारण संस्थान की सुरक्षा एवं क्रय समिति द्वारा उक्त फर्म से सेवाएँ लिए जाने की अनुशंसा की गई है। माननीय सदस्यगण प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्देश देना चाहें।

कार्यसमिति ने उक्त प्रस्ताव पर यह सुझाया कि निविदाएँ पुनः आमंत्रित की जाएं तथा उक्त प्रक्रिया में भी यदि पूर्ववत् परिस्थिति उत्पन्न होने पर एकमात्र पात्र फर्म को कार्यादेश दिया जा सकता है। साथ ही कार्यसमिति ने आगामी निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने तक वर्तमान सेवा प्रदाता फर्म कृष्णा सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर सर्विस, चूना भट्टी, कोलार रोड़, भोपाल की सेवाएँ जारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० एम.एल. नाथ)
सदस्य–सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016.

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

कार्यसमिति समिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 01 / 2019

दिनांक : 16–10–2019

स्थान : संचालक कक्ष समयः अपरान्ह 4.00 बजे

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति की कार्यसमिति की बैठक श्री हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 16–10–2019 को संस्थान परिसर मे अपरान्ह 4.00 बजे आयोजित की गई जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. श्री हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — अध्यक्ष
2. श्री ओ.पी. गुप्ता, उप सचिव, (प्रतिनिधि सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन) मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
3. श्री राजीव अग्रवाल, मेनेजिंग डायरेक्टर (अनन्या पैकेज प्रा.लि.),डी93–94, विष्णु हाइटेक सिटी, भोपाल — सदस्य
4. डॉ. गीता सक्सेना, प्रभारी संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — सदस्य–सचिव
5. डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — सदस्य
6. डॉ. शिरीष जोशी, प्राध्यापक एवं संयोजक निर्माण समिति, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
7. डॉ. एन.आर.दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
8. डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त–नियत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य उ.शि.उ.सं., भोपाल — विशेष आमंत्रित

प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल अन्यत्र व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

विषय क्रमांक –1 कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 11–07–2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन –

संस्थान की कार्यसमिति की दिनांक 11–07–2018 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण एवं पालन–प्रतिवेदन का अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

उक्त दिनांक के पालन–प्रतिवेदन के विषय क्रमांक–11 के बिंदु क्रमांक (1) के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने संचालक महोदय को निर्देशित किया गया कि जिन मानसेवी शिक्षकों को कोर्ट द्वारा अध्यापन कार्य हेतु अनुमति प्राप्त हुई है उन्हें छोडकर, संस्थान द्वारा सत्र 2019–20 हेतु तैयार की गई मानसेवी शिक्षकों की गुणानुक्रम सूची से अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जावे। महोदय ने सुझाया कि इस संबंध मे मानसेवी शिक्षकों के केस देख रहे वकीलों से भी विचार–विमर्श किया जावे। इसी विषय के बिंदु क्रमाक (2) के बारे मे प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने चर्चा में कहा कि आउट सोर्सिंग एजेंसी से लगातार तीन वर्ष सेवाएँ ली जावे।

विषय क्रमांक –2 वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :–

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा–पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य बी.सी.पी. जैन एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा वर्तमान लेखा–पुस्तकों में तदनुसार की गई प्रविष्टियों तथा किए गए सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत वित्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थान के लेखा शाखा मे नियुक्त कर्मचारियों को पर्याप्त सावधानियों के साथ लेखा पुस्तकों का संधारण करना चाहिए तथा समस्त प्राप्तियो एव भुगतानों का मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे ऑडिट रिपोर्ट मे दर्शित कमियों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

उक्त संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एवं उप सचिव, वित्त विभाग ने जानकारी ली तथा कार्य न होने के कारणों का पता लगाने हेतु निर्देशित किया और लेखा शाखा को भविष्य मे इस प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में सचेत किया जाए। संचालक महोदय को निर्देश देते हुए सुझाया कि संस्थान की आतंरिक लेखा परीक्षण समिति एवं लेखापाल के माध्यम से उक्त त्रुटियों का समाधान करे। इस सबंध मे सबंधित बैंक से संपर्क कर उनके द्वारा त्रुटियों मे सुधार किया जावे, ऐसा न होने पर संबंधित बैंक से संस्थान का खाता बंद करने की चेतावनी दी जावे। जिन विद्यार्थियों ने रिवर्स एन्ट्री की हैं उन्हें भी नोटिस दिए जाने के निर्देश संचालक को दिए। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिए कि प्रस्ताव पर संचालक पूर्ण कार्यवाही करें और प्रकरण को आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

संस्थान के बालक एवं कन्या छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों से, समिति द्वारा सेमेस्टर अनुसार मेस चार्जेस लिए जाने का निर्णय लिया गया।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –3 आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के सामान्य बजट भाग–1 को संस्थान के वित्तीय स्त्रोतों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है एवं यूजीसी द्वारा संस्थान में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (Internal Quality Assurance Cell - IQAC) स्थापित कर दीर्घकालिक गुणवत्ता मानको को आगे बढाने हेतु वर्ष 2013 में 05 वर्षो के लिए प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत यूजीसी द्वारा इस मद में राशि प्रदाय नहीं की गई है। आई.क्यू.ए.सी. सेल के सुचारू संचालन हेतु संस्थान के सामान्य बजट भाग–1 में इसकी व्यवस्था करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2019–20 से एक नया बजट शीर्ष "आई.क्यू.ए.सी." को आवर्ती मद–अकादनिक व्यय में जोड़ा गया है। तद्नुसार बजट प्राक्कलन में कुल प्राप्तियॉं ₹ 6,60,90,000/– तथा विभिन्न बजट–शीर्षो में होने वाला व्यय ₹ 6,58,92,000/– अनुमानित है।

वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित बजट प्राकल्लन के अवलोकन उपरांत संचालक से अतिथि विद्वान, मानसेवी कर्मचारी, जिलाध्यक्ष दर पर नियुक्त कर्मचारी एवं आउटसोंस सेवा के कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान के सबध में जानकारी ली। वित्त समिति को अवगत कराया कि संस्थान के विद्यार्थियों से प्राप्त शैक्षणिक शुल्क की 70 प्रतिशत से अधिक राशि उक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में व्यय हो जाती है, इसके उपरात वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित बजट प्राकल्लन की अनुशंसा करते हुए यह सुझाव दिया कि मानसेवी कर्मचारियों की पद स्वीकृति अथवा इस हेतु अनुदान प्रदान करने के संबंध में शासन को लिखा जावे।

कार्यसमिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई एवं बजट प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2019–20 अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –4 परीक्षा एवं अन्य कार्यो हेतु नये वाहन के क्रय हेतु अनुमति विषयक :–

दिनांक 26.05.2003 को संस्थान के परीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन हेतु एक वाहन (मारूती वेन– MP04 HA7930) संस्थान के स्वंय के वित्तीय स्त्रोतों से क्रय किया गया था, जो काफी पुराना है तथा वर्तमान में परीक्षा संबंधी कार्यो में हो रही वृद्धि तथा अन्य प्रशासनिक कार्य उक्त एक वाहन से परिपूर्ण करने मे कठिनाई हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक अतिरिक्त नए वाहन (मारूती स्वेफ्ट/मारूती वेगनआर/टाटा इंडिका) का क्रय किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया तथा इसके लिए इस वित्तीय वर्ष मे ₹ 8.50 लाख की बजट व्यवस्था भी की गई। वित्त समिति द्वारा अवलोकनोपरांत नए वाहन के क्रय की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सुझाया कि पुरानी वेन को राइट ऑफ किया जाए एव उसके स्थान पर संस्थान के विभिन्न कार्यो के लिए नई बोलेरो गाड़ी क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यसमिति ने यह सुझाव दिया कि उक्त वाहन के लिए आवश्यक बजट प्रावधान को बढाया जावे।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किए गए मरम्मत कार्य, फर्नीचर क्रय और कम्प्यूटर प्रयोगशाला के विद्युतीकरण संबंधी बकाया बिलों के भुगतान हेतु कार्योत्तर स्वीकृति विषयक :–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्वीकृत बजट से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग मे मरम्मत कार्य एवं नए कम्प्यूटर क्रय किए गए थे, जिनमें से श्री वैष्णव इन्ड्स्ट्रीज, गोविंदपुरा, भोपाल का देयक क्रमांक 226/2018–19 दिनांक 22.12.2018 ₹ 1,28,644/– तथा देयक क्रमांक 227/2018–19 दिनांक 22.12.2018 ₹ 97,226/– और कम्प्यूटर प्रयोगशाला में किए गए विद्युतीकरण का देयक क्रमांक 143 दिनाक 01.02.2019, मेसर्स निमेश अग्रवाल, भोपाल ₹ 1,40,000/– सहित कुल बकाया राशि ₹ 3,65,870/– के देयक लेखा शाखा में 31 मार्च 2019 के उपरांत प्राप्त होने के कारण पूर्व वर्ष के बजट से इसका भुगतान नहीं हो पाया है।

कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट से कार्योत्तर भुगतान का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया तथा वित्त समिति द्वारा अवलोकनोपरांत इसकी अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण विषयक :–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखापुस्तकों के वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु भोपाल के प्रतिष्ठित अंकेक्षकों को परामर्श शुल्क की निविदा हेतु पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 06 अंकेक्षक प्रतिष्ठानों के द्वारा परामर्श शुल्क के विवरण का उल्लेख करते हुए पत्र प्राप्त हुए हैं। उल्लेखित परामर्श शुल्क के आधार पर संस्थान की क्रय

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

समिति के माध्यम से तुलनात्मक विवरण–तैयार किया गया एवं अंकेक्षक फर्म – संजय श्रीवास्तव एंड क., संतोष टावर 148, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल के द्वारा निविदत्त परामर्श शुल्क ₹ 48,000/– में नियामानुसार 18 प्रतिशत जी एस.टी. सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 56,640/– (रूपये छप्पन हजार छः सौ चालिस मात्र) न्यूनतम होने के कारण इन्हें अंकेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा की कि संस्थान के वैधानिक अंकेक्षण के लिए निविदा अनुसार सी.ए. फर्म को तीन वित्तीय वर्षो का अंकेक्षण कार्य कराया जाए। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा यथाप्रस्तावित सी.ए. फर्म संजय श्रीवास्तव एंड कं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण कार्य कराए जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –7 संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :–

वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व वित्तीय वर्षो से प्रगतिशील कार्य एवं 2019–20 में नवीन प्रारंभ किए जाने वाले निम्न कार्य संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रस्तुत हैं

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2018–19 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	25.00	
2.	बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	90.00	10.00	
3.	बालक छात्रावास	300.00	300.00	8.00	कक्षों मे किये गए स्टील अलमारी के निर्माण हेतु
4.	खेल मैदान की फैंसिग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	25.00	10.00	
5.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
6.	बाह्य विद्युतीकरण	50.00	26.00	05.00	
7.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	02.00	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	759.12	630.00	62.52	
प्रस्तावित निर्माण कार्य :–					
1.	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
2.	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	7.00	00.00	7.00	
3.	बालक छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
	योग (प्रस्तावित कार्य)	15.00	00.00	15.00	
	कुल योग	774.12	630.00	77.52	

वित्त समिति द्वारा उक्त निर्माण प्रस्तावों की अनुशंसा करते हुए सुझाव दिया गया कि म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल द्वारा संस्थान के छोटे निर्माण कार्यो में कम रूचि लेने तथा उनको सौंपे गए निर्माण कार्यो को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने के कारण संस्थान स्तर पर छोटे निर्माण कार्यों के लिए म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल के अतिरिक्त अन्य निर्माण एंजेंसियों यथा पुलिस गृह निर्माण से निर्माण कार्य करने की संभावनाओं पर विचार किया जावे।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया।

प्रस्ताव के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने चर्चा में संचालक से जानकारी प्राप्त की, कि ये कार्य समय–सीमा में पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे हैं ? उन्होंने उक्त संबंध में संचालक को निर्देश दिए कि संचालक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से म.प्र. हाउसिंग बोर्ड को भेजे जाने वाला पत्र तैयार करे।

विषय क्रमांक –8 मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) शुल्क लिए जाने विषयक :–

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1174/02/टी.एल./आउशि/योजना/17 दिनांक 21.12.17 के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से संस्थान के अध्ययनरत विद्यार्थियों से प्रति विद्यार्थी ₹ 20/– प्रतिवर्ष की दर से मानसिक स्वास्थ्य शुल्क लेकर कोष का निर्माण करने एवं इस राशि का उपयोग संस्थान में संचालित मनोविज्ञान विभाग के मार्गदर्शन

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में किए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक 9 **ई.पी.एफ. के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में राशि जमा किए जाने विषयक :–**

भारत के राज्यपत्र भाग–2 खण्ड–3 के उपखण्ड–ii में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.08.2016 के परिपेक्ष्य में संस्थान के ई.पी.एफ. एडवोकेट श्री जलखरे द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों एवं मानसेवी कर्मचारियों जो ई.पी.एफ. के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिनका सकल मजदूरी/मानदेय ₹ 21,000/– तक प्रतिमाह है, के पारिश्रमिक का 4.75 प्रतिशत तथा कर्मचारी का 1.75 प्रतिशत का कटौता कर कर्मचारी राज्य बीमा के खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसके अनुसार संस्थान में सेवारत् कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, उनके सकल वेतन का 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अंशदान के साथ 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अंशदान को सम्मिलित करते हुए कुल 6.50 प्रतिशत राशि प्रतिमाह कर्मचारी राज्य बीमा के खाते में जमा किए जाने का प्रस्ताव समिति मे समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –10 **संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति अवकाश सुविधा प्रदान किए जाने विषयक :–**

राज्य शासन की व्यवस्था के अंतर्गत (म0प्र0 राजपत्र 30.05.2013 क्रमांक 242 के खण्ड–9 में वर्णित अवकाश उपकंडिका क्रमांक 1, 2 एवं 3 की व्यवस्था अनुसार) जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत कर्मचारियो को सेवा अवधि में प्रतिवर्ष 07 आकस्मिक अवकाश तथा 05 ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किये गए हैं।

तदनुसार वित्त समिति के समक्ष संस्थान में कार्यरत् तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियो को उक्त अवकाश सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया। विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा अन्य संस्थाओं में शासकीय नियमानुसार दिए जाने वाले अवकाश लाभों की जानकारी प्राप्त कर 07 आकस्मिक अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश दिए जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष महोदय ने संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को निर्देश दिए कि उक्त अवकाश के संबंध में कानूनी प्रावधान का अवलोकन कर पुन: आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक –11 **संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय को राज्य शासन के अनुसार मंहगाई भत्ते के साथ जोड़ने विषयक :–**

संस्थान में कार्यरत् तकनीकी एवं गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियो के द्वारा समय–समय पर मानदेय में वृद्धि तथा पुन:निर्धारण की मॉग की जाती रही है। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष दो बार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर को मंहगाई में होने वाली वृद्धि के कारण बढाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष होने वाली मूल्य वृद्धि के कारण संस्थान में कार्यरत मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियो की वास्तविक आय में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति के लिए इनके वर्तमान मानदेय में राज्य शासन द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दर के अनुसार (सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार प्रचलित मंहगाई भत्ता दर 12 प्रतिशत) शासन द्वारा घोषित दिनांक से मंहगाई भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई तथा मानदेय को डी.ए. के साथ जोड़ने के स्थान पर वर्तमान देय मानदेय में वृद्धि किए जाने को उचित माना। मानदेय में वृद्धि के संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत् कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वर्तमान में ₹ 23,690/– प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि म0प्र0 पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड में इस पद पर संविदा पारिश्रमिक ₹ 50,820/– प्रतिमाह है। इसी प्रकार सहायक प्रोग्रामर को संस्थान से प्रतिमाह ₹ 17,768/– का भुगतान किया जा रहा है जबकि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा इस पद के विरूद्ध संविदा पारिश्रमिक ₹ 40,970/– प्रतिमाह है और संस्थान के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹ 15,381/– प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जबकि कार्यालय, कलेक्टर विदिशा (म0प्र0) तथा कार्यालय, कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा इस पद पर ₹ 22,770/– प्रतिमाह संविदा मानदेय निर्धारित किया गया है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में किए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक 9 — **ई.पी.एफ. के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में राशि जमा किए जाने विषयक :–**

भारत के राज्यपत्र भाग–2 खण्ड–3 के उपखण्ड–ii में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.08.2016 के परिपेक्ष्य में संस्थान के ई.पी.एफ. एडवोकेट श्री जलखरे द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मचारियों एवं मानसेवी कर्मचारियों जो ई.पी.एफ. के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिनका सकल मजदूरी / मानदेय ₹ 21,000 / – तक प्रतिमाह है, के पारिश्रमिक का 4.75 प्रतिशत तथा कर्मचारी का 1.75 प्रतिशत का कटौता कर कर्मचारी राज्य बीमा के खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसके अनुसार संस्थान में सेवारत् कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, उनके सकल वेतन का 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अंशदान के साथ 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अंशदान को सम्मिलित करते हुए कुल 6.50 प्रतिशत राशि प्रतिमाह कर्मचारी राज्य बीमा के खाते मे जमा किए जाने का प्रस्ताव समिति मे समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत इसकी अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –10 — **संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भांति अवकाश सुविधा प्रदान किए जाने विषयक :–**

राज्य शासन की व्यवस्था के अंतर्गत (म0प्र0 राजपत्र 30.05.2013 क्रमांक 242 के खण्ड–9 में वर्णित अवकाश उपकंडिका क्रमांक 1, 2 एवं 3 की व्यवस्था अनुसार) जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत कर्मचारियो को सेवा अवधि में प्रतिवर्ष 07 आकस्मिक अवकाश तथा 05 ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किये गए हैं।

तद्नुसार वित्त समिति के समक्ष संस्थान में कार्यरत् तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों को उक्त अवकाश सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया। विचारोपरांत वित्त समिति द्वारा अन्य संस्थाओं में शासकीय नियमानुसार दिए जाने वाले अवकाश लाभों की जानकारी प्राप्त कर 07 आकस्मिक अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश दिए जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष महोदय ने संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को निर्देश दिए कि उक्त अवकाश के संबंध में कानूनी प्रावधान का अवलोकन कर पुन: आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक –11 — **संस्थान के मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय को राज्य शासन के अनुसार मंहगाई भत्ते के साथ जोड़ने विषयक :–**

संस्थान में कार्यरत् तकनीकी एवं गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियो के द्वारा समय–समय पर मानदेय में वृद्धि तथा पुनःनिर्धारण की मॉग की जाती रही है। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष दो बार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर को मंहगाई में होने वाली वृद्धि के कारण बढाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष होने वाली मूल्य वृद्धि के कारण संस्थान में कार्यरत मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों की वास्तविक आय में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति के लिए इनके वर्तमान मानदेय में राज्य शासन द्वारा घोषित महगाई भत्ते की दर के अनुसार (सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार प्रचलित मंहगाई भत्ता दर 12 प्रतिशत) शासन द्वारा घोषित दिनांक से मंहगाई भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई तथा मानदेय को डी.ए. के साथ जोड़ने के स्थान पर वर्तमान देय मानदेय में वृद्धि किए जाने को उचित माना। मानदेय में वृद्धि के संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत् कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वर्तमान में ₹ 23,690 / – प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि म0प्र0 पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड में इस पद पर संविदा पारिश्रमिक ₹ 50,820 / – प्रतिमाह है। इसी प्रकार सहायक प्रोग्रामर को संस्थान से प्रतिमाह ₹ 17,768 / – का भुगतान किया जा रहा है जबकि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा इस पद के विरूद्ध संविदा पारिश्रमिक ₹ 40,970 / – प्रतिमाह है और संस्थान के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹ 15,381 / – प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जबकि कार्यालय कलेक्टर विदिशा (म0प्र0) तथा कार्यालय, कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा इस पद पर ₹ 22,770 / – प्रतिमाह संविदा मानदेय निर्धारित किया गया है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत वित्त समिति ने संस्थान में कार्यरत तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय में निम्नानुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की:–

पदनाम	वर्तमान मानदेय	10 प्रतिशत वृद्धि की राशि	वृद्धि उपरांत अनुशंसित मानदेय
प्रोग्रामर	₹ 23690 / –	₹ 2369 / –	₹ 26059 / –
सहायक प्रोग्रामर	₹ 17768 / –	₹ 1777 / –	₹ 19545 / –
डाटा एंट्री ऑपरेटर	₹ 15381 / –	₹ 1538 / –	₹ 16919 / –

इसी प्रकार संस्थान मे कार्यरत गैर–तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति द्वारा अनुशसित 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –12 **संस्थान के शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि विषयक :–**

संस्थान मे विद्यार्थियो की संख्या मे निरतर वृद्धि के कारण सचालन व्यय मे निरतर वृद्धि हो रही है, जिसकी पूर्ति संस्थान द्वारा स्वंय के स्त्रोतों से की जाती है। वर्तमान में विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का 70 से 75 प्रतिशत तक की राशि उक्त स्थापना मदों पर व्यय करनी होती है, जिससे की संस्थान के अकादमिक विकास के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। विगत् 05 वर्षो से विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। भावी अकादमिक विकास तथा आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि के उद्देश्य से विद्यार्थियो के शिक्षण शुल्क मे 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

समिति द्वारा इस संबंध मे संस्थान के पिछले वर्षो के व्ययों के सबध मे प्रेक्षा की गई। वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15 मे संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियो की सख्या 2259 थी, जिसमें लगातार हो रही वृद्धि के उपरांत वर्ष 2019–20 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3100 होने के कारण संस्थान के संचालन व्ययों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अध्ययापन व्यवस्था के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षको पर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,04,83,547 / – व्यय किया गया जो बढकर वर्ष 2018–19 मे ₹ 1,40,59,925 / – हो गया है। इसी तरह अन्य संचालन व्ययों में भी वृद्धि हुई है।

वित्त समिति तथ्यों से अवगत होकर संस्थान के प्रवेशित विद्यार्थियो के शिक्षण शुल्क मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की।

प्रस्ताव पर कार्यसमिति के सदस्यों ने चर्चा की। चर्चा उपरात समिति ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 से शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक को निर्देशित किया कि स्नातकोत्तर की कक्षाओ मे कम से कम 10 विद्यार्थियों का प्रवेश होने पर ही कक्षाएँ संचालित की जाये। महोदय ने निर्देश दिए कि संकायवार / ऑनर्स विषय के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की संख्या का सत्यापन कर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को इस जानकारी से अवगत कराया जाए।

विषय क्रमांक –13 **संस्थान में संचालित आई.क्यू.ए.सी. सेल हेतु वित्त व्यवस्था विषयक :–**

यूजीसी के निर्देशानुसार संस्थान मे अकादमिक सुधार हेतु आई.क्यू.ए.सी. सेल का गठन किया गया है। इस हेतु यूजीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से पॉच वर्ष के लिए वित्तीय अनुदान केवल एक बार के लिए ₹ 3.00 लाख प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात् इस हेतु यूजीसी से कोई धनराशि संस्थान को प्राप्त नहीं होना है। सेल के सुचारू संचालन के लिए यूजीसी के मापदण्ड अनुसार संस्थान के वित्तीय स्त्रोतों में से निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया :–

अ.	आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी का वार्षिक (प्रतिमाह अधिकतम ₹ 1000 / –के दर से) मानदेय	– ₹ 12,000 / –
ब.	आई.क्यू.ए.सी. के अंशकालीन लिपिकीय कार्य हेतु कार्य अनुसार मानदेय वार्षिक (प्रतिमाह अधिकतम ₹ 1000 / –के दर से) मानदेय	– ₹ 12,000 /
स.	कार्यालयीन स्थाई सामग्री	– ₹ 10,000 / –
द.	स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक (विशेष व्यख्यान / कार्यशाला / अन्य) व्यय हेतु	– ₹ 26,000 / –
	कुल राशि	– ₹ 60,000 / –

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों से अवगत होकर अनुशंसा की कि अन्य शासकीय महाविद्यालयों में आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी को कोई मानदेय प्राप्त नहीं होता है इसलिए बिन्दु क्रमांक अ) आई.क्यू.ए.सी.

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

प्रभारी के वार्षिक प्रस्तावित मानदेय ₹ 12,000/– को अमान्य करते हुए उक्त राशि को बिन्दु क्रमांक द) स्टेशनरी अन्य आकस्मिक (विशेष व्याख्यान/कार्यशाला/अन्य) व्यय हेतु प्रस्तावित राशि ₹ 26,000/– में सम्मिलित कर राशि रू. 38,000/– किया जावे।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा एवं व्यवस्था का विचारोपरांत अनुमोदन कि...

विषय क्रमांक –14 संस्थान को शासन से पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने विषयक :–

संस्थान की स्थापना वर्ष 1995–96 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक संस्थान मे छोटे निर्माण कार्यों तथा अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग से विशेष अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होता ... है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अंतिम बार ₹ 80.00लाख उक्त मद में शासन से प्राप्त हुआ है परंतु उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में कोई राशि इस मद मे प्राप्त नहीं हुई है, जिससे संस्थान के आधारभूत संरचना विकास मे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। संस्थान के विद्यार्थियो से एकत्रित शुल्क का अधिकांश राशि मानसेवी अतिथि शिक्षक, जिलाध्यक्ष दर से सेवारत कर्मचारी तथा आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान में व्यय हो जाती है, ऐसी स्थिति मे आधारभूत संरचना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से पूर्व वर्षों अनुसार संस्थान को शासन से आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान की मॉंग ... प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने विचारोपरात संस्थान को पूर्व वर्षो मे निर्माण कार्य ... लिए प्राप्त वार्षिक अनुदान राशि अनुसार अनुदान की मॉंग का पत्र शासन को प्रेषित करने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा में समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति सदस्यों को अवगत कराया कि संस्थान को पुनः अनुदान प्राप्ति पर विचार कर अनुदान दिलाने हेतु आश्वासन दिया गया।

विषय क्रमांक –15 संस्थान में ऑडिटोरियम तथा बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण विषयक :–

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 3000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् है। विद्यार्थियो के पाठ्येतर गतिविधियो के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रम यथा वार्षिक स्नेह सम्मेलन, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, रोजगार परक व्याख्यान, विषय संबंधी सेमिनार एवं कार्यशाला और अन्य अकादमिक व्याख्यानों के आयोजनो मे 400 से 700 विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और संस्थान मे इतने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष टेन्ट की व्यवस्था की जाती है, जिस पर होने वाला वार्षिक व्यय रू.3.00लाख से अधिक होता है। संस्थान में केवल एक छोटा सेमिनार हॉल है, जिसमे बैठक व्यवस्था केवल 50 से 60 विद्यार्थियो की है। ऐसे में संस्थान के अकादमिक ब्लॉक के पास एक बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल/ऑडिटोरियम की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे पूर्व बैठको मे प्रस्तुत किया गया था परंतु वित्तीय संसाधनो के अभाव मे बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण सभव नही हो सका है। संस्थान को भविष्य मे उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान से बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा ऑडिटोरियम/बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था शासन/विभाग की अन्य योजनाओं तथा अन्य संस्थानों से किए जाने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव पर चर्चा की तथा समिति सदस्यो को अवगत कराया कि इस विषय पर पृथक से चर्चा की जाएगी, इसी क्रम मे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान में ऑडिटोरियम के लिए उपलब्ध भूमि के सबध मे जानकारी प्राप्त करने के उपरात सरथान के विद्यार्थियो की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए नवीन अकादमिक भवन के पास उपलब्ध भूमि को चिन्हित कर ऑडिटोरियम निर्माण किए जाने का निर्णय लिया, जिससे विद्यार्थियो के आने–जाने मे लगने वाले समय की बचत होगी। साथ ही ऑडिटोरियम निर्माण के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से वित्तीय व्यवस्था में योगदान के लिए कहा जाएगा और जिसका निर्माण पी.आई.यू. योजना के माध्यम से सम्पन्न किए जाने का निर्णय लिया गया। संस्थान के नवीन अकादमिक भवन के पास भविष्य मे निर्माण होने वाले ऑडिटोरियम का उपयोग संस्थान तथा निजी नियामक आयोग अपनी आवश्यकतानुसार करेंगे।

विषय क्रमांक –16 संस्थान मे कार्यरत कर्मचारियों श्री तरूण चौहान, सुश्री गीता तिवारी एवं श्रीमती तुलसी पाल के विशिष्ट अतिरिक्त कार्यो के लिए विशेष मानदेय प्रदाय करने विषयक :–

संस्थान के लेखाशाखा मे कार्यरत् (1) श्री तरूण चौहान, सहायक कंम्यूटर प्रोग्रामर अपने निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त ऑनलाइन कोषालय देयकों का भुगतान, देयकों के संबध मे कोषालय से समन्वय, ... वेतन तथा आधिक्य वसूली विवरण तैयार करना तथा कोषालय संबंधी समस्त कार्य निष्पादित करते हैं। इसी प्रकार (2) सुश्री गीता तिवारी, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त यूजीसी तथा सामान्य ... शासकीय आहरण संबंधी समस्त विवरणो की टेली प्रविष्टियॉं, त्रैमासिक तथा वार्षिक आयकर विवरणी ... वार्षिक अंकेक्षण कार्य निष्पादित करना, ईपीएफ संबंधी कार्य करते हैं और (3) श्रीमती तुलसी पाल, डाटा ...

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

ऑपरेटर अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त सेवा–पुस्तिका के संधारण में मुख्य लिपिक का सहयोग, स्थापना संबंधी पत्राचार और जानकारियों का संधारण किया जाता है। इसके द्वारा उक्त सभी कार्य अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त निष्पादित किये जाते है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, इस संबंध में इनके प्राप्त आवेदन के उपरांत गठित समिति द्वारा इनके अतिरिक्त कार्यों को देखते हुए अतिरिक्त मानदेय की अनुशंसा की गई है। तदनुसार सरल क्र.1 तथा 2 में उल्लेखित कर्मचारियों को प्रतिमाह ₹ 4,000/– और सरल क्र. 3 में उल्लेखित कर्मचारी को प्रतिमाह ₹ 2,000/– अतिरिक्त मानदेय के रूप में भुगतान करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति ने असहमति व्यक्त करते हुए संस्थान में कार्यरत तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार सर्वोत्तम तीन कर्मचारियों को यथा प्रथम को ₹ 10,000/– द्वितीय को ₹ 7,000/– तथा तृतीय को ₹ 4,000/– प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व यथा 15 अगस्त या 26 जनवरी को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव से कार्यसमिति को अवगत कराया गया जिस पर विचारोपरात कार्यसमिति ने उक्त दोनों प्रस्तावों को अमान्य किया। साथ ही इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक को निर्देशित किया कि उक्त जिन मानसेवी कर्मियों ने आवेदन दिया है उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाए।

विषय क्रमांक –17 **संस्थान के अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि विषयक :–**

संस्थान के ऑनर्स पाठ्यक्रमों में संलग्न अतिथि विद्वानों को अन्य शासकीय संस्थानों में संचालित सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की तुलना मे प्रत्येक विषय के 04 टेस्ट लिये जाते हैं तथा उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक विषय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और विद्यार्थियों के प्रजेन्टेशन संबंधी अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं, परंतु इनका प्रति व्याख्यान मानदेय अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों की भांति ₹ 275/– ही है। अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की तुलना में इनके शैक्षणिक कार्य के साथ मासिक टेस्ट, प्रोजेक्ट तथा विद्यार्थियों के प्रजेन्टेशन का मूल्यांकन के अतिरिक्त कार्य के लिए यूजीसी तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता (नेट/सेट/पीएच.डी. उपाधि प्राप्त) पूर्ण करने वाले अतिथि विद्वानों को ₹ 275/– प्रति व्याख्यान के स्थान पर ₹ 300/– प्रति व्याख्यान मानदेय दिए जाने एवं इस क्रम में ऐसे अतिथि विद्वान जो यूजीसी तथा राज्य शासन के शैक्षणिक की अद्यतन अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं, और नेट/सेट/पीएच.डी. उपाधि प्राप्त अतिथि विद्वान उपलब्ध नहीं हो पाने अथवा किसी अन्य कारणों से संस्थान में अतिथि विद्वान/विजिटिंग फैकल्टी के रूप मे उनकी सेवाएं ली जावेगी, तो उन्हें पूर्व की भांति ₹ 275/– प्रति व्याख्यान दिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया है।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचारोपरांत सभी अतिथि विद्वानों का एक समान मानदेय ₹ 300/– प्रति व्याख्यान की अनुशंसा की। वित्त समिति द्वारा ऐसे विषय जिसमें अद्यतन यूजीसी मापदण्डों के अनुसार अतिथि विद्वान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उनमें आवश्यक योग्यताओं में छूट देने के लिए संचालक को अधिकृत करने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा उपरांत समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि जो अतिथि विद्वान यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार योग्यता रखते हैं उनका मानदेय रू. 300/– प्रति कालखण्ड एवं जो अतिथि विद्वान यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं उनका मानदेय रू. 275/– पूर्व की भांति रखा जावे।

विषय क्रमांक –18 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :–

(1) संस्थान के कर्मचारियों के संबंध में उच्च अधिकारियों से प्राप्त पत्रों के विषयक –

संस्थान के संचालक द्वारा कार्यसमिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के मानसेवी एवं जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत् कर्मियों के मानदेय एवं नियमितिकरण के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से समय–समय पर निर्देश पत्र प्राप्त होते रहे हैं जो कि संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर के होते हैं, और उन पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

इस संबंध में समिति द्वारा संचालक को यह निर्देशित किया गया कि ऐसे पत्रों को कार्यसमिति के माननीय अध्यक्ष महोदय के पास परीक्षण हेतु प्रेषित किए जायें।

(डॉ. गीता सक्सेना)

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

O/C

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

कार्यसमिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 1/2020

दिनांक : 07-11-2020

स्थान : संचालक कक्ष — समयः मध्यान्ह 12.00 बजे

उपस्थिति

1. श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — अध्यक्ष
2. श्री ओ.पी. गुप्ता, उप सचिव (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
3. श्री एस.एल. सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) लो.नि.वि., म.प्र. शासन,मंत्रालय, भोपाल — सदस्य
4. डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय, संचालक, उ.शि.उ.सं. भोपाल — सदस्य-सचिव
5. डॉ. एम.के. शुक्ला, संयोजक मानसेवी शिक्षक व्यवस्था एवं प्राध्यापक गणित, उ.शि.उ. संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
6. डॉ. बी.के. सिन्हा, सह. प्राध्यापक एवं संयोजक निर्माण समिति, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
7. डॉ. एन.आर.दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित
8. डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त-नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल — विशेष आमंत्रित

अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल बिहार स्टेट चुनाव ड्यूटी के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही विवरण

संस्थान की कार्यसमिति की बैठक दिनांक 07-11-2020 को कार्यसमिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में कार्यसमिति के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का संचालक द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा के लिए संचालक महोदय को निर्देशित किया। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

विषय क्रमांक -1 **कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 16-10-2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :-**

संस्थान की कार्यसमिति की दिनांक 16-10-2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही एवं पालन-प्रतिवेदन अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक -2 **वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संस्थान की लेखा-पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य मेसर्स संजय श्रीवास्तव एवं कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। समिति सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सी.ए. की अंकेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत रिपोर्ट की अनुशंसा करते हुए यह निर्देशित किया है कि रिपोर्ट के एनेक्सर-ए में उल्लेखित बिन्दुओं पर सी.ए. द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें से विशेषकर बिन्दु क्रमांक-4 में दर्शाई गई राशि रूपये 4,61,862/- जो कि पुस्तकालय तथा परीक्षा शाखा में रिनोवेशन व मरम्मत कार्य से संबंधित है को सीए के सुझावानुसार लेखापुस्तकों में समायोजित किए जाने की अनुशंसा की एवं म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के अग्रिम राशि रूपये 1,03,00,411/- के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र जल्दी प्राप्त करते हुए लेखापुस्तकों में प्रविष्टि दर्ज की जावे। इसी प्रकार **बिन्दु क्रमांक-7 में उल्लेखित बैंक द्वारा संस्थान के खाते में डेबिट दर्शाई गई राशियों का निराकरण संस्थान के केशियर द्वारा बैंक से संपर्क कर यथाशीघ्र किया जाए। इसी प्रकार संस्थान के बैंक खाते में जमा की गई ऐसी राशियों का निराकरण कैशियर द्वारा बैंक के साथ संपर्क कर किया जाए।**

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

साथ ही, टेली प्रविष्टियों तथा रोकड़ बही के शेष का मिलान नहीं होने की स्थिति के बारे में सदस्यों द्वारा जानकारी चाही गई, इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने सदस्यों को अवगत कराया कि अंतर का कारण लेखों में दर्ज पुरानी समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिसके संबंध में सदस्यों द्वारा सी.ए. के परामर्श अनुसार सुधार की कार्यवाही शीघ्रता से करने का निर्देश दिया गया।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने कार्यसमिति को अवगत कराया कि गृह निर्माण मंडल के अग्रिम रू. 1033411/– में से 50.90 लाख की उपयोगिता प्रमाण–पत्र संस्थान को प्राप्त हो चुके हैं। रोकड़ बही तथा टेली लेखा की प्रवष्टियों के अंतर का अधिकांश समायोजन करा दिया गया है। बैंक से संबंधित विवरण के समाधान हेतु बैंक के साथ सतत् संपर्क जारी है।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरांत कार्यसमिति ने अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –3 **आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा :–**

माननीय सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 1995–96 में शासन के विशेष आदेश द्वारा की गई है। तद्नुसार वर्तमान वर्ष संस्थान का रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सामान्य बजट भाग–1 तैयार किया गया है। बजट प्राक्कलन के अनुसार कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,31,25,000/– तथा विभिन्न बजट–शीर्षो में होने वाला व्यय ₹ 8,01,35,000/– अनुमानित हैं। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अवलोकनोपरांत बजट भाग–1 की अनुशंसा की। साथ ही, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी वर्षों में वित्त समिति की बैठक माह अप्रैल में संपन्न कर ली जावे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्रस्तावों के संबंध में चर्चा में समिति सदस्यों द्वारा बजट घाटा रू. 7.10 लाख के संबंध में प्रेक्षा की गई जिसके संबंध में वित्त नियंत्रक ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष संस्थान के स्थापना का रजत जयंती वर्ष होने के कारण कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बजट व्यवस्था की गई थी, परंतु कोविड–19 के कारण उक्त सभी कार्यक्रम नहीं हो पायेंगे जिसके कारण बजट घाटा में रू. 60.00 लाख की वास्तविक कमी होगी।

कार्यसमिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्राक्कलन तथा संस्थान के प्रस्तावित नवीन निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –4 **परीक्षा एवं अन्य कार्यो हेतु नये वाहन के क्रय हेतु अनुमति विषयक :–**

कार्यसमिति को अवगत् कराया गया कि दिनांक 26.05.2003 को संस्थान के परीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन हेतु एक वाहन (मारुती वेन– MP04 HA7930) संस्थान के स्वंय के वित्तीय स्त्रोतों से क्रय किया गया था, जो काफी पुराना हो गया है। वर्तमान में परीक्षा संबंधी कार्यो में वृद्धि होने के कारण तथा अन्य प्रशासनीक कार्य उक्त एक वाहन से परिपूर्ण करने मे कठिनाई हो रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में नये वाहन के लिए सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 में पारित निर्णय कंडिका क्रमांक–4 के अनुसार ₹ 10.00लाख स्वीकृत किए गए थे, परंतु कोविड–19 में किए गए लॉकडाउन के कारण वाहन का क्रय नहीं किया जा सका।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त वाहन को कंपनी के अधिकृत विक्रेता सी.आई. ऑटोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (महिन्द्रा) का कोटेशन क्रमांक 164, 165 क्रमशः ₹ 10,23,403/– तथा ₹ 10,63,800/– का प्राप्त हुआ है। उक्त नए वाहन के क्रय हेतु निविदत् राशि तथा अन्य अनुसांगिक व्यय एवं संभावित मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 13.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यगणों द्वारा वाहन क्रय हेतु ₹ 13.00 लाख की बजट व्यवस्था की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग तथा अन्य विभागों में वित्तीय वर्ष 2019–20 में किए गए मरम्मत कार्य, सामग्रियों के क्रय आदि बकाया बिलों के भुगतान हेतु कार्योत्तर स्वीकृति विषयक :–**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के स्वीकृत बजट से संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा जेम पोर्टल, एम.पी.एल.यू.एन. आदि संस्थानों से म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय तथा मरम्मत किए गए हैं, जिनका सामग्री प्राप्ति एवं कार्य का निष्पादत गत् वित्तीय वर्ष में 31 मार्च

C:\Users\Admin\Desktop\HS Chouhan\Lockdown\Meeting\Kary Samiti\K. Vivran.docx

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

2020 से पूर्व संपन्न हो गए थे, परंतु देयक कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न लोकडाउन के कारण ₹ 55.00 लाख के देयकों का भुगतान गत् स्वीकृत बजट से नहीं किया जा सका है। इस कारण वर्तमान वर्ष में अदत्त भुगतान के रूप में शेष है।

माननीय सदस्यगणों द्वारा उपरोक्त परिस्थिति से अवगत होकर गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के अदत्त भुगतानों को Prior Period Exp. के रूप में मार्च, 2020 तक के व्यय के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण विषयक :–**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 के निर्णयानुसार संस्थान के वर्तमान सी.ए. संजय श्रीवास्तव एंड कं., भोपाल को 03 वर्षो के लिए वैधानिक अंकेक्षण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

माननीय सदस्यगणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखों का वैधानिक अंकेक्षण फर्म संजय श्रीवास्तव एंड कं., भोपाल को अनुमोदित करते हुए यह व्यवस्था सुझाई है कि आगामी वित्तीय वर्षों के लिए तीन वर्षों तक वैधानिक अंकेक्षण का कार्य कराये जाने का उल्लेख भविष्य में जारी किए जाने वाली निविदा में किया जावे, जिससे अंकेक्षण कार्यों में सुविधा होगी।

विषय क्रमांक –7 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :–**

पूर्व वित्तीय वर्षो में कुल ₹ 802.88 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक कुल ₹ 630.00 लाख रूपये का भुगतान निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल को किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्व स्वीकृत कार्यो में ₹ 87.22 लाख भुगतान किया जाना प्रस्तावित है एवं नवीन प्रस्तावित कार्यो में ₹ 117.88 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति तथा ₹ 32.78 लाख निम्नानुसार भुगतान किया जाना प्रस्तावित है–

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति / अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2019–20 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2020–21 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	177.00	30.00	
2.	बायोटेक्नालाजी लेब का विस्तार कार्य	102.39	90.00	10.00	
3.	बालक छात्रावास	300.00	300.00	8.00	कक्षों में किये गए स्टील अलमारी के निर्माण हेतु
4.	खेल मैदान की फैंसिंग एवं ड्रेनिंग व्यवस्था	35.86	25.00	5.00	
5.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
6.	बाह्य विद्युतीकरण	50.00	26.00	5.00	
7.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	2.00	
8.	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
9.	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवल ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	2.00	
10.	बालक छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
11.	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	12.73	00.00	5.00	
12.	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स गेट के समीप गार्ड रूम का निर्माण कार्य	1.77	00.00	1.70	
13.	भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तक पेवल ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	3.00	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

14.	बास्केट बॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य	5.00	00.00	5.00	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	802.88	630.00	87.22	
	प्रस्तावित निर्माण कार्य :-				
1.	संस्थान परिसर में छोटे निर्माण कार्य	7.78	00.00	7.78	
2.	बालक छात्रावास में वार्डन सह अतिथि विश्राम गृह का निर्माण कार्य	110.00	00.00	25.00	
	योग (प्रस्तावित कार्य)	117.78	00.00	32.78	
	कुल योग	920.66	630.00	120.00	

वित्त समिति उपरोक्त प्रगतिशील कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों से अवगत हुई एवं अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –8 **संस्थान को शासन से पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने विषयक।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान को स्थापना वर्ष 1995–96 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक संस्थान में छोटे निर्माण कार्यों तथा अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग से विशेष अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अंतिम बार ₹ 80.00लाख उक्त मद में शासन से प्राप्त हुआ है परंतु उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 में कोई राशि इस मद में प्राप्त नहीं हुई है, जिससे संस्थान के आधारभूत संरचना विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। संस्थान के विद्यार्थियों से एकत्रित शुल्क का अधिकांश राशि मानसेवी अतिथि शिक्षक, जिलाध्यक्ष दर से सेवारत कर्मचारी तथा आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान में व्यय हो जाती है, ऐसी स्थिति में आधारभूत संरचना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से पूर्व वर्षो अनुसार संस्थान को शासन से आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान की माँग प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों द्वारा अवगत होकर शासन को पूर्वानुसार अनुदान प्रदाय किए जाने का प्रस्ताव भेजे जाने की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –9 **संस्थान में ऑडिटोरियम तथा बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण विषयक।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 3000 विद्यार्थी अध्ययनरत् है। विद्यार्थियों के पाठ्यैत्तर गतिविधियों के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रम यथा वार्षिक स्नेह सम्मेलन, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, रोजगार परक व्याख्यान, विषय संबंधी सेमिनार एवं कार्यशाला और अन्य अकादमिक व्याख्यानों के आयोजनों में 400 से 700 विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और संस्थान में इतने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष टेन्ट की व्यवस्था की जाती है, जिस पर होने वाला वार्षिक व्यय ₹ 3.00 लाख से अधिक होता है। संस्थान में केवल एक छोटा सेमिनार हॉल है, जिसमें बैठक व्यवस्था केवल 50 से 60 विद्यार्थियों की है। ऐसे में सस्थान के अकादमिक ब्लॉक के पास एक बहुउद्‌दशीय सेमिनार हॉल/ऑडिटोरियम की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे पूर्व बैठकों में प्रस्तुत किया गया था परंतु शासन से इस हेतु विशेष वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण बहुउद्‌दशीय सेमिनार हॉल का निर्माण संभव नहीं हो सका है। संस्थान के उत्तरोत्तर विकास को दृष्टिगत् रखते हुए संस्थान के रजत जयती वर्ष के उपलक्ष्य में संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 300 से 350 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था वाले बहुउद्‌देशीय सेमिनार हॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग ₹ 180.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

माननीय सदस्यों द्वारा संस्थान के व्यापक हित में उक्त विषय में विचारोपरांत बहुउउद्‌देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु स्वयं के संचित वित्तीय संसाधनों से वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट भाग–1 में ₹ 100.00 लाख की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की वित्तसमिति द्वारा स्वीकृति हेतु अनुशंसा की।

उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में समिति सदस्यों द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। समिति के सम्मुख संस्थान के संचालक द्वारा 1250 बैठक क्षमता वाले सर्वसुविधायुक्त बहुउद्‌देशीय आडिटोरियम के प्राथमिक प्राक्कलन रू. 2460.59 लाख का प्राथमिक प्राक्कलन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया; जिसके संबंध में समिति सदस्यों द्वारा विचारोपरात संस्थान के विद्यार्थी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए संचालक को यह निर्देशित किया कि 500 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्‌देशीय आडिटोरियम का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे, इसी क्रम में समिति सदस्यों द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि उक्त ऑडीटोरियम की अनुमानित लागत लगभग रू. 10.00 करोड़ में से संस्थान अपने संचित कोषों में से 10 से 20 प्रतिशत तक की राशि की व्यवस्था करेंगे और शेष राशि की व्यवस्था

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा निजी नियामक आयोग से किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। उक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत आवश्यक राशि की व्यवस्था होने की स्थिति में वर्तमान सत्र में संस्थान के संचित कोषों से रू. 1.00 करोड़ की विशेष बजट व्यवस्था संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

वित्त समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

1. **संपदा प्रभारी, श्री के.एस. मोहन द्वारा संस्थान छोड़ देने के कारण उनके रिक्त स्थान पर अन्य व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने विषयक :-**

कार्य समिति की बैठक दिनांक 28.08.2007 के विषय क्रमांक 4(i) में पारित निर्णयानुसार संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त अभियंता (सिविल इंजिनियर) के रूप में मासिक मानदेय पर श्री के.एस. मोहन की सेवाए वर्ष 2011 से ली जाती रही हैं, जिसका वर्तमान मानदेय रूपये 20,000/- (मार्च, 2020 में) है, परंतु श्री मोहन द्वारा माह अप्रैल 2020 से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है। उक्त कार्यो के लिए यदि वर्तमान में कार्यरत् श्री मोहन तैयार नहीं हों तो किसी नए व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव संस्थान की निर्माण समिति के संयोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विषय में समिति ने उक्त प्रावधान के तहत् समान मानदेय पर किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता की सेवाएं लिए जाने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा नियमानुसार किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता की सेवाएं लिए जाने के लिए संचालक को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया।

कार्यसमिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

1. **संस्थान के वार्षिक केलेण्डर का अनुमोदन करने विषयक :-**

कार्यसमिति द्वारा कोविड-19 की परिस्थिति में संस्थान में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में अध्यापन कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संस्थान के वार्षिक केलेण्डर का अनुमोदन किया।

2. **शुल्क जमा करने तथा कॉशनमनी रिफण्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया विषयक :-**

संस्थान के संचालक द्वारा कार्यसमिति को अवगत कराया कि संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से प्रवेश तथा परीक्षा शुल्क बैंक के माध्यम से (पेमेंट गेटवे) ऑनलाइन ली जाती है और पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत या अन्य कारणों से संस्थान छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों कीं काशनमनी रिफण्ड जो वर्तमान में चैक या आर.टी.जी.एस. से होते हैं के स्थान पर उसे पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा।

कार्यसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद के बाद बैठक का समापन हुआ।

(डॉ० एस.एस. विजयवर्गीय)
प्रभारी संचालक एवं सदस्य-सचिव

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

... शिक्षा उ... ...स्थान, भोपाल

कार्यसमिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 1/2021

दिनांक : 29–10–2021

स्थान : उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान (लायब्रेरी) समयः अपरान्ह 4.00 बजे

उपस्थिति

1.	श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गुप्ता, उप सचिव (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एस.एल. सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता, (प्रमुख सचिव/सचिव प्रतिनिधि) लो.नि.वि., म.प्र. शासन,मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
4.	श्री दीपक सिंह, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, प्रभारी संचालक, उ.शि.उ.सं. भोपाल	सदस्य–सचिव
6.	डॉ. एन.आर.दास, प्राध्यापक वाणिज्य एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित
7.	डॉ. अजय कुमार मिश्रा, प्राध्यापक वाणिज्य एवं प्रभारी, आउटसोर्स कर्मचारी. उ.शि.उ.सं., भोपाल	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ. शिरीष जोशी, प्राध्यापक भौतिक शा. एवं संयोजक निर्माण समिति, उ.शि.उ.सं., भोपाल	विशेष आमंत्रित
9.	डॉ. एम.के. शुक्ला, संयोजक, मानसेवी शिक्षक व्यवस्था एवं प्राध्यापक गणित, उ.शि.उ. संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ. शारदा गंगवार, उप वित्त–नियंत्रक एवं प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	विशेष आमंत्रित

कार्यवाही विवरण

संस्थान की कार्यसमिति की बैठक कार्यसमिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 29–10–2021 को संस्थान परिसर (लायब्रेरी) में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में संचालक द्वारा कार्यसमिति के अध्यक्ष एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार चर्चा प्रारंभ की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

विषय क्रमांक –1 **कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 07–11–2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

कार्यसमिति की पूर्व बैठक दिनांक 07–11–2020 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालन–प्रतिवेदन का अवलोकन कर कार्यसमिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –2 **वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा विषयक।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संस्थान की लेखा–पुस्तकों का वैधानिक अंकेक्षण कार्य मेसर्स संजय श्रीवास्तव एवं कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। समिति द्वारा संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन कर, बैंक समाधान विवरण में दर्शित आपत्तियों का समय पर निराकरण कर केशबुक में सुधार की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया और अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों की नियमानुसार सुधार प्रविष्टियाँ संबंधित रोकड़बहियों में दर्ज की जावे। वित्त समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में पूर्व वर्षो की असमायोजित प्रविष्टियों के संबंध में गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए तत्संबंध में लेखा शाखा को नियमानुसार निर्धारित समय पर आवश्यक प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान किए।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

विषय क्रमांक –3 **संस्थान की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करने विषयक**

वित्त समिति के माननीय सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 के अनुसार संस्थान के वर्तमान वैधानिक अंकेक्षक से तीन वर्षो तक अंकेक्षण कार्य कराने के उपरांत आगामी तीन वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के परिपालन में दिनांक 10.07.2021 तक प्रतिष्ठित अंकेक्षकों से पत्र तथा संस्थान के पोर्टल पर ऑनलाईन व्यवस्था अनुसार अंकेक्षण कार्य हेतु प्रस्ताव बुलाए गए थे, तद्नुसार उक्त दिनांक तक कुल 11 अंकेक्षक फर्मो से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इनमें से 01 फर्म द्वारा संस्थान द्वारा निर्धारित अंकेक्षक शुल्क रूपये 48000/– + GST से कम राशि की निविदा प्रस्तुत की है तथा 08 फर्मो द्वारा न्यूनतम अंकेक्षण शुल्क के बराबर राशि और 02 फर्मो के द्वारा न्यूनतम शुल्क से अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत की है। एक से अधिक 08 फर्मो के न्यूनतम राशि के समान निविदा प्रस्तुत करने के कारण उनमें से किसी एक फर्म के चयन की प्रक्रियाधीन है। फर्म के चयन के उपरांत माननीय सदस्यों के सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान की क्रय समिति द्वारा एक से अधिक फर्मो की समान न्यूनतम निविदा राशि होने के कारण पुनः निविदा जारी करने की अनुशंसा की है।

माननीय सदस्यों द्वारा उक्त विषय में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा की गई चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आमंत्रित सीए फर्मो के दस्तावेजों (फर्म में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या, पार्टनर्स की संख्या, फर्म द्वारा शासकीय संस्थाओं में आडिट की अवधि आदि) तथा प्रजेंटेशन के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित कर सीए फर्म का चयन आगामी तीन वित्तीय वर्षो के ऑडिट हेतु संस्थान में करना उचित होगा। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत उक्त चयन प्रक्रिया की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अवलोकन कर यह व्यवस्था दी गई कि न्यूनतम समान दर वाली अंकेक्षक फर्मो को आमंत्रित कर उनसे सीलबंद लिफाफे में पुनः दर प्राप्त कर उनमें से जो न्यूनतम दर हो, उस पर आगामी तीन वर्षो का वैधानिक अंकेक्षण कराए जाने का अनुमोदन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया।

विषय क्रमांक –4 **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसा।**

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अगवत कराया गया कि संस्थान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित बजट शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल अनुमानित प्राप्तियाँ (परीक्षा तथा विश्वविद्यालय शुल्क को छोड़कर) रूपये 7,77,00,215/- तथा कुल अनुमानित व्यय रूपये 7,76,27,000/– का अनुमान लगाते हुए बजट प्राकल्लन (सामान्य बजट भाग–1) तैयार किया गया है। वित्त समिति द्वारा उक्त सामान्य बजट भाग–1 का अवलोकनोपरांत अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 पर चर्चा उपरांत वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –5 **संस्थान में हॉस्टल वार्डन कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था करने विषयक।**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 23.11.2020 में संस्थान में संचालित बालक छात्रावास के हॉस्टल वार्डन कक्ष रूपये 60.00 लाख से निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु कोविड–19 और उसके पश्चात् लॉकडाउन की स्थिति के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, इस वित्तीय वर्ष के बजट में उक्त कक्ष के निर्माण के लिए रूपये 5.00 लाख की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है, जिसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट में किया गया है। माननीय सदस्यगणों द्वारा वार्डन कक्ष निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान में कार्यरत मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने विषयक।**

संस्थान की वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के कार्यालय, परीक्षा आई.टी.सेल, हॉस्टल तथा पुस्तकालय में कार्यरत् तकनीकी तथा गैर–तकनीकी कुल 25 कर्मचारियों के मानदेय न 28.08.2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। निरंतर बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

नोतेशन प्रस्ता ...

...र लगभग रूपये 60,000/– का मासिक वित्तीय भार की जानकारी समिति को दी गई।
वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार मानदेय अनुशंसित करते हुए 15 प्रतिशत वृद्धि ...नुशंसा की गई:–

...म	वर्तमान मासिक मानदेय (रूपये)	15 प्रतिशत वृद्धि की राशि (रूपये)	वृद्धि उपरांत अनुशंसित मानदेय (रूपये)
...मर एवं समकक्ष	26059/–	3909/–	29968/–
...यक प्रोग्रामर एवं समकक्ष	19545/–	2932/–	22477/–
...ा एंट्री ऑपरेटर एवं समकक्ष	16919/–	2538/–	19457/–

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसाओं पर चर्चा के उपरांत संस्थान के तकनीकी ...गैर तकनीकी मानसेवी कर्मियों के मानदेय में वित्त समिति की बैठक दिनांक 18–08–2021 से 15 प्रतिशत की ...द्वि का अनुमोदन किया।

...षय क्रमांक –7 संस्थान में बहुउद्‌देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था विषयक।

वित्त समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक ...नांक 23.11.2020 के विषय क्रमांक–9 के द्वारा संस्थान के इन्डोर स्पोर्टस् भवन के पास की रिक्त भूमि पर 300 ... 350 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्‌देशीय सेमिनार हॉल सह भू–तल में पार्किंग के निर्माण हेतु रूपये ...10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त बहुउद्‌देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष ...021–22 के सामान्य बजट भाग–1 में रूपये 30.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था बजट के अंतर्गत की गई है तथा ...ष राशि की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्षो में किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण उक्त प्रस्ताव से ...वगत हुए तथा अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने अवगत होकर बहुउद्‌देशीय सेमीनार हॉल के निर्माण के संबंध में विस्तृत ...र्चा की, चर्चा उपरांत सेमीनार हॉल के निर्माण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू. 30.00 लाख के बजट प्रावधान संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

कार्यसमिति की बैठक के दौरान समिति की पूर्व बैठक में संस्थान में निजी नियामक आयोग/शासन के वित्तीय सहयोग से निर्मित होने वाले प्रस्तावित ऑडिटोरियम पर चर्चा की गई जिसमें संस्थान के संचालक द्वारा समिति को अगवत कराया गया कि नियामक आयोग/शासन से ऑडिटोरियम के लिए कोई वित्तीय धनराशि प्राप्त न होने के कारण ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया स्थगित है। इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उक्त ऑडिटोरियम के निर्माण के पूर्व संस्थान में वर्तमान में निर्मित भवनों को सम्मिलित करते हुए नया मास्टर प्लान आगामी 50 वर्षो के लिए बनाया जावे।

विषय क्रमांक –8 कर्मचारी भविष्य निधि हेतु सलाहकार की सेवाएं लेने विषयक।

वित्त समिति को अगवत कराया गया कि संस्थान में जिलाध्यक्ष दर पर तथा मानदेय पर कार्यरत् कर्मचारियों की शासन के नियमानुसार ईपीएफ कटौत्रा, उसका विवरण अपलोड करने तथा ईएसआईसी के प्रकरणों के लिए संस्थान की कार्यसमिति की पूर्व बैठक दिनांक 27.01.2014 के निर्णयानुसार कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में सलाहकार वकील, श्री गणेश प्रसाद जलखरे की सलाहकार फीस/मानदेय रूपये 3,000/– तथा अतिरिक्त रूपये 200/– प्रति विजिट की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया था, जिसके अनुसार श्री जी.पी. जलखरे की सेवाएं संस्थान में उक्त कार्य हेतु ली जा रही थीं, परन्तु दिनांक .17.07.2021 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, उनके स्थान पर नए व्यक्ति की सेवाएं ली जानी है।

उक्त कार्यो के लिए संस्थान में ईपीएफ तथा ईएसआईसी सलाहकार के रूप में श्रीमती किरण गेहलोत, अधिवक्ता, माचना कालोनी, शिवाजी नगर, भोपाल का आवेदन प्राप्त हुआ है। संस्थान के संदर्भित पूर्व सामान्य परिषद की बैठक के निर्णयानुसार मानदेय पर श्रीमती किरण गेहलोत की सेवाएं लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर माननीय सदस्य द्वारा संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ईपीएफ सलाहकार के आवेदन आमंत्रित कर उनमें से किसी व्यक्ति/फर्म के चयन का सुझाव दिया।

समिति सदस्यों ने उक्त सुझाव पर विचारोपरांत अपनी सहमति दी एवं वर्ष 2014 से देय सलाहकार फीस/मानदेय रूपये 3,000/– सहित अतिरिक्त रूपये 200/– प्रति विजिट की दर से वाहन भत्ते में वृद्धि कर रूपये 500/– करने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति ने अवगत होकर वित्त समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

क्रमांक –9 ... शिक्षा नीति के कारण ... वृद्धि करने विषयक

वित्त समिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत CBCS पाठ्यक्रम लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत संस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए 20 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की सेवाएं लिया जाना आवश्यक होगा तथा उनके मानदेय पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार रूपये 60.00 लाख आएगा। उल्लेखनीय है कि संस्थान में वर्तमान में 80 मानसेवी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिसके संबंध में संस्थान को शासन से किसी प्रकार का मानदेय संबंधी अनुदान प्राप्त नहीं होता हैं। अतिरिक्त वित्तीय भार के कारण शैक्षणिक सत्र 2021–22 में CBCS पाठ्यक्रम योजनांतर्गत संस्थान में प्रवेशित विद्यार्थियों के अध्यापन शुल्क में प्रति छात्र, प्रतिवर्ष रूपये 5,000/– की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा संस्थान की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नवीन शिक्षा नीति के सुचारू संचालन हेतु नये प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के अध्यापन शुल्क में रूपये 5,000/– की वृद्धि की अनुशंसा की गई।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत शैक्षणिक सत्र 2021–2022 से नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के वार्षिक अध्यापन शुल्क में रू. 5000/– के वृद्धि के प्रस्ताव को पृथक से विचार करने के लिए निर्देशित किया।

विषय क्रमांक –10 पत्रवाहक के रूप में कार्यरत् श्री मनोहर राव को देय वाहन भत्ते में वृद्धि करने विषयक।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत् पत्रवाहक, श्री मनोहर राव को मार्च 2019 से रूपये 1100/– प्रतिमाह वाहन भत्ते के रूप में भुगतान किया जाता है, उस समय पेट्रोल की कीमत रूपये 71/– प्रति लीटर थी, जो आज रूपये 110/– हो चुका है तथा पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को ध्यान में रखते हुए श्री मनोहर राव, पत्रवाहक के वाहन भत्ते में रूपये 400/– की वृद्धि करते हुए रूपये 1500/– प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। समिति सदस्यों द्वारा उक्त पर अपनी सहमति व्यक्त कर अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –11 कोविड–19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के लंबित देयकों ₹91711.00 के भुगतान की अनुमति विषयक।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के विभिन्न विभागों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न कार्य संपन्न कराए गए, परन्तु कोविड–19 एवं अलग–अलग लॉकडाउन तथा कार्यालय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की स्वास्थ्य तथा अन्य शासकीय कार्यो में संलग्नता होने के कारण कुछ देयकों (रूपये 91711/–) को 31 मार्च 2021 तक कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हो पाये थे।

उक्त देयकों के कार्य/सामग्री का निष्पादन दिनांक 31.03.21 के पूर्व हो चुका है। अतः उक्त देयकों की बकाया देय राशि रूपये 91711/– का भुगतान इस वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामान्य बजट भाग–1 से किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए बकाया देयकों के भुगतान की अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा के अवलोकन के उपरांत लंबित देयकों के नियमानुसार भुगतान करने का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –12 संस्थान में ऑउटसोर्सिंग सेवा हेतु निविदा निकालनें विषयक।

संस्थान में सुरक्षा, साफ–सफाई, प्रयोगशाला सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा हॉस्टल मैनेजर आदि कुल 62 कर्मचारियों की सेवाएं सीमित निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही हैं, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 60.00 लाख व्यय होते हैं। अंकेक्षक दल के परामर्श तथा म0प्र0 भण्डार क्रय नियम की व्यवस्था के अनुसार जिन संस्थानों का स्वयं का पोर्टल/वेबसाइट है, उनके द्वारा ऑउटसोर्स की सेवाएं पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा के रूप में विज्ञापित किए जाने का उल्लेख है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपरोक्त आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु लगभग रूपये 70.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। म0प्र0 भण्डार क्रय नियम के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2021–22 में पोर्टल के माध्यम से

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

... द्वारा पोर्टल के माध्यम से ... की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशसा की।

कार्यसमिति द्वारा शासन के एम.पी. टेंडर पोर्टल से खुली निविदा (ओपन टेंडर) के द्वारा आउटसोर्स सेवा हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –13 संस्थान में संपदा अधिकारी की नियुक्ति एवं मानदेय विषयक।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के निर्माण कार्यो की देखभाल तथा निर्मित भवन आदि की मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यो हेतु सेवानिवृत्त अभियंता श्री के.एस. मोहन की सेवाएं संपदा अधिकारी के रूप में रूपये 20,000/– मासिक मानदेय पर ली जाती रही हैं, परन्तु उनने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है तथा वर्तमान में श्री के.एस. मोहन लंबे अवकाश पर हैं, ऐसे स्थिति में भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उक्त कार्य हेतु किसी अन्य सेवानिवृत्त अभियंता (सिविल इंजीनियर) की सेवाएं लिए जाने का प्रयास किया गया, परन्तु उपरोक्त देय मानदेय पर सेवाएं देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; ऐसी स्थिति में संपदा अधिकारी श्री के.एस. मोहन के स्थान पर किसी अन्य सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर अथवा अनुभवी सिविल इंजीनियर की सेवाएं मासिक मानदेय में रूपये 5000/– की वृद्धि करते हुए लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

माननीय सदस्यगणों द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचारोपरांत संपदा अधिकारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किए जाने एवं इस हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

विषय क्रमांक –14 संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :

पूर्व वित्तीय वर्षो में कुल 972.88 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020.–21 तक कुल 650.00 लाख रूपयें का भुगतान निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल को किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्व स्वीकृत कार्यो में 71.22 लाख रूपये भुगतान किया जाने एवं नवीन प्रस्तावित कार्यो में रूपयें 10.00 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति के साथ निम्नानुसार रूपये 81.22 लाख का भुगतान करने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया :–

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2020–21 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	211.35	7.00	
2.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
3.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	00.00	5.00	
4.	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	00.00	5.00	
5.	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवलस ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	00.00	2.00	
6.	बालक छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
7.	स्टूडेन्टस पार्किंग्स तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	12.73	00.00	5.00	
8.	स्टूडेन्टस पार्किंग्स गेट के समीप गार्ड रूम का निर्माण कार्य	1.77	00.00	1.70	
9.	बास्केट बॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य	5.00	00.00	5.00	
10.	बालक छात्रावास में वार्डन गृह का निर्माण कार्य	60.00	00.00	5.00	
11.	बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग का निर्माण कार्य	110.00	00.00	30.00	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	476.50	223.35	71.22	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

संस्थान [illegible] बजट निर्माण कार्य	10.00	00.00	10.00	
योग (प्रस्तावित कार्य)	10.00	00.00	10.00	
कुल योग	486.50	223.35.00	81.22	

माननीय सदस्यगण उपरोक्त प्रगतिशील कार्यो एवं प्रस्तावित कार्यो से अवगत हुए अनुशंसा की।

कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्थान में निर्माण हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान का अनुमोदन किया।

<u>वित्त समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयः</u>

1) **कोविड–19 के कारण विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क में कमी करने विषयकः**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में अध्यनरत कुछ विद्यार्थियों द्वारा कोविड–19 के कारण शुल्क में कमी करने हेतु आवेदन दिया है तथा इस हेतु उनके द्वारा कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा शुल्क माफ किए जाने का हवाला भी दिया गया है।

उक्त बिन्दु पर समिति सदस्यों द्वारा कहा गया कि संस्थान का किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान से तुलना करना गलत है। वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान पूरी तरह से विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क पर ही निर्भर है और संस्थान में कार्यालयीन व्यय तथा अध्यापन के लिए अतिथि विद्वानों की व्यवस्था, प्रयोगशाला सहायक, सुरक्षा कर्मी, कार्यालयीन कम्प्यूटर सहायक आदि कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु शासन से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में शुल्क में कमी करने पर उक्त कार्यो के लिए भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा। समिति ने विचारोपरांत शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव को अमान्य किया।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

2) **संस्थान स्तर पर एक कर्मचारी की नियुक्त मानसेवी आधार पर किए जाने विषयकः**

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के वित्तीय कार्यो यथा–प्राप्त होने वाले शुल्क तथा किए जाने वाले भुगतान का बैंक स्टेटमेंट में दैनिक आधार पर निरीक्षण किया जाना है, जिससे केशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट के मिलान की विसंगतियों को समय पर दूर किया जा सके एवं बैंक समाधान विवरण में दर्शित होने वाली त्रुटियों का निराकरण दैनिक आधार पर हो सके, इस हेतु 01 कर्मचारी की सेवाएं मानसेवी आधार पर लिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत संस्थान में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के समतुल्य मानदेय पर 01 मानसेवी कर्मचारी की नियुक्ति के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि उक्त कर्मचारी की सेवाएं, संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा विधि मान्य चयन प्रक्रिया से की जावे। आवेदक की अनिवार्य योग्यता वाणिज्य स्नातक के साथ पीजीडीसीए तथा टेली सॉफ्टवेयर के संचालन का व्यवहारिक अनुभव हो एवं अंग्रेजी तथा हिन्दी टंकण की योग्यता वांछनीय है।

कार्यसमिति द्वारा वित्त समिति की व्यवस्थाओं से अवगत होकर उल्लेखित योग्यताधारी की सेवाएं लिए जाने संबंधी वित्त समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि उक्त कर्मचारी की सेवाएं उच्च कुशल कर्मचारी के रूप में आउटसोर्स के माध्यम से ली जावे।

3) **संस्थान के ईपीएफ कटौत्रा से छूटे कर्मचारियों को ईपीएफ तथा ईएसआईसी कटौत्रा में सम्मिलित किए जाने विषयकः**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का ईपीएफ तथा ईएसआईसी का कटौत्रा किया जाता है लेकिन 03 मानसेवी कर्मचारियों का मानदेय/मजदूरी की ईपीएफ द्वारा तय सीमा रूपये 15000/– से अधिक होने के कारण इन्हें उक्त कटौत्रा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनके द्वारा समय–समय पर रूपये 15000/– तक की राशि को कटौत्रा में सम्मिलित करते हुए इन्हें ईपीएफ तथा ईएसआईसी मे सदस्य के रूप में सम्मिलित करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उक्त पर विचारोपरांत अपनी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए यह व्यवस्था रखी है कि निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय प्राप्त करने वाले छूटे हुए कर्मचारियों के इनकी सहमति से ईपीएफ तथा ईएसआईसी में सम्मिलित किए जाने की वैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए 05 सदस्यीय एक समिति का गठन संस्थान स्तर पर किया जाए, जिसमें ईपीएफ तथा ईएसआईसी के जानकार/सलाहकार सदस्य के रूप मे हो। उक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में प्रस्ताव को पुनः वित्त समिति के समक्ष रखा जाए।

DIRECTOR, INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION BHOPAL

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

कार्यसमिति ... समक्ष प्रस्तु... । चर्चा ... सदस्यों ...
सुझाया कि इस विषय में ई.पी.एफ. वाले रूल्स के अनुसार कटोत्रा की कार्यवाही की जाना चाहिए। उक्त कार्यवाही के पूर्व इस संबंध में ई.पी.एफ. कार्यालय के लीगल एडवाइजर से भी विचार–विमर्श करके ई.पी.एफ. कटोत्रा किए जाने का अनुमोदन किया।

4) **संस्थान में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि विषयक:**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में कार्यरत मानसेवी अतिथि विद्वानों को प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 300/– अथवा रूपये 275/– का भुगतान किया जा रहा है। संस्थान के अध्यापन स्वरूप के कारण संस्थान में कार्यरत् अतिथि विद्वानों को अन्य शासकीय महाविद्यालियों की तुलना में अधिक कार्य निष्पादित करना होता है। इस कारण इनके मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखा गया।

वित्त नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कार्यरत मानसेवी अतिथि विद्वानों के मानदेय के भुगतान विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से किया जाता है और इस संबंध में शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है और मानसेवी अतिथि विद्वानों के मानदेय में 5 प्रतिशत की स्थिति में संस्थान पर रूपये 15,00,000/– का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरांत वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव को कार्यसमिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की।

कार्यसमिति के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा कर मानसेवी अतिथि विद्वानों को प्रति कार्य दिवस अधिकतम रू. 1500/– भुगतान का अनुमोदन किया।

कार्यसमिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नानुसार अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई :–

1. कोविड–19 के कारण छात्रावासी विद्यार्थियों से लिए जाने वाले छात्रावास शुल्क के अंतर्गत – "रूम रेन्ट" को विद्यार्थियों के छात्रावास में प्रवेश दिनांक से लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय सदस्यों द्वारा छात्रहित में इस प्रस्ताव को मान्य किया गया।
2. संस्थान में आधुनिक प्रणाली से शिक्षण किए जाने हेतु लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम (LMS) की व्यवस्था करने एवं इस हेतु अनुमानित व्यय लगभग 50 हजार रूपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत बजट के व्यय सीमा में मान्य किया गया।
3. AGMP के निर्देशानुसार जप्त अदेय काशनमनी को ट्रेजरी में जमा करवाने संबंधी निर्देश पर चर्चा की गई। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाया गया कि इस राशि को संस्थान की आय में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध करते हुए आवेदन वित्त विभाग को दिया जाना चाहिए। यदि वित्त विभाग इस आवेदन पर असहमति व्यक्त करता है तो यह राशि AGMP के निर्देशानुसार ट्रेजरी में जमा करा दी जानी चाहिए।
4. संचालक द्वारा संस्थान में पूर्व से प्रचलित कुछ पाठ्यक्रमों के संयोजन (काम्बिनेशन) को वर्तमान में जारी NEP-2020 की गाइड लाइन में समिलित न किए जाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा शीघ्र ही इस विषय में उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया।
5. नेक में बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालक द्वारा संस्थान में और अधिक नियमित शिक्षकों की आवश्यकता प्रदर्शित की गई। माननीय सदस्यों द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया।

(डॉ० प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

कार्यसमिति की बैठक

बैठक क्रमांक : 1/2022

दिनांक : 18–07–2022

स्थानः संस्थान का पुस्तकालय भवन समयः अपरान्ह 3.30 बजे

कार्यसूची

विषय क्रमांक –1 कार्यसमिति की विगत् बैठक दिनांक 29.10.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :

संस्थान की कार्यसमिति की पूर्व बैठक दिनांक 29.10.2021 का कार्यवाही विवरण सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है। माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकनोपरांत कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया **(संलग्नक–1 पृ.क्र. A से G तक)** एवं पालन–प्रतिवेदन दिनांक 29–10–2021 **(संलग्नक–2 पृ.क्र. i से vii तक)**।

विषय क्रमांक –2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए संस्थान की लेखा–पुस्तकों का वैधानिक अंकेक्षण कार्य मेसर्स संजय श्रीवास्तव एवं कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। अतः तैयार किए गए अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत है। वित्त समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज "नोट्स टू एकाउंट्स" पर विस्तृत चर्चा के उपरांत BRS तथा ऑनलाइन प्राप्ति एवं भुगतान का दैनिक आधार पर विश्लेषण कर समय पर लेखापुस्तकों में प्रविष्टियॉ दर्ज कराने का सुझाव देते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–3 पृ.क्र. 7–124)**।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –3 संस्थान की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करने विषयक :

सम्माननीय सदस्यगण अवगत होना चाहें कि सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2020 के अनुसार संस्थान के वर्तमान वैधानिक अंकेक्षक से तीन वर्षो तक अंकेक्षण कार्य कराने के उपरांत आगामी तीन वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए संस्थान के पोर्टल के माध्यम से अंकेक्षण कार्य हेतु प्रस्ताव बुलाए गए थे, परन्तु एक से अधिक फर्मो से न्यूनतम राशि समान होने के कारण नवीन चयन आधार के साथ पुनः ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई। पुनः आमंत्रित निविदा के आधार पर क्रय समिति द्वारा **मेसर्स संजय श्रीवास्तव एण्ड कं.** का आगामी तीन वर्षो के लिए संस्थान के वैधानिक अंकेक्षण हेतु चयन किया गया है, तद्नुसार आगामी तीन वर्षो के लिए निर्धारित वार्षिक मानदेय रूपये 48000/– + जीएसटी पर आमंत्रित करने की अनुशंसा वित्त समिति द्वारा की गयी **(संलग्नक–4 पृ.क्र. 124 (1))** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –4 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए तैयार बजट प्रस्ताव (सामान्य बजट भाग–1) की अनुशंसाः

संस्थान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित बजट शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल अनुमानित प्राप्तियाँ ₹8,42,13,048/-तथा कुल अनुमानित व्यय ₹8,42,00,000/- का अनुमान लगाते हुए बजट प्राकल्लन (सामान्य बजट भाग–1) तैयार किया गया तथा बजट भाग–1 के "अकादमिक व्यय" के उपशीर्ष "निरीक्षण/प्रत्यायन व्यय" शीर्ष में विश्वविद्यालय को देय शुल्क को सम्मिलित किये जाने की जानकारी समिति को दी गयी। वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के सामान्य बजट भाग–1 के विभिन्न आय तथा व्यय शीर्षो का अवलोकन कर संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बजट भाग–1 की अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–5 पृ.क्र. 125–127)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –5 संस्थान के संचित कोष से बी.बी.ए. तथा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए नए भवन का निर्माण तथा विद्यार्थियों के लिए आवागमन के लिए 02 बसों का क्रय करने विषयक :

संस्थान में शैक्षणिक सत्र् 2022–23 से नवीन पाठ्यक्रय के रूप में बीबीए की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि बीबीए के प्रथम वर्ष में 40–40 की दो कक्षाएं संचालित करने पर संस्थान के सामान्य शुल्क कोष में लगभग रूपये 20.00 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी और इसी क्रम में आगामी वर्षो में भी अतिरिक्त शुल्क संस्थान को प्राप्त होगा। नवीन बीबीए पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त अध्यापन कक्षों की

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में बीबीए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष एवं एमबीए की कक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्यापन कक्षों की आवश्यकता होगी। इसके लिए पी.आई.यू. से जी+3 (19 अध्यापन कक्ष सहित) का विस्तृत निर्माण प्राकल्लन लगभग राशि रूपये 18.00 करोड़ का प्राप्त हुआ है।

संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थी भोपाल शहर के अलग–अलग निवास स्थान तथा छात्रावासों से अध्यापन के लिए आते हैं और संस्थान तक सिटी बस की व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थियों को असुविधा तथा आर्थिक हानि होती है। उक्त परिवहन सुविधा के लिए 52 सीटर वाली 02 बसें, लागत लगभग रूपये 1.00 करोड़ होगी।

संस्थान वर्ष 1995–96 से संचालित है। संस्थान के पास उपलब्ध संचित कोष से बीबीए भवन के भूतल तथा प्रथम तल (प्रथम चरण हेतु) के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में लगभग रूपये 5.00 करोड़ तथा 02 बसों के क्रय हेतु लगभग रूपये 1.00 करोड़ (कुल रूपये 6.00 करोड़) व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जो सामान्य बजट भाग–1 में सम्मिलित नहीं है।

सम्मानीय सदस्यगणों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का विश्लेषण उपरांत यह व्यवस्था सुझाई गई कि बीबीए भवन के निर्माण के लिए संस्थान के पास उपलब्ध संचित कोषों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय स्त्रोतों जैसे म0प्र0 शासन के विभागों, यूजीसी, विश्व बैंक, रूसा आदि से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के प्रयास किये जावें।

वित्त समिति द्वारा बीबीए भवन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा के साथ वर्तमान बजट सत्र् 2022–23 में संस्थान के पास उपलब्ध संचित कोष में से (₹6.00 करोड़ जो नियमित बजट भाग–1 में समाहित नहीं है) ₹3.25 करोड़ से बीबीए भवन के प्रथम चरण हेतु (भूतल एवं प्रथम तल) एवं ₹1.75 करोड़ प्रस्तावित बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु तथा ₹1.00 करोड़ विद्यार्थियों के आवागमन के लिए दो बसों के क्रय हेतु रखे जाने की अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–6 पृ.क्र. 128–138)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –6 **संस्थान के गैर–शैक्षणिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी मानसेवी कर्मचारियों के मानदेय मासिक आधार पर करने विषयक :**

संस्थान में गैर–शैक्षणिक संवर्ग में तकनीकी कार्य यथा–आई.टी. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वेब डिजाइनर, सहायक–प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि के 15 तथा गैर–तकनीकी 02 कुल 17 कर्मियों के मासिक मानदेय की गणना रविवार को छोड़कर प्रतिमाह 25 दिवस के लिए दैनिक आधार पर की जाती है। लोक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत मानवीय आधार पर उक्त 17 तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के वर्तमान 25 दिवस के हिसाब से कुल मानदेय को मासिक आधार पर गणना किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत मानदेय को छोड़कर नियुक्ति संबंधी अन्य व्यवस्थाओं को यथावत् रखते हुए संस्थान में कार्यरत् मानसेवी तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय गणना दैनिक आधार के स्थान पर मासिक आधार पर किये जाने की अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–7 पृ.क्र. 139–140)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –7 **वित्तीय वर्ष 2021–22 में भुगतान से छूटे हुए देयकों की कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति तक संस्थान में पूर्ण किए गए कार्यो/क्रय के देयकों के अंतिम दिवस तक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं देयक अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने के कारण (कार्यालयीन सामग्री, जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय सामग्री) कुल रूपये 8,27,619/– का भुगतान लंबित है। वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत भुगतान किये जाने की अनुशंसा की **(संलग्नक–8 पृ.क्र. 141)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –8 **संस्थान में बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था विषयक :**

संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 10.12.2020 के विषय क्रमांक–9 के द्वारा संस्थान के इन्डोर स्पोर्टस् भवन के पास की रिक्त भूमि पर 300 से 350 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता वाले बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह भू–तल में पार्किंग के निर्माण हेतु प्रथम प्राकल्लन ₹110.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु उक्त निर्माण के विस्तृत प्राकल्लन में अनुमानित लागत अधिक (रूपये 2.1877 करोड़) होने तथा संस्थान के पास वित्तीय संसाधन की कमी होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उक्त बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग के निर्माण हेतु विस्तृत निर्माण लागत ₹2.1877 करोड़ का प्राप्त हुआ है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के सामान्य बजट भाग–1 में **₹50.00 लाख** की वित्तीय व्यवस्था की गई है।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल **सह पार्किंग** के निर्माण हेतु संशोधित निर्माण प्राकल्लन ₹2.1877 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा **की गयी तथा** वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त भवन के निर्माण के लिए संस्थान के संचित कोषों में से ₹1.75 **करोड़ (बिन्दु** क्रमांक–5 के अनुसार) तथा सामान्य बजट भाग–1 से ₹50.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था के साथ **निर्माण की** अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–9 पृ.क्र. 142–147)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –9 **इंक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना एवं सीड मनी विषयक :**

म0प्र0 शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग की नीतियों के अनुसार प्रदेश में **नवाचारों एवं** स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है। इस हेतु संस्थान में एक इंक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित **है। इसके** अंतर्गत संस्थान की रिसर्च डेवलपमेंट सेल द्वारा अनुशंसा किये जाने पर प्रति नवाचार/स्टार्टअप अधि**कतम रूपये** 10,000/– की सीड मनी प्रदान किये जाने की व्यवस्था सहित, प्रतिवर्ष अधिकतम **₹1,00,000/–** नवाचार/स्टार्टअप/पेटेंट हेतु आवंटित किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। वित्त **समिति द्वारा** विचारोपरांत उपरोक्त की अनुशंसा की गयी।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक–10 **सामान्य बजट भाग–1 में नवीन व्यय शीर्ष "शोध, शिक्षण एवं विकास हेतु संस्थागत छात्रवृत्ति" जोड़ने विषयक :**

संस्थान के सामान्य बजट भाग–1 में संस्थान स्तर पर शोध एवं शिक्षण **के क्षेत्र को** बढ़ावा देने हेतु, एक नवीन व्यय शीर्ष **"शोध, शिक्षण एवं विकास हेतु संस्थागत छात्रवृत्ति"** को जोड़ा जाना **है। इस** योजना में संस्थान के शोध केन्द्रो में पंजीकृत ऐसे नेट क्वालिफाईड शोधार्थी जिन्हें अन्य किसी स्त्रोतों **से छात्रवृत्ति** प्राप्त नहीं हो रही है और न ही किसी रोजगार में संलिप्त है को संस्थान में एक कालखण्ड के नियमित अध्यापन की व्यवस्था पर प्रतिमाह ₹5000/– शोध प्रबंध प्रस्तुति की तिथि तक या तीन वर्ष (दोनों में से जो पहले हो) तक संस्थान के कुल 10 शोधार्थियों को प्रदाय की जावेगी। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 से विज्ञान **संकाय के 4** शोधार्थी, वाणिज्य संकाय के 3 शोधार्थी तथा कला संकाय के 3 शोधार्थी को **"शोध, शिक्षण एवं विकास हेतु संस्थागत छात्रवृत्ति"** दी जानी का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा **विचारोपरांत** उपरोक्त की अनुशंसा गयी **(संलग्नक–10 पृ.क्र. 148)**।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –11 **संस्थान में चल रहे एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण कार्य विषयक :**

पूर्व वित्तीय वर्षो में कुल ₹366.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई **थी जिसमें से** वित्तीय वर्ष 2021.–22 तक कुल 253.92 लाख रूपये का भुगतान निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण **अधोसंरचना** विकास मंडल, भोपाल को किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व स्वीकृत कार्यो में **21.95 लाख** तथा नवीन प्रस्तावित निर्माण कार्यो हेतु राशि रूपये 230.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान **करने एवं कुल** ₹85.00 लाख निम्नानुसार भुगतान किये जाने का प्रस्तावित वित्त समिति के समक्ष रखा गया:–

क्र.	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमानित लागत (लाख में)	वर्ष 2021–22 तक किया गया कुल व्यय (लाख में)	वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित व्यय (लाख में)	रिमार्क
प्रगतिशील निर्माण कार्य :–					
1.	10 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण	218.35	218.35	0.00	
2.	बालक छात्रावास हेतु पहुंच मार्ग (RCC) एवं अन्य विकास कार्य	14.52	12.00	2.52	
3.	ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल का निर्माण	38.00	5.00	5.00	
4.	टेनिस कोर्ट का निर्माण	5.00	5.00	0.00	
5.	भौतिक एवं रसायन शास्त्र विभाग के सामने शेष क्षेत्र में पेवलस ब्लॉक लगाने का कार्य	8.13	2.00	6.13	
6.	बालक छात्रावास में छोटे निर्माण कार्य	3.00	00.00	3.00	
7.	स्टूडेन्ट्स पार्किग्स तक सीसी रोड का निर्माण	12.73	5.00	5.00	

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE

	कार्य				
8.	स्टूडेन्ट्स पार्किंग्स गेट के समीप गार्ड रूम का निर्माण कार्य	1.77	1.70	0.07	
9.	बास्केट बॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य	5.00	4.87	0.13	
10.	बालक छात्रावास में वार्डन गृह का निर्माण कार्य	60.00	00.00	0.10	
	योग (पूर्व स्वीकृत कार्य)	**366.50**	**253.92**	**21.95**	
प्रस्तावित निर्माण कार्य :–					
1.	बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग का निर्माण कार्य	218.77	00.00	50.00	पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति रू.110.00लाख। संस्थान के संचित कोषों से वर्ष 2022–23 में रू. 1.75 लाख की अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की गई।
2.	संस्थान परिसर में छोटे निर्माण कार्य यथा – महिला एवं पुरूष टॉयलेट्स का विस्तार	11.67	00.00	13.05	
	योग (प्रस्तावित कार्य)	**230.44**	**00.00**	**63.05**	
	कुल योग	**596.94**	**253.92**	**85.00**	

संस्थान की निर्माण समिति ने वित्त समिति को अवगत कराया गया कि **पूर्व में** प्रशासकीय स्वीकृत मद "स्टूडेंट पार्किंग तक सीसी रोड का निर्माण कार्य"के लिए ₹12.73 लाख की **प्रशासकीय** स्वीकृति दी गई थी, जिसके संबंध में संशोधित वर्तमान अनुमानित लागत ₹12.77 लाख है तथा प्रस्तावित **निर्माण** कार्यो में बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल सह पार्किंग के निर्माण की पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति ₹110.00 लाख थी, **जो कि** लगभग 05 वर्ष पहले की दर पर है इसकी वर्तमान संशोधित अनुमानित लागत ₹218.77 लाख है। **वित्त समिति** उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई तथा उपरोक्त दोनों की निर्माण कार्यो की संशोधित अनुमानित मूल्यों के **साथ निर्माण** बजट की अनुशंसा की गयी।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –12 **नवीन शिक्षा नीति के कारण शिक्षण शुल्क में वृद्धि करने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है; साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2022–23 से संस्थान में बीबीए एवं बीपीईएस की कक्षाएं और तीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने हैं, **जिसके** लिए 20 अतिरिक्त मानसेवी शिक्षकों की सेवाएं वर्ष 2022–23 से ली जानी आवश्यक हैं। उनके **मानदेय पर** अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार ₹60.00 लाख आएगा। उल्लेखनीय है कि संस्थान में वर्तमान में लगभग 80 **मानसेवी** शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिसके संबंध में संस्थान को शासन से किसी प्रकार का मानदेय संबंधी **अनुदान** प्राप्त नहीं होता है। साथ ही, वर्तमान सत्र से विद्यार्थियों के लिए अध्यापन के अतिरिक्त अन्य आधारभूत संरचना **की** सुविधा में वृद्धि की जानी है, इसके लिए प्रवेशित विद्यार्थियों के शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि का **प्रस्ताव वित्त** समिति के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरांत यह सुझाव दिया गया कि संस्थान में भावी अध्यापन कक्षों के **निर्माण में 50** विद्यार्थियों की बैठक क्षमता का ध्यान रखा जावे तथा संस्थान स्तर पर एक समिति का गठन करते हुए **स्नातक** स्तर के विषयों में न्यूनतम 20 विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 10 **विद्यार्थियों की** संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय का आर्थिक आकलन कर उसकी रिपोर्ट के साथ शुल्क में **10 प्रतिशत** की वृद्धि का प्रस्ताव कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

वित्त समिति के सुझाव अनुसार प्रस्ताव कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत है। **कार्यसमिति** कृपया उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्णय लेना चाहे।

विषय क्रमांक –13 **सेडमेप के माध्यम से आउटसोर्स की सेवाएं लेने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में आउटसोर्स के माध्यम **से 63** कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग रूपये 75.00 लाख आता है। **आउटसोर्स** एजेंसी का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया जाता रहा है। शासन के पत्र **क्रमांक** 230/42/आउशि/शा–2/22 दिनांक 21.01.22 के अनुसार संस्थान को उक्त आउटसोर्स सेवा निविदा **के माध्यम** से न लेकर सेडमेप के माध्यम से ली जानी है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में (संस्थान की **वर्तमान** आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 94 कर्मचारियों हेतु) लगभग रूपये 90.00 लाख की बजट में **वित्तीय**

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

व्यवस्था की गई है। समिति को वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान खुली निविदा के स्थान पर सेडमेप के माध्यम से आउटसोर्स की सेवाएं लेने की स्थिति में संस्थान पर लगभग ₹27.00 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। वित्त समिति उपरोक्त तथ्य से अवगत हुई तथा वर्तमान खुली निविदा से आउटसोर्स की सेवाएं लिये जाने की अनुशंसा की **(संलग्नक–11 पृ.क्र. 149–153)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –14 **नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों से द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने पर पंजीयन शुल्क तथा नए संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना विषयक :**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र् 2021–22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों से स्नातक द्वितीय वर्ष (2022–23) तथा तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के विषयों के चयन के लिए प्रवेश आवेदन भरवाये जाने हैं। तद्नुसार द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन के लिए रूपये 100/– पंजीयन शुल्क तथा सत्र् 2022–23 में अध्ययनरत् तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों से पोर्टल चार्जेस के रूप में ₹50/– लिया जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया।

साथ ही, शैक्षणिक सत्र् 2022–23 से संस्थान में प्रारंभ होने वाले बीपीईएस प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क ₹21,552/– (अवधान राशि को छोड़कर) तथा बीबीए प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क ₹31,132/– (अवधान राशि को छोड़कर) और अन्य नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क पूर्व से संचालित विषयों के अनुरूप निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव भी समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर विचारोपरांत अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–12 पृ.क्र. 154–155)।**

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –15 **जिलाध्यक्ष दर वाले कर्मियों द्वारा प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरण संबंधी जानकारी विषयक :**

संस्थान के स्थापना वर्ष से संस्थान की आवश्यकतानुसार जिलाध्यक्ष मजदूरी दर पर कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों की अस्थाई सेवाएं ली जाती रहीं हैं, इनकी सेवाएं स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नहीं हैं और न ही नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही, इनकी मजदूरी का आहरण शासकीय कोषालय से आहरित नहीं होता है। उक्त जिलाध्यक्ष मजदूरी दर वाले 18 कर्मचारियों के प्रकरण माननीय न्यायालय विरूद्ध उमा देवी प्रकरण में पारित निर्णय की परिधि में नहीं आते हैं, जिसके कारण स्थाई कर्मी के रूप में नियमितिकरण नहीं हो पाया है। इन कर्मचारियों की लंबित सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 07.02.2018 से मानवीय आधार पर स्थाई कर्मियों की भांति वेतनमान का आर्थिक लाभ दिया गया है।

उक्त जिलाध्यक्ष मजदूरी दर पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा शासन के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित तथा कोषालय से आहरित मजदूरी वाले कर्मियों के नियमितिकरण/स्थाईकर्मी नियुक्ति संबंधी परिपत्र दिनांक 01.09.2016 के क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर न्यायालय में संस्थान एवं अन्य पदाधिकारियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करते रहे हैं। वर्तमान में उक्त कर्मियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर प्रकरण क्रमांक WP2500/2022 विचाराधीन है। सम्मानीय सदस्यगण उपरोक्त परिस्थितियों से अवगत हुये **(संलग्नक–13 पृ.क्र. 156–166)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव से अवगत होना चाहे।

विषय क्रमांक –16 **संस्थान में कार्यरत विकलांग कर्मियों द्वारा विकलांग भत्ते की मॉग विषयक :**

म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 दिनांक 21.03.2018 की व्यवस्था के अनुसार निशक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को ₹350/– मासिक विशेष परिवहन भत्ता की व्यवस्था है। संस्थान के एक मानसेवी कर्मचारी तथा एक जिलाध्यक्ष मजदूरी पर कार्यरत् कर्मचारी द्वारा उक्त विकलांग भत्ते की मांग की गई है। चूंकि ये दोनों कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। वित्त समिति ने उक्त से अवगत होकर सामाजिक न्याय के अंतर्गत संस्थान में कार्यरत् कलेक्टर दर वाले तथा मानसेवी वर्ग के कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ता दिये जाने की अनुशंसा की **(संलग्नक–14 पृ.क्र. 167–168)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOPAL

विषय क्रमांक –17 **वाल्मी को देय किराया राशि विषयक :**

संस्थान 1995–96 से म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वाल्मी के रिक्त भवन से संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त भवन के लिए प्रारंभिक तौर पर किराया भुगतान का प्रावधान था, परन्तु संस्थान तथा वाल्मी दोनों ही शासकीय उपक्रम होने के कारण उ.शि. विभाग से किराया भुगतान के लिए शासन से नियमित आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। विगत् वर्षो में वाल्मी के तरफ से ₹5.00 करोड़ से अधिक की राशि का किराया भुगतान करने के संबंध में पत्र संस्थान को प्राप्त हुआ है, जिसे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। शासन द्वारा उक्त मद किराये के भुगतान के लिए विशेष बजट व्यवस्था के माध्यम से ₹1.00 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्तमान में वाल्मी द्वारा समय–समय पर किराया भुगतान करने अथवा वाल्मी के पुराने आवंटित भवन को खाली करने का पत्र प्रेषित करते रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996, 2000 तथा परवर्ती वर्षो में वाल्मी तथा उ.शि. विभाग के सचिव स्तरीय कई बैठके हुई हैं, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि किराये के स्थान पर दोनों विभाग शासकीय उपक्रम होने के कारण वाल्मी द्वारा संस्थान की कक्षाओं के संचालन के लिए आवंटित पुराने भवन, जो कि वर्तमान में 25 वर्ष से अधिक के हो चुके है, का लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन के उपरांत राशि का विभागीय अंतरण कर उक्त भवन संस्थान को प्रदान किए जायें।

उक्त व्यवस्था के अनुसार वाल्मी के आवंटित जीर्णशीर्ण भवनों का मूल्यांकन उपरांत शासन स्तर पर राशि के अंतरण द्वारा भवन को संस्थान को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुई तथा वाल्मी के पुराने शेडों को शासन के नियमानुसार उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को सौपें जाने की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की **(संलग्नक–15 पृ.क्र. 169–185)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –18 **संस्थान के अनुउपयोगी मारूती वेन का मूल्यांकन कर नीलामी द्वारा विक्रय विषयक :**

संस्थान के परीक्षा संबंधी कार्यालयीन कार्यो एवं अन्य प्रशासकीय कार्यो के लिए एक मारूती वेन क्रमांक MP04 HA7930 वर्ष 2003 में क्रय की गई थी, जिसे उपयोग करते हुए 18 वर्षो से अधिक का समय होने के कारण वेन जीर्णशीर्ण हो गई है। उक्त वाहन में मरम्मत एवं बीमा का भी अत्याधिक वार्षिक व्यय हो रहा है। इस कारण उक्त मारूती वेन को शासन के नियमानुसार मूल्यांकन कराकर निविदा द्वारा विक्रय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। सम्मानीय सदस्यगणों द्वारा प्रस्ताव से अवगत होकर अनुशंसा की गयी।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

विषय क्रमांक –19 **संस्थान के आई.टी. सेल में वेब प्रोग्रामर की शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय के निर्धारण विषयक :**

संस्थान में प्रवेशित विद्यार्थियों की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया, नामांकन, गुणानुक्रम सूची, सीसीई पोर्टल, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आयोजित सेमिनार, संगोष्ठी एवं अन्य पाठ्यक्रम तथा पाठ्यैत्तर गतिविधियों के ऑनलाईन मॉड्यूल्स की प्रोग्रामिंग के लिए एक मानसेवी आधार पर वेब प्रोग्रामर/डिजाइनर के रूप में श्री शैलेश देशमुख की सेवाएं ली जाती रही हैं, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 30.04.2022 से सेवाएं प्राप्त न होने के कारण उनके स्थान पर मानसेवी आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की सेवाएं लिया जाना है। इसके लिए संस्थान स्तर पर आयोजित गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता के रूप में बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साइंस)/एम.सी.ए./एम.एस.सी (कम्प्यूटर साइंस) अथवा समतुल्य योग्यता सहित न्यूनतम दो वर्षो का अनुभव निर्धारित करते हुए न्यूनतम मानदेय ₹32500/– प्रतिमाह की अनुशंसा की है। तद्नुसार उपरोक्त योग्यता एवं मानदेय पर मानसेवी आधार पर म0प्र0 शासन द्वारा प्रोत्साहित उपक्रम (सेडमेप) के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

समिति को संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं अध्यक्ष, कार्यसमिति द्वारा उक्त सेवा के लिए ₹32500/– प्रतिमाह की अनुमति दी गई है। वित्त समिति अवगत हुई तथा इसकी अनुशंसा की गयी **(संलग्नक–16 पृ.क्र. 186)** ।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
20.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE BHOAPL

वित्त समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :

1. **संस्थान परिसर के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में ए.सी. की व्यवस्था विषयक :**

संस्थान के कार्यालय का संस्थान परिसर में निर्मित नए प्रशासनिक भवन में स्थानांतरण होना है। उक्त भवन में मीटिंग हॉल तथा संचालक कक्ष में कुल 05 एसी लगाये जाने हैं, जिसके लिए सामान्य बजट भाग–1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के गैर–आवर्ती व्यय शीर्ष क्रमांक–8 "विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का क्रय" में निर्धारित बजट प्राकलन राशि रूपये 23.50 लाख में से ₹3.50 लाख आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नए प्रशासनिक भवन के फर्नीचर के लिए इस बजट प्राकल्लन के गैर–आवर्ती व्यय शीर्ष क्रमांक–3 "फर्नीचर एवं फर्नीशिंग" मद में प्राकलित राशि में से ₹2.50 लाख आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत अनुशंसा की गयी।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

2. **संस्थान में कार्यरत् मानसेवी अतिथि विद्वानों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने विषयक :**

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार संस्थान में कार्यरत् मानसेवी अथिति विद्वानों को मातृत्व अवकाश की सुविधाएं दिए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। संस्थान में कार्यरत् मानसेवी अतिथि विद्वान स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं हैं। इस क्रम में ऐसे आवेदित मानसेवी अतिथि विद्वानों को "No work no pay" योजना के अंतर्गत तीन माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। वित्त समिति ने विचारोपरांत तीन माह के मातृत्व अवकाश की उपरोक्तानुसार अनुशंसा की।

कार्यसमिति कृपया प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन देना चाहे।

कार्यसमिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

(डॉ0 प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक–सदस्य सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

Office – Kaliasot Dam, Kolar Road, Bhopal - 462016 Tele: (0755) 2492433, 2492460
E-mail: ***iehebhopal@mp.gov.in***, ***iehe.iqac2020@gmail.com***, *Website:* ***https://www.iehe.ac.in***

Minutes of Academic council

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद्

बैठक क्रमांक–33 (दिनांक : 02–09–2022)

स्थानः उ.शि.उ.सं. भोपाल (हॉल नं. 2) **अपरान्हः 3:00 बजे**

– कार्यवाही विवरण –

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अध्यापन कार्य हेतु नये प्रारंभ किये गये विषयों के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 02–09–2022 को संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने बैठक का संचालन करते हुए अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा नये मनोनीत सदस्यों का परिचय कराया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों के साथ 1995 से उसकी विकास यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संस्थान में प्रथम सेमेस्टर यू.जी. के पाठ्यक्रम को अध्यादेश–14 'ए' के अंतर्गत सफलतापूर्वक संचालित किया गया एवं परीक्षा परिणाम सर्वप्रथम संस्थान द्वारा घोषित किये गये। वर्तमान अकादमिक सत्र में प्रवेश प्रकिया की जानकारी दी गयी। बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 05–07–2022 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक–32 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने बैठक क्रमांक–32 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।
2. परीक्षा नियंत्रक डॉ. महीपाल सिंह यादव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में संस्थान में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पुराने पैटर्न की भी अध्ययन व्यवस्था लागू है, जिस कारण शैक्षणिक सत्र 2020–21 मे प्रवेशित विद्यार्थियों पर संस्थान की अकादमिक परिषद् से पारित परीक्षा नियम 2005 एवं 2019 लागू हैं जिनकी कंडिका 11 (vii) के अनुसार "ऐसे विद्यार्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न होने तक अपने सेमेस्टर I एवं II में संबंधित ए.टी.के.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे, उन्हें सेमेस्टर V में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी"। शैक्षणिक सत्र 2021–22 से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2023–24 में पुराने पैटर्न की अध्यापन व्यवस्था की कक्षाएं नहीं होंगी।

02-09-2022

02/09/22

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

इस संबंध में अकादमिक परिषद ने इस प्रकरण को असाधारण मानते हुए पुराने पैटर्न के अंतर्गत अनुत्तीर्ण 13 विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की ए.टी.के.टी. परीक्षा पंचम सेमेस्टर के साथ करवाने एवं पंचम/षष्ठम में प्रावधिक प्रवेश इस आशय के घोषणा पत्र/शपथ पत्र कि यदि विद्यार्थी ए.टी.के.टी. परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसके आगामी सेमेस्टर्स के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किये जावेंगे, के आधार पर प्रदाय करने की अनुशंसा की गई।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक 1–8/2017 (Swayam board) दिनांक 28–06–2022 के अनुक्रम में आयुक्त, उच्च शिक्षा के परिपत्र क्रमांक 930/132/आउशि/शा–5 'अ'/2022, दिनांक 12–07–2022 तथा उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु जारी अध्यादेश 14 'ए' में उल्लेखित 'स्वयं' पोर्टल के माध्यम से मूक कोर्स तथा क्रेडिट ट्रांसफर हेतु कंडिका 14 तथा 17 के प्रावधानों को लागू किये जाने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद द्वारा सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। संस्थान द्वारा वर्तमान सेमेस्टर में क्रेडिट ट्रांसफर हेतु मान्य और अधिसूचित किये गये चार पाठ्यक्रमों का भी अनुमोदन किया गया।

पारित प्रस्तावनुसार एन.ई.पी. अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ होने के समय संबधित विभागाध्यक्ष 'स्वयं' पोर्टल पर तत्समय पंजीयन हेतु उपलब्ध मूक कोर्स तथा संस्थान में पढ़ाये जा रहे जेनेरिक इलैक्टिव, एस.ई.सी., व्ही.सी. तथा ए.ई.सी.सी. के समतुल्य पाठ्यक्रमों को क्रेडिट मापदंड अनुसार चिन्हित कर संस्थान की अकादमिक समिति के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिसूचित करेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर हेतु समतुल्य मान्य क्रेडिट भी इसमें दर्शाना होगा। इच्छुक विद्यार्थी द्वारा अधिसूचित मूक कोर्स में पंजीयन कर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा तथा ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा प्रकोष्ठ को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। विद्यार्थी द्वारा इसकी लिखित सूचना विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा प्रकोष्ठ को देना होगी। संस्थान द्वारा अध्ययन मंडल से अनुमोदित समतुल्य पाठ्यक्रमों एवं मान्य समतुल्य क्रेडिट को ही अधिसूचित किया जावेगा।

'स्वयं' पोर्टल पर विद्यार्थियों का पंजीयन तथा अधिकतम 40 प्रतिशत कोर्स/क्रेडिट ट्रांसफर पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों से कराया जा सकेगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संस्थान में नये प्रारंभ किये गये नवीन विषय/पाठ्यक्रम बी.बी.ए., बी.पी.ई.एस., क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स एम.ए. (हिन्दी), एम.ए. (मनोविज्ञान) और एम.ए. (समाजशास्त्र) के सेमेस्टर–I और II के विभिन्न विषयों के मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14–ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलो के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

2-9-2022

02.09.22

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

5. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के अंतर्गत संस्थान में अगले सत्र से विद्यार्थियों की मांग के अनुसार :

- संस्कृत विषय स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया।
- 'रामचरित्र मानस का दार्शनिक चिन्तन' तथा 'गीता प्रबंधन' को जेनेरिक विषय के रूप में सत्र 2023–24 से प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा।
- बायोटेक विभाग द्वारा वनस्पति एवं प्राणीशास्त्र को स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया।
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. नीरज गौर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संस्थान के शोध केन्द्रों की शुल्क संरचना विश्वविद्यालयों के अनुरूप करें जिससे अधिक संख्या में शोध छात्र संस्थान से लाभान्वित हो सकें।
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. विवेक शर्मा ने सुझाव दिया कि विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए कम छात्र संख्या के साथ भी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाया जाना उचित होगा। इससे विद्यार्थियों को एन.ई.पी.–2020 के प्रावधानों को आत्मसात करने में सहायता होगी।
- डॉ. नीरज गौर द्वारा सुझाव दिया गया कि सर्टिफिकेट कोर्स संस्थान स्तर पर प्रारंभ किये जा सकते हैं किन्तु डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि डॉ. रूचि घोष एवं अकादमिक परिषद के समस्त सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

बैठक के अंत में डॉ. अंजलि आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

2.9.2022

(डॉ. शैलजा दुबे)
सदस्य सचिव, अकादमिक परिषद
उच्च शिक्षा उत्कष्टता संस्थान, भोपाल

02/09/22

(डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कष्टता संस्थान, भोपाल

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक–32

दिनांक : 05–07–2022

स्थानः उ.शि.उ.सं. भोपाल (हॉल नं. 2) **अपरान्हः** 1:00 बजे

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 05–07–2022 को संचालक, डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने बैठक का संचालन करते हुए अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा सदस्यों का परिचय कराया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर यू.जी. को सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। परीक्षा परिणाम सर्वप्रथम संस्थान द्वारा घोषित किये गये। वर्तमान अकादमिक सत्र मे प्रवेश प्रकिया की जानकारी दी गयी। संस्थान की भूतपूर्व छात्रा लिपि नगाइच का चयन यू.पी.एस.सी मे 148 रैंक के साथ हुआ इसकी जानकारी सदन को दी गई। बैठक मे कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 31/11/2021 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक–31 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने बैठक क्रमांक–31 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

2. सत्र 2022–2023 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर को सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। डॉ. अनुज हुण्डैत द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि अकादमिक कैलेण्डर में परीक्षा के 44 दिवसों को यदि कम किया जाए तो आई.क्यू.ए.सी. के लिए यह लाभदायक होगा।

3. शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित स्नातक V एवं VI सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर I, II,III & IV सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को, जिसकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक I, II, III & IV सेमेस्टर में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14–ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलो के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही परिषद् द्वारा संस्थान के विद्यार्थियों को दिए जा रहे विभिन्न विषय संयोजनों का भी अनुमोदन किया गया।

5. अकादमिक समिति द्वारा यह जानकारी दी गयी कि अध्यादेश 14–ए के प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा प्रत्येक विभाग द्वारा SEC/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके आतंरिक मूल्यांकन का प्रारूप उनके अध्ययन मंडलों द्वारा पारित किया गया है एवं जो तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर मे प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें क्षेत्रीय भ्रमण को भी शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के

05-07-22

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। संस्थान द्वारा निर्मित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (संलग्नक–1) एवं इस प्रक्रिया को अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

6. संस्थान स्तर पर पूर्व में संचालित विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2022–23 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया।

7. संस्थान की सत्र 2022–23 की विवरणिका (Prospectus) का अनुमोदन अकादमिक परिषद द्वारा किया गया।

8. आगामी सत्र 2023–24 हेतु अध्ययन मंडलों का गठन एवं नये सदस्यों का नामांकन किया जाना है इस हेतु अकादमिक परिषद् के सदस्यों ने यह अधिकार संचालक महोदय को दिया तथा डॉ. उमेश सिंह द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सदस्यों को नामांकित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण पालन किया जाए तथा BOS में Industry एवं Reasearch से संबंधित सदस्यों को भी नामांकित किया जाए। इतिहास विषय में पाठ्यक्रम बनाते समय नवाचार के साथ–साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाए। समस्त परिवर्तन पर अध्ययन मण्डल द्वारा गहन विचार विमर्श द्वारा किया जाना आवश्यक है जिससे संस्थान के लक्ष्य पूर्ण हो सके। डॉ. शैलजा दुबे ने इस प्रस्ताव के अनुसार नए अध्ययन मण्डल के गठन का आश्वासन दिया।

9. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के अंतर्गत गणित विषय के पाठ्यक्रम में प्रश्नपत्रों की पुनर्संरचना अध्यादेश के अनुरूप शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात की जानी अनुशंसित की गई। डॉ. एन.आर. दास द्वारा छात्रहित में नवीन विषय बी.बी.ए. में सीटों का पुनर्निर्धारण करने का सुझाव दिया गया। प्रवेश प्रभारी द्वारा जानकारी दी गयी कि इस वर्ष बी.बी.ए पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु 400 से अधिक आवेदन लंबित हैं। उनके द्वारा इस पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। राजनीति विज्ञान में आगामी सत्र में सीटों के पुनर्निर्धारण पर चर्चा की गई। संस्थान द्वारा एन.ई.पी 2020 के अनुसार निर्मित समय सारणी का अनुमोदन परिषद् द्वारा किया गया।

बैठक के अंत में डॉ. अंजलि आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

09-07-22

(डॉ. शैलजा दुबे)
सदस्य सचिव, अकादमिक परिषद
उच्च शिक्षा उत्कष्टता संस्थान, भोपाल

(डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल)
प्रभारी संचालक
उच्च शिक्षा उत्कष्टता संस्थान, भोपाल

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक – 31

दिनांक : 30–11–2021

स्थान : उ.शि.उ.सं. भोपाल (हाल नं. 2) पूर्वान्ह 11.30 बजे

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 30–11–2021 को संचालक, डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. शैलजा दुबे, सचिव, अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा नए सदस्यों का परिचय कराया। बैठक का संचालन डॉ. शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान के प्रभारी संचालक डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision : Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए :

1. दिनांक 17–05–2019 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 30 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 30 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

2. सत्र 2021–22 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर को सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया।

3. शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित स्नातक II, III, IV, V & VI सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर I, II, III, & IV सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को, जिनकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक I और II सेमेस्टर में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अध्यादेश 14–ए के तहत बिन्दु क्र. 12.4 के अंतर्गत अध्ययन मंडलों के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही परिषद् द्वारा संस्थान में विद्यार्थियों को दिए जा रहे विभिन्न विषय संयोजनों को भी अनुमोदन दिया गया।

5. विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2021–22 में संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया जिसमें डिप्लोमा के 12, सर्टिफिकेट के 08, ट्रेनिंग प्रोग्राम के 06 और विशेष पाठ्यक्रम 02 शामिल हैं।

   चर्चा में डॉ. शैलजा दुबे ने परिषद् को सूचित किया कि प्रथम वर्ष में भूगोल विषय को कला एवं विज्ञान संकाय में शासन द्वारा शामिल किया गया है।

6. आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित 02 पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया :

   (i) Ceftificate Course in Retail Marketing Management,

   (ii) Certificate Course in Banking Finance Services and Insurance.

   चर्चा में अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्य श्री दीपक शर्मा ने सुझाव दिया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रोजगार देवें।

D:\PA 23-09-21\Academic Cell work\karyvahi vivran 30-11-2021.docx

DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

अकादमिक ... उच्च शिक्षा उत्कृष्टता ... भोपाल

इसी संदर्भ में प्रभारी संचालक महोदय ने कहा कि अगले सत्र से इस संबंध में प्रयास किए जायेंगे तथा श्री दीपक शर्मा जी से निवेदन किया कि वे भी नये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के वारे में मार्गदर्शन दें।

7. संस्थान में निम्नलिखित विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा रखा गया जिसे परिषद् ने सर्वसम्मिति से अनुमोदित किया :

(i) क्रीड़ा विभाग द्वारा तीन वर्षीय Bachelor of Physical Education and Sports (BPES), जिसमें 40 सीटें होगी।

(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा Bachelor of Business Administration (BBA), जिसमें 40 सीटें होंगी।

(iii) फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर (i) Food Technology (ii) Clinical Nutrition & Dietetics, प्रत्येक में 40 सीटें होंगी।

(iv) मनोविज्ञान विभाग द्वारा वी.एस.सी. मनोविज्ञान में प्रारंभ करना।

(v) हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होंगी।

(vi) समाजशास्त्र विभाग द्वारा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होगी।

(vii) मनोविज्ञान विभाग द्वारा मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें 20 सीटें होगीं।

चर्चा में भाग लेते हुए परिषद् के माननीय सदस्यगणों – डॉ. उमेश सिंह एवं अन्य ने सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम प्रथम तीन वर्षो तक न्यूनतम 05 विद्यार्थियों से चलाना उचित होगा उसके बाद न्यूनतम 10 विद्यार्थियों से चलाना उचित होगा जिसे सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

8. अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् के सचिव डॉ. शैलजा दुबे ने बताया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम तैयार करवाये गए हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है उसमें प्रबंधन तथा फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल विषयों का उल्लेख वैकल्पिक विषय के रूप में किया गया है, जबकि संस्थान में ये दोनों विषय क्रमशः विगत 10 एवं 20 वर्षों से सहायक विषय के रूप में पढ़ाये जाते रहे हैं तथा इन विषयों में इस वर्ष भी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इन विषयों को Minor विषय के रूप में संचालित करने की अनुशंसा अकादमिक परिषद् ने की। इस प्रकार अकादमिक परिषद् द्वारा अर्थशास्त्र को मुख्य विषय रखते हुए प्रबंधन को गौण विषय के रूप में, फैशन डिज़ाईनिंग को मुख्य विषय रखते हुए प्रबंधन को गौण विषय के रूप में तथा रसायनशास्त्र को मुख्य विषय रखते हुए फूड सांइस एण्ड क्वालिटी कंट्रोल को गौण विषय के रूप में रखते हुए छात्रहित में विषय संयोजनों को चलाने का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में डॉ. अंजली आचार्य द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

प्र/c संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION

30-11-2021
सदस्य–सचिव
अकादमिक परिषद्
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

अकादमिक परिषद् की बैठक

बैठक क्रमांक – 30

दिनांक : 17–05–2019

स्थान : उ.शि.उ.सं. भोपाल (हाल नं. 2) **पूर्वान्ह 11.30 बजे**

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्ययन मंडलों द्वारा निश्चित किए गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य संबंधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 17–05–2019 को संचालक, डॉ. गीता सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ. सुचित्रा बैनर्जी, सचिव, अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय द्वारा नए सदस्यों का परिचय कराया गया और संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। बैठक का संचालन डॉ. शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, संस्थान की संचालक डॉ. गीता सक्सेना ने आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने Vision : Accelerating Excellence in Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि अकादमिक दृष्टि से संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन नए पाठ्यक्रम 2018–2019 से प्रारंभ किए जा चुके हैं। नैक की अनुशंसा अनुसार दो विषयों – अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में शोध केन्द्रों की स्थापना की गई है। अध्यक्ष ने संस्थान की अधोसंरचना पर चर्चा करते हुए परिषद को अवगत कराया कि परिसर में 100 सीटर बालक छात्रावास एवं एक केंद्रीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला प्रारंभ हो गई है।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए :–

1. दिनांक 12 मई 2018 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 29 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 29 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

2. सत्र 2019–20 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर का सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

3. शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु विभिन्न विभागों में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को जिनकी अनुशंसा अध्ययन मंडलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र 2018–19 में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2019–20 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् द्वारा मान्य किया गया।

4. व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ समन्वयक डा मनीषा शर्मा ने बतायां कि पूर्व सत्र मे प्रस्तावित 45 एवं 1 पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की मांग के आधार पर संचालित किया गया कुल 46 इसमे से 31 पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया जिसमें परिषद की बैठक दिनांक तक लगभग [illegible] विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके है जिन्होनें पाठ्यक्रम शुल्क जमा किया है।

आगामी सत्र से निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित [illegible] गए एवं कुछ पाठ्यक्रमो के स्वरुप मे [illegible] किया गया है। पूर्व में निम्नलिखित कोर्स डिप्लोमा कोर्स थे उन्हे अब कम अवधि के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की श्रेणी में रखा गया है :

(i) Certificate Course in Retail Management (CRM)
(ii) Certificate Course in Tourism & Hospitality Management (CTHM)
(iii) Certificate Course in Media Aesthetics (CMA)

निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है :

(i) Diploma in Bamboo Entrepreneurship Development (DBED)
(ii) Certificate Course in Creative Arts (CC[illegible] Worli/Mandna/Madhubani/Others
(iii) Certificate Course in Chem-Sketch & Chem- Draw (CSCD)

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

(iv) Certificate Course in Career Counseling (CaCo)
(v) Certificate Course in Physical Fitness & Sports (CPFS)
(vi) Certificate Course in GST (GST)
(vii) Certificate Course in C++& Oracle (CCO)
(viii) Certificate Course in Project Formulation, Monitoring & Evaluation (CPME)
(ix) Certificate Course in Start Up's Management (CSUM)
(x) 30 Hours Training Programme in Bamboo Arts & Crafts (TPBC)
(xi) 30 Hours Training Programme in Environmental Audit (TPEA)

डॉ. शर्मा ने बताया कि ग्रीन क्षेत्र में उद्यमिता विकास संस्थान को भविष्य में उद्यमिता केंद्र ग्रीन गोल्ड, ग्रीन इकोनॉमी से सम्बद्ध करेगा और संस्थान में बालक छात्रावास में इसके आरंभ से हर साल युवा उद्यमी तैयार होंगे।

चर्चा में श्री दीपक शर्मा ने समय की मांग को देखते हुए तीन नए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए :–

(i) Certificate Course in Chinese Langauge (CCL)
(ii) Certificate Course in Cloud Computing (CCLC)
(iii) Certificate Course in Digital Marketing (CDM)

परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रकोष्ट समन्वयक डॉ. मनीषा शर्मा एवं परिषद के सदस्य श्री दीपक शर्मा के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

डॉ. मनीषा शर्मा ने बताया कि सत्र के मध्य में विद्यार्थी (न्यूनतम संख्या –15) की मांग पर लघु अवधि पाठ्यकम संचालित किये जा सकते हैं। छात्रहित में सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. विनय कुमार श्रीवास्तव (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) ने बैठक क्रमांक 29 के बिंदु 7 और 10 पर उल्लेखित नए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी चाही। इसके संदर्भ में संचालक महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा आदेशित किया गया है कि बिना विभाग की अनुमति के नए कोर्स प्रारंभ नहीं किए जाएंगे। इसी तारतम्य में फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल में बी.एस.सी. ऑनर्स कोर्स प्रारंभ नहीं किया गया तथा फारेंसिक साइंस में बी.एस.सी. ऑनर्स कोर्स संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

5. अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्व बैंक समर्थित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से प्रारंभ किए गए हैं :–

(i) वाणिज्य विभाग द्वारा बी.कॉम. ऑनर्स अकाउंट एव बी.कॉम. ऑनर्स मेनेजमेंट में सहायक विषय कम्प्यूटर एंप्लीकेशन।

(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.कॉम. ऑनर्स अकाउंट एव बी.कॉम. आनर्स मेनेजमेंट में सहायक विषय टेक्सेशन।

(iii) वाणिज्य [illegible]ग द्वारा पोस्ट [illegible] डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग [illegible] एनालिसिस– सत्र 20[illegible]19 में प्रारंभ कि[illegible]ने वाले पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का [illegible]श शून्य रहा। अतः इस पाठ्यक्रम को बंद किए जाने का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के बी.ओ.एस. द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसे [illegible]द ने मान्य किया।

6. विभिन्न विषयों हेतु नवीन अध्ययन मंडलों के गठन हेतु अकादमिक परिषद् ने सर्वसम्मति से संचालक को अधिकृत किया।

7. परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनुज हुण्डेत द्वारा परीक्षा से संबंधित संस्थान के परीक्षा नि[illegible] किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

संस्थान के परीक्षा नियम 1 जुलाई 2005 से क्रियान्वित है। विगत वर्षों में आयोजित अकादमिक परिषद की बैठकों में इसमें आंशिक संशोधन किए गए हैं (जैसे एटीकेटी परीक्षा में सीसीई के अंकों का विलोपन, उपस्थिति के अंकों को 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के स्लेब में परिवर्तित करना, इत्यादि) अत

नियमों को अद्यतन करते हुए 1 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होने वाले सत्र एवं आगे के सत्रों के लिए परीक्षा नियमों में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं :

- उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के परीक्षा नियम अब 'परीक्षा नियम–2005' के स्थान पर 'परीक्षा नियम–2019' कहलाएंगे।
- पृष्ठ–1 पैरा–1 में यूजीसी से मिली स्वायत्ता का उल्लेख किया जाना है।
- परीक्षा संबंधी योजना (Scheme of Examination) अंतर्गत नियम 11 (vi) में ATKT (Sem-I & II) के विद्यार्थियों को पांचवे सेमेस्टर के पूर्व Sem-III एवं Sem IV के साथ ATKT परीक्षा को उत्तीर्ण करने बावत् दो–दो मौके दिए जावेंगे। अतः निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित हैं। नियम अब निम्नानुसार पढ़ा जावेगा :–

  "ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सेमेस्टर–I अथवा / सेमेस्टर–II की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन एटीकेटी प्रश्नपत्रों की परीक्षा दो प्रयासों में अपनी सेमेस्टर–III अथवा / और सेमेस्टर–IV की नियमित परीक्षा के साथ देंगे। जिन विद्यार्थियों के सेमेस्टर–III अथवा / और सेमेस्टर–IV की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन प्रश्नपत्रों की परीक्षा क्रमशः अपनी सेमेस्टर–V एवं सेमेस्टर–VI की नियमित परीक्षा के साथ देंगें।"
- परीक्षा नियम की कंडिका 11 (viii) में 'ATKT प्रश्नपत्र के सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक को' विलोपित करने का उल्लेख किया जाना होगा।
- मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1868 / 198 / सीसी / 17 / 38, भोपाल दिनांक 09–10–2017 द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमशः 5 व 3 वर्ष की अवधि की बाध्यता समाप्त की है। पत्रानुसार स्नातक स्तर पर 5 वर्ष की अवधि को कुलपति की अनुमति से 06 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 03 वर्ष की अवधि को 04 वर्ष करते हुए इसमें कुलपति महोदय की अनुमति से 01 वर्ष की और वृद्धि की है। — क
- संस्थान के परीक्षा नियमों में भी उपरोक्तानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसका उल्लेख परीक्षा नियम की कण्डिका 11 (ix) एवं (x) में किया जा रहा है।
- संस्थान के परीक्षा नियम की कंडिका 22 में परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग करने पर (UFM) आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं, परंतु संस्थान के UFM नियम न होने के कारण बरकतउल्ला वि.वि. के UFM नियम लगाए जाते रहे हैं। अतः परीक्षा समिति ने संस्थान के स्वयं के परीक्षा नियम प्रस्तावित किए हैं। अतः कंडिका 22 को तदानुसार संशोधित किया जा रहा है एवं परिशिष्ट–2 में UFM Gidelines तैयार कर संलग्न की गई है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर CCE के 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है इस बावत् CCE के नियम 4 (ब) में स्पष्ट तालिका बनाकर प्रावधान किया जा रहा है।
- CCE के नियम 5 (घ) कक्षाओं में उपस्थिति के अंक प्रदाय करने की व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाना होगा।

8. परिषद् के सम्माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से संस्थान के राज्य स्तरीय स्वरूप और संस्थान की उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम को अधिकतम पाँच वर्ष में ही तथा दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अधिकतम तीन वर्ष ही में पूर्ण करने पर [illegible] अभिमत दिया। अतः उपर्युक्त पैरा "क" को अमान्य करते हुए, शेष समस्त प्रस्ताव मान्य किए गए (संशोधित परीक्षा नियम 2019 संलग्न हैं)।

बैठक के अंत में डॉ. अनिता शिंदे द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

17/5/2019   17/5/2019

संचालक   **सदस्य–सचिव**

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल   **अकादमिक परिषद्**

अकादमिक परिषद की बैठक

बैठक क्रमांक 29
दिनांक 12.05.2018
कार्यवाही विवरण

स्थान : उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (हॉल क्रमांक –2), समय–12:00 अपरान्ह

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में अध्यापन कार्य हेतु विभिन्न अध्यन मण्डलों द्वारा निश्चित किये गये पाठ्क्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य सम्बधित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 12.05.2018 को संचालक डॉ एम.एल.नाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉ गीता सक्सेना, सचिव अकादमिक परिषद् ने अभ्यागत अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। बैठक का संचालन डॉ शैलजा दुबे ने किया।

बैठक के प्रारम्भ में बैठक के अध्यक्ष, संस्थान के संचालक डॉ एम0एल0नाथ ने आमंत्रत सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्वेश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होने कहा कि सस्थान अपने Vision: Accelerating Excellence In Higher Education of Global Significance को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, जिसकी सफलता के लिए परिषद् का सहयोग, मार्गदर्शन और निर्देशन अपेक्षित है। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि अकादमिक दृष्टि से सस्थान को सृदृढ़ बनाने के लिए चार नये पाठ्यक्रम 2018–2019 से प्रारम्भ किये जा रहे हैं। नैक की अनुशंसा अनुसार तीन विषयों– अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और बायोटेक्नॉलाजी में शोध केन्द्र की स्थापना के लिएि संस्थान स्तर पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर दी गई है। नैक अनुशंसा अनुसार ही संस्थान में अधिकाधिक विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापन की आवश्यकता प्रतिपादित की। अध्यक्ष ने संस्थान की अधोसंरचना पर चर्चा करते हुए परिषद् को अवगत कराया कि परिसर में 100 सीटर बालक छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार एक केन्द्रीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला पूर्णतः तैयार है जो जुलाई से आरम्भ हो जायेगी।

बैठक में कार्यसूची अनुसार विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गयेः–

1 दिनांक 12 मई 2017 को हुई अकादमिक परिषद् की बैठक क्रमांक 28 के कार्यवाही विवरण का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। परिषद् ने बैठक क्रमांक 28 के कार्यवाही विवरण को सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

2 सत्र 2018–19 हेतु संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर का सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

3 शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु विभिन्न विभगों में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को, जिनकी अनुशंसा अध्ययन मण्डलों द्वारा की गई है, उन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

4 सत्र 2017–18 में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सत्र 2018–19 में भी संचालित करने के प्रस्ताव को अकादमिक परिषद द्वारा मान्य किया गया।

सत्र 2018–19 से निम्नलिखित 08 नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया :

(i) Diploma in Financial Journalism (DFJ)
(ii) Diploma in Psephology (Dpse)
(iii) Diploma in Integrated Rural Development (DIRD)
(iv) Diploma in Fabric Ornamentation (DFO)
(v) Diploma in Remote Sensing & GIS (DRSG)
(vi) Certificate Course in Spoken English (CSE)
(vii) Thirty Hours Training Programme in (TPPHP)
(viii) Joint Admission Test for M.Sc. (JAM)

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

डॉ ए.के भट्टाचार्य ने परामर्श दिया कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन SOP (Standard Operating Procedure) के अनुसार होना चाहियें। साथ ही संस्थान National/International Priorities के अनुसार नये पाठ्यक्रम आरम्भ करें। संस्थान में Forest से सम्बधित रोजगारोन्मुखी वोकेशनल कोर्स भी प्रारम्भ करें। इसके लिए लघु वनोपज, ईको टूरिज्म बोर्ड, बेम्बू मेनेजमेन्ट आदि से सम्पर्क कर पाठ्यक्रम आरम्भ किये जा सकते हैं। संस्थान को डिपलोमा इन सर्टिफिकेशन प्रारंभ करना चाहिये।

अकादमिक परिषद के उपर्युक्त सुझाव अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है।

5 बी.ए. भूगोल (आनर्स) के ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा बारहवीं में विज्ञान संकाय उत्तीर्ण कर प्रवेश पाते हैं उन्हे बी.ए. आनर्स के स्थान पर बी.एस–सी. आनर्स की उपाधि सत्र 2018–19 से प्रदाय की जायें। इसके लिए बी.एस–सी. प्रथम वर्ष भूगोल (आनर्स) के लिए इन छात्रों को रसायन, गणित या कम्प्यूटर साइन्स के सहायक विषय के रूप में लेना होगा।

डॉ के एन. त्रिपाठी ने अवगत कराया कि बी.ए. मनोविज्ञान आनर्स में भी बी.एस–सी. मनोविज्ञान (आनर्स) की डिग्री उन विद्यार्थियों को दी जा सकती है, जो कक्षा बारहवीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण कर प्रवेश लेते हैं। लेकिन बी.एस–सी. मनोविज्ञान (आनर्स) विषय के सहायक विषय सुनिश्चित न हो सकने के कारण इस विषय को आगामी अकादमिक परिषद् में रखे जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

6 फारेन्सिक साइन्स विषय को बी.एस–सी. रसायनशास्त्र (ऑनर्स) के सहायक विषय के रूप में सत्र 2018–19 से आरम्भ करने का प्रस्ताव अकादमिक परिषद द्वारा मान्य किया गया।

7 अकादमिक परिषद के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्व बैंक समर्थित योजना के अन्तर्गत निम्न चार पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से आरम्भ किये जाने हैं :

(i) रसायनशास्त्र विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.एस–सी. फारेन्सिक साइन्स ऑनर्स।

(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा बी.कॉम ऑनर्स अकाउण्ट एव बी.कॉम आनर्स मेनेजमेन्ट में सहायक विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन।

(iii) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रवर्तित बी.कॉम ऑनर्स अकाउण्ट एवं बी.कॉम आनर्स मेनेजमेन्ट में सहायक विषय टेक्सेशन ।

(iv) वाणिज्य विभाग द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्राजेक्ट फाइनेंसिंग एण्ड एनालिसिस।

उक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अकादमिक परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। डॉ भट्टाचार्य ने कहा कि विद्यर्थियों के पास पाठ्यक्रम चयन के लिए च्वाइज होना चाहिए साथ ही हमें अन्य विषय जैसे– Environmental Ethics & Values आदि पर भी कोर्स आरम्भ करना चाहिए। सभी सदस्यों ने उनके विचारों से सहमति व्यक्त की।

8 एम.एस–सी. भौतिकशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप का प्रस्ताव भौतिकशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ शिरीष जोशी द्वारा रखा गया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

9 सत्र 2019–20 से भूगोल विषय में एम.ए./एम.एस–सी. एवं मनोविज्ञान विषय में एम.ए./एम. एस–सी. प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसे परिषद द्वारा मान्य किया गया।

10 सत्र 2019–20 से फूड साइन्स एण्ड टेक्नॉलाजी में बी.एस–सी. आनर्स कोर्स आरम्भ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। डॉ भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से सम्पर्क कर पाठ्यक्रम की सम्भावनाओं पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करें।

11 अकादमिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है। प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता से अवगत कराने के लिए संस्थान को एक

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

नजीर के रूप में पेश किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि नैक के तृतीय चरण के दौरान नैक पियर टीम द्वारा संस्थान में CBCS प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया था जिससे संस्थान की अकादमिक गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हो। अतः अकादमिक परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल में CBCS प्रणाली लागू करने के लिए संस्थान की कार्यपरिषद और सामान्य सभा से निवेदन किया जाये।

बैठक के अन्त में डॉ सुचित्रा बेनर्जी द्वारा समस्त आमंत्रित सदस्यों और अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात बैठक समाप्त हुई।

for सचिव
अकादमिक परिषद
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल

Countersigned

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016.

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

ENCL-(1)

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान्, भोपाल

Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal

NAAC re-accredited 'A' Grade Institute

IEHE Bhopal

Office - Kaliasot Dam, Kolar Road, Bhopal-462016 Tele: (0755) 2492433, 2492460

E-mail: iehebpl@bsnl.in Website: www.iehe.ac.in

क्रमांक 600 / स्था. / 2016--17 भोपाल, दिनांक 19-5-17

अकादमिक परिषद की बैठक

बैठक क्रमांक – 28

दिनांक 12 / 05 / 2017

स्थानः सेमीनार हाल–2 समयः पूर्वान्ह 11:30

कार्यवाही विवरण

शैक्षणिक सत्र 2017–18 में अध्यापन कार्य हेतु विनिश्चित किये गए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने एवं अन्य सम्बन्धित अकादमिक विषयों पर निर्णय करने के लिए अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 12 / 05 / 2017 को आयोजित की गई। संस्थान के संचालक डॉ. एम.एल. नाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वप्रथम डॉ. गीता सक्सेना संयोजक अकादमिक समिति अभ्यागत सम्मानित अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया।

बैठक के प्रारम्भ में बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉ. एम.एल. नाथ ने पुनः सभी अतिथियों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने नेक मूल्यांकन में प्राप्त 'ए' ग्रेड पर प्रकाश डालते हुए प्रो. एस.एस. श्रीवास्तव, छात्र विक्रमादित्य गानकर, युवराज जैन आदि के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही भविष्य की कार्य योजनाओं से भी अवगत कराया। छात्र -- छात्रावास, सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी, परिसर सौन्दर्य आदि पर भी जानकारी दी गयी। तदुपरान्त बैठक की पूर्व प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न हुई --

1. दिनांक 17 मई, 2016 को सम्पन्न हुई अकादमिक परिषद की बैठक क्रमांक 27 की कार्यवाही का वाचन कर उसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक क्रमांक 27 दिनांक 17 / 05 / 16 की डॉ. अनुजा हुण्डैत द्वारा प्रस्तावित CBCS के शासन के पास विचाराधीन होने के कारण क्रियान्वित न हो पाने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार गत बैठक में प्रस्तावित B.P.Ed पाठ्यक्रम के बारे में डॉ. गीता सक्सेना ने अवगत कराया कि आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम प्रारंभ करना संभव होगा।

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL

2. शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिये विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। डॉ. आलोक रस्तोगी ने प्रो. एस.पी. सान्याल द्वारा भौतिकी के पाठ्यक्रम में जिज्ञासाएं प्रस्तुत किए जाने पर संतोषजनक समाधान दिए। डॉ. के.बी. पण्डा, डॉ. सान्याल ने वोकेशनल पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता रेखांकित की तथा कैरियर काउंसिलिंग कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉ. गीता सक्सेना ने इस संदर्भ में विचारार्थ आश्वासन दी। डॉ. एम.एल. नाथ ने पुनरीक्षण में संभावित परिवर्तनों को तथ्य और तर्क के आधार पर स्वीकार करने का सुझाव दिया।

3. शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए वर्तमान में संचालित एवं नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने पर संयोजक डॉ. मनीषा शर्मा ने नए पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। डॉ. भट्टाचार्य ने सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने/प्रारंभ करने का सुझाव दिया। उन्होंने 'स्वच्छ भारत', 'मेक इन इंडिया', और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन की आवश्यकता बताई संस्थान संचालक डॉ एम.एल.नाथ ने प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की तैयारी कराने हेतु गठित प्रकोष्ठ की जानकारी दी।

4. शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए प्रस्तुत अकादमिक कैलेण्डर में षष्ठ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम परिणाम 14 जून 2018 के स्थान पर 05 जून 2018 को घोषित किया जाना मान्य किया गया। साथ ही सूक्ष्म कैलेण्डर जारी करने हेतु डॉ अनुज हुण्डैत एवं डॉ रामकृष्ण श्रीवास्तव को अधिकृत किया गया। प्रवेश प्रकिया और अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता के स्तरोन्नयन की जानकारी दी। उन्होने बताया कि यह संस्थान ' क्लस्टर योजना' का नोडल सेन्टर है। डॉ पंकजा शुक्ला ने 'वनमेला' सी–पैड, आदि माध्यमों से 'जॉब ऑफर, एवं जॉब ट्रेनिंग की जानकारी दी। डॉ रेणु जैन ने 'फैशनडिजाइन' कोर्स की उपलब्धियॉ बताई। उन्होने 'गोकुलदास' प्रोवोक आदि प्रख्यात कंपनियों में शत–प्रतिशत प्लेसमेन्ट की जानकारी दी।

5. फैशन डिजायनिंग विषय को अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी साहित्य विषय के साथ सहायक विषय के रूप में स्वीकार किया गया।

फारेन्सिक साइन्स विषय को रसायन विषय के साथ सहायक विषय के रूप में गवर्निंग वाडी /आन्तरिक विभागीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुति हेतु निर्णय लिया गया ।

अकादमिक परिषद् की ओर से डॉ शैलजा दुबे ने बैठक के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर अध्यक्ष डॉ एम.एल. नाथ एवं अन्य अतिथियों/ सदस्यों को धन्यवाद दिया।

(डॉ गीता सक्सेना) 12|5|17
सचिव, अकादमिक परिषद

(डॉ एम.एल.नाथ) 12.5.17
संचालक
DIRECTOR
INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016

Signature Not Verified
PRAGYESH KUMAR AGRAWAL
29.11.2022 13:43
DIRECTOR-IEHE, BHOAPL